रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03092025-265901
CG-DL-E-03092025-265901

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947
No. 575] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2025

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

सं. रा. बैं .सचिव/ 62952/ 2025-26.—

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('बैंक' या 'नाबार्ड') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति में तुलन-पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखों, नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं ('स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण').

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और उन्हें समुचित रूप से तैयार किया गया है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियमावली, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप, तथा भारत में

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2025 की स्थिति में बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभों और नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं.

2. अभिमत का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा" वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के अंतर्गत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे हमारे अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो वर्ष के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला	हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है
1. अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधान. अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने बैंकों के लिए अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं. अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है. एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता; - ऋण जोखिम, नियत अवधि और ऋण के वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन; - एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन.	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थे: - एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए बैंक की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई (आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना. - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना. - बैंक द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना. - दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े

चूँकि, अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान के सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निर्धारण - के लिए बैंक द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है; - का बैंक के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है. **(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 6 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)**	ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना. - मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना. - ऋण जोखिम अनुप्रवर्तन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा बैंक के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है. - बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना. - बैंक के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर बैंक की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों पर विचार करना. - आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच. - उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त करना. - क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना. - पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
2. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. - निवेशों में बैंक द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ,	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से:

निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. - उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है. - हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और बैंक के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है. **(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 5 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)**	- मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया; - इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; - प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया; - आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसरण में मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुन:गणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.
3. बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ और नियंत्रण: बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी प्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं: • सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली • टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन • एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन • एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन • रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले. आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** - 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई. - बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; - चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई; - चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का पुनर्मूल्यांकन किया गया; - चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई; - लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने

सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है. बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के लिए प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.	की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए 'मूल कारण विश्लेषण' तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई. - मूल वित्तीय रिपोर्टिंग वाले मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके. - गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/ क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल ऐसे अन्य प्रकटन शामिल हैं, वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ('अन्य सूचना') शामिल नहीं है.

अन्य सूचना हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन अथवा निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराई जाए तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' के अंतर्गत यथापेक्षित अभिशासन के प्रभारियों को इस विषय से अवगत कराएँ.

5. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष

चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण हो.

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करते समय बैंक के संबंधित निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा बैंक को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

बैंक का निदेशक मण्डल उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार है.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन स्टैंडअलोन विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों.

लेखा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के रूप में, लेखापरीक्षा के दौरान हम व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही :

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में बड़ी दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हों. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों में उचित लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम निदेशक मण्डल द्वारा लेखांकन के 'निरंतर चल रही संस्था' आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो 'निरंतर चलने वाली संस्था' के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के 'निरंतर चलने वाली संस्था' नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.

वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती

है जिससे वित्तीय विवरणों के किसी यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक गंभीरता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं. हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहां प्रयोजनीय हो वहां संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो हमारे व्यवासायिक विवेक के अनुसार वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम ऐसी मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या, जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

7. अन्य मदें

- बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का पूर्ववर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया जा चुका है. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों की दिनांक 24 मई 2024 की रिपोर्ट में अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी. इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

बैंक का तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखा, उसके शीर्षों और उप-शीर्षों सहित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 के अध्याय IV की अनुसूची 'अ' और अनुसूची 'आ' के अनुसार तैयार किया गया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँग और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे संज्ञान में बैंक के जो लेनदेन आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत किए गए हैं.

ग) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण बैंक की लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरा न किए गए क्षेत्रीय कार्यालयों तथा स्टाफ कॉलेजों से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारे अभिमत में ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सभी प्रकार से लागू लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता सं.: 102306

यूडीआईएन: 25102306BMHK0C3892

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैण्डअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	पूँजी (नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	63,413.71	55,787.40
3	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
4	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
5	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
6	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.07
7	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
8	उधार	7	2,51,220.50	2,01,082.58
9	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,109.70	24,500.88
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
स्टैण्डअलोन तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2023 की स्थिति
1	नकद और बैंक शेष	9	45,358.92	37,354.14
2	निवेश	10	91,817.30	69,827.79
3	अग्रिम	11	8,39,055.03	7,95,104.30
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	559.91	548.84
5	अन्य आस्तियाँ	13	7,839.78	8,027.49
	कुल		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.
इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और की ओर से

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी.
उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैण्डअलोन लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		50,675.74	43,432.35
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,791.10	3,682.74
(ख)	निवेशों पर लाभांश		43.72	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.17
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,482.03	867.33
3	अन्य प्राप्तियाँ		99.15	69.79
	कुल "अ"		**58,424.41**	**48,846.60**

	व्यय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची - 18 की टिप्पणी आ - 28 देखें)	14	44,861.17	36,912.84
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	2,952.78	3,365.24
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 आ	152.61	136.02
4	प्रावधान	16	246.45	316.81
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		56.79	47.78
	कुल "आ"		**48,269.80**	**40,778.69**
6	**कर-पूर्व लाभ (अ - आ)**		**10,154.61**	**8,067.91**
7	**प्रावधान के लिए**			
	क) आय कर		2,450.00	1,990.00
	ख) गत वर्षों के लिए आय कर समायोजन		-	-
	ग) आस्थगित कर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)		76.28	(25.21)
8	**कर-पश्चात् लाभ**		**7,628.33**	**6,103.12**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

नोट - अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.
उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
लाभ और हानि विनियोजन लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

Sr. No.	विनियोजन/ आहरण	2024-25	2023-24
1	**वर्ष का लाभ- नीचे लाया गया**	7,628.33	6,103.12
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष निधियों से आहरण [अनुसूची 1 देखें]		
क)	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
ख)	अनुसंधान और विकास निधि	48.00	42.30
ग)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
घ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ङ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.28	28.27
च)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
छ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ज)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
झ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ**	**7,832.78**	**6,281.44**
	घटाएँ : निम्नलिखित में अंतरित किया गया: [अनुसूची 1 और 2 देखें]		
क)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियाँ	850.00	700.00
ख)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
घ)	अनुसंधान और विकास निधि	98.00	42.30
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
छ)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
ज)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
झ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ञ)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ट)	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
ठ)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ड)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ढ)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
ण)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास निधि	100.00	-
त)	प्रारक्षित निधि	5,226.32	5,401.12
	कुल	**7,832.78**	**6,281.44**

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या: 121750W / W100010

बोर्ड के लिए और

की ओर से
रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक

मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

लेखा विभाग

डॉ अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
27 मई 2025

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	लाभ-हानि विनियोजन से परिवर्धन/ अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित/ आहरण	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
1	प्रारक्षित निधि *	39,799.13	5226.32	-	45,025.45
2	अनुसंधान और विकास निधि	50.00	98.00	48.00	100.00
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	74.81
4	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	1,885.70
5	सहकारिता विकास निधि	200.00	154.55	54.55	300.00
6	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधियाँ	13,150.00	850.00	-	14,000.00
7	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	300.00	0.29	0.29	300.00
8	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	3.18	3.18	50.00
9	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	34.28	34.28	60.00
10	ग्राम्य विकास निधि	110.00	57.69	57.69	110.00
11	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	20.00
12	उत्प्रेरक पूँजी निधि	20.00	2.52	2.52	20.00
13	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	17.75
14	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	3.94	3.94	50.00
15	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	1000.00	-	1,000.00
16	नाबार्ड कार्बन निधि	-	300.00	-	300.00
17	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास निधि	-	100.00	-	100.00
	कुल	**55,787.39**	**7,830.77**	**204.45**	**63,413.71**
	गत वर्ष	**49,686.27**	**6,279.44**	**178.32**	**55,787.39**

नोट: 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड (अतिरिक्त) सामान्य विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि सेखा को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूंकि बैंक में लाभ और हानि खाते में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को प्रारक्षित निधि में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर इसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505,.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	गत वर्ष	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियां

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम - वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईजेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) – परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईजेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	ब्याज विभेदक निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	ब्याज विभेदक निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि (i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़ - आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ - कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन को ऑपरेटिव्ज - (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी (ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

 # अनुसूची 18 का आ-25 देखें

(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

(ii) उक्त में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावध्याान शामिल है - ₹15.15 करोड़

अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
अ	**सरकारी सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी - एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम - बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम - कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन – पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदे	0.09	-	0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम - सोलर लाइटिंग	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टेइक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस - एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-

क्रम. सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जमा ब्याज#	वर्ष के दौरान व्यय/ समायोजन	31.03.2025 की स्थिति में शेष राशि
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुन:संरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडबल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना - पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर - भारत सरकार	-	62.50	-	-	62.50
	कुल	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	गत वर्ष	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

#अनुसूची 18 का आ-25 देखें

* ₹50,000/- से कम राशि को दर्शाता है

अनुसूची 5 - जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	**अन्य**		
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.80
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00
	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	**2,75,991.45**	**3,01,958.07**

अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम (जी) - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉण्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

अनुसूची 7 - उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	**अन्य**		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाण-पत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	51,708.00	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,655.89	94,007.43
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	517.99	551.52
	कुल	**2,51,220.50**	**2,01,082.58**

अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,196.55	10,185.96
2	विविध लेनदार	3,278.44	3,374.62
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	27.64	25.81
4	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	19.52	10.47
5	पेंशन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	434.85	126.64
6	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	392.00	378.50
7	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.2 देखें)	192.17	170.21
8	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-35 देखें)	667.17	318.17
9	बॉण्डों पर ब्याज - जिसका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
10	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
11	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
12	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतर्राष्ट्रीय उधार	0.24	-
13	**प्रावधान और आकस्मिकताएँ**		
(क)	निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		
	(ik) केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(ikh) राजकोष बिल	-	-
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46
	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
(ख)	परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
(ग)	मानक आस्तियों हेतु	3,523.46	3,302.00
(घ)	अनर्जक निवेश	299.26	317.32
(ङ)	काउंटरसाइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविजन	2,014.45	2,014.45
(च)	अन्य आस्तियों और प्राप्य राशियों हेतु प्रावधान	4.45	4.45
(छ)	आयकर हेतु प्रावधान (अग्रिम कर को घटाकर) (वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अग्रिम कर ₹2,565 (₹2,140))	2,936.39	3,005.98
	कुल	**26,109.70**	**24,500.88**

नोट- अनर्जक अग्रिमों को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	हाथ में रोकड़	-	-
2	**निम्नलिखित के पास शेष :**		
	अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिजर्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,437.74	3,747.24
	ख) बैंकों में जमा#	33,353.15	22,590.00
	(iii) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	**त्रिपक्षीय रेपो – ऋण वितरण**	999.31	7,455.32
	कुल	**45,358.92**	**37,354.14**

इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

अनुसूची 10 - निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य ₹5,21,76,90,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]	53,060.25	34,497.72
	ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]	11,297.96	18,806.69
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के	966.27	966.27

	इक्विटी शेयर]		
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.87	16.87
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड [55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद् [4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.00*	0.00*
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नैशनल ई-रेपोजीटरी लि. [105,30,000 (105,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क [40,00,000 (10,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	40.00	40.00
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड [2,87,329 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	56.76	-
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कन्सल्टींग प्राइवेट लिमिटेड [23,333 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	3.84	-
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-34 देखें)	65.19	134.06
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	826.12
5	**सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता**		
(क)	**सहायक कंपनियों में शेयरधारिता**		
(i)	नैबर्फिस लि. (पूर्व में नाबार्ड फाईनैन्शियल सर्विसेज [कर्नाटक] लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) [10,20,06,300 (10,20,06,300] - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	102.01	102.01
(ii)	नैबसमृद्धि फाइनांस लिमिटेड [11,27,88,000 (11,27,88,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	145.06	145.06
(iii)	नैबकिसान फाइनांस लिमिटेड [15,05,00,063 (15,05,00,063) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	227.57	227.57
(iv)	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि. [2.50,00,000 (50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	25.00	5.00
(v)	नैबवेंचर्स लि. [5,00,00,000 (2,50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	25.00
(vi)	नैबफाउंडेशन [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी	50.00	50.00

	शेयर]		
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(ख)	**संयुक्त उद्यम**	-	-
6	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,602.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)	1,453.08	185.05
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र [अंकित मूल्य ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)	16,100.04	7,900.10
(घ)	उद्यम पूँजी निधियाँ/ एआईएफ़	536.04	414.51
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-21.2 देखें]	10.95	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
	कुल	**91,817.30**	**69,827.79**

*₹50,000/- से कम की राशि को दर्शाते है.

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**31.03.2025 की स्थिति**	**31.03.2024 की स्थिति**
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		
(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	295.89	331.85
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठन के लिए ऋण	0.14	0.53
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.81	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.88
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.50
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	-
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69

(ii)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,39,055.03**	**7,95,104.30**

नोट: ₹2,005.32 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,983.25 करोड़).

अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	195.79	195.79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	195.79	195.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	195.79	195.79
	घटाएँ : लीज प्रीमियम का परिशोधन	67.16	65.70
	बही मूल्य	**128.63**	**130.09**
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	659.20	652.24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	9.27	6.96
	उप-जोड़	668.47	659.20
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	668.47	659.20
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	374.03	350.27
	बही मूल्य	**294.44**	**308.93**
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	67.23	66.70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	0.67	0.72
	उप-जोड़	67.90	67.42
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.18	0.19
	इति शेष (लागत पर)	67.72	67.23
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	63.77	61.62
	बही मूल्य	**3.95**	**5.61**
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	248.72	216.45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	34.69	34.34
	उप-जोड़	283.41	250.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	6.57	2.07
	इति शेष (लागत पर)	276.84	248.72

	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	229.07	210.35
	बही मूल्य	**47.77**	**38.37**
5	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	14.84	13.30
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	6.99	6.06
	उप-जोड़	21.83	19.36
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	15.97	14.84
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	5.97	5.93
	बही मूल्य	**10.00**	**8.91**
6	जारी पूंजीगत कार्य [जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है]	75.12	56.93
	कुल	**559.91**	**548.84**

नोट - अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन और बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	उपचित ब्याज	6,006.03	5,564.26
2	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.56	1.39
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.21	54.14
5	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	96.13	95.00
7	विविध अग्रिम	83.83	75.04
8	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)	113.95	190.23
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ - 26 और आ - 28 देखें)	1,193.46	1,486.25
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी	7.16	2.43
	कुल	**7,839.78**	**8,027.49**

अनुसूची 14 - ब्याज और वित्तीय प्रभार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	**निम्नलिखित पर अदा किया गया ब्याज**		
(क)	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत जमाराशियाँ	6,752.89	6,042.03
(ख)	अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	1,975.77	2,169.93
(ग)	अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	574.67	653.48
(घ)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	105.27	121.11
(ङ)	दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	1,599.15	1,440.00
(च)	खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निधि	19.69	15.55
(छ)	चाय/ कॉफी/ रबड़ जमाराशियाँ	2.35	2.82
(ज)	मीयादी मुद्रा उधार	39.73	112.97
(झ)	बॉण्ड (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-28 और 36 देखें)	21,322.39	16,367.23
(ञ)	बैंकों से प्राप्त मीयादी ऋण	6,153.59	5,280.67
(ट)	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से उधार	6.20	16.28
(ठ)	वाणिज्यिक पत्र पर डिस्काउंट	2,506.68	2,182.71
(ड)	जमा प्रमाण-पत्र पर डिस्काउंट	2,020.56	1,620.20
(ढ)	रेपो ब्याज व्यय	10.58	14.50
(ण)	निधियों पर अदा किया गया ब्याज	186.82	187.09
(त)	अल्पावधि जमाराशियों के समक्ष उधार	-	3.18
(थ)	प्रतिबद्धता शुल्क - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
2	सीबीएलओ/ टीआरईपीएस पर डिस्काउंट	1,505.68	606.16
3	बॉण्ड और प्रतिभूतियों पर डिस्काउंट, ब्रोकरेज, कमीशन और निर्गम व्यय	60.95	52.81
4	स्वैप प्रभार	17.96	24.12
	कुल	**44,861.17**	**36,912.84**

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	1,248.87	1,360.80
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	822.17	1,298.04
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.20	0.21

5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.27	0.31
6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	44.79	41.70
7	यात्रा व्यय	64.24	56.49
8	मुद्रण और लेखन सामाग्री	7.04	6.16
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	31.07	23.49
10	मरम्मत	18.76	16.88
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.34	0.26
12	विधिक प्रभार	2.41	2.15
13	विविध व्यय	274.32	217.20
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	**2,952.78**	**3,365.24**

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	34.28	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	**152.61**	**136.02**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
1	मानक आस्तियाँ	221.46	370.00
2	अनर्जक आस्तियाँ	33.49	(67.97)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**246.45**	**316.81**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	37.34
	उप जोड़ "अ"	**68.12**	**37.34**
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	2.16	24.18
(ii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.00	416.17
	उप जोड़ "आ"	417.16	440.35
	कुल (अ + आ)	**485.28**	**477.69**

अनुसूची 18

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु एकल आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और टिप्पणियाँ

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्त्वपूर्ण पहलुओं; भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों (एएस) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. उन मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा उल्लिखित है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिर्पोटिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

3. राजस्व निर्धारण:

3.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

i) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii) ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न करने पर, प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii) विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv) किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

3.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. बॉण्ड के निर्गम से संबंधित व्ययों, लागू स्टांप शुल्क सहित, को बॉण्ड के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

3.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

3.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

3.5 अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

1) दंडात्मक ब्याज

2) लागत और प्रभार

3) अतिदेय ब्याज और ब्याज

4) मूलधन

3.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान, निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

3.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ डिक्री प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:-

i) संबंधित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.

ii) न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के न होने की स्थिति में, उपर्युक्त बिन्दु 3.5 के अनुसार.

4. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

4.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटाकर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूँजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

4.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

4.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं है.

4.4 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में संशोधन किया गया है और 30 वर्षों की अवधि के लिए मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

4.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर भुगतान किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

4.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूँजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

4.7 अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित्त की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों के प्रकार	*मूल्यह्रास की दर*
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

4.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूँजीकृत किया जाता है और यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

4.9 चल रहे पूँजीगत कार्य में पूँजी अग्रिम शामिल है और इसे अचल संपत्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

5. निवेश

5.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है) में वर्गीकृत किया गया है.

5.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तारीख से 90 दिनों के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित की जाती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

5.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या कम है उन्हे अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी होने की स्थिति में, अस्थाई कमी को छोड़कर, यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आती है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए प्रावधानों को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

5.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

5.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को अखिल भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा. लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार दर के अनुसार मार्क किया गया है. निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को "एचएफटी" के रूप में वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

5.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

5.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारिता लागत पर किया गया है.

5.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो कोट न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार अथवा ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

5.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

5.12 शेयर बाज़ार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज की राशि को पूंजीकृत किया गया है.

5.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

5.14

क्र. सं.	**मौजूदा श्रेणी**	**प्रस्तावित श्रेणी**	**लेखांकन नीति**
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य / परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

5.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

5.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

5.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

5.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी कंपनी/ संस्था द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए है, तो उस कंपनी/ संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, अर्थात् बांड, डिबेंचर आदि के मामले में जहां उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी, इनमें से जो भी अधिक हो, मानदंडों के आधार पर प्रावधान किया गया है.

5.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विकयुक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

5.20 डेरिवेटिव लेनदेन हेजिंग उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है. ऐसी आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाज़ार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर स्वैप के शेष संविदात्मक समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

6. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

6.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रावधानन के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

6.2 अग्रिमों की पुन:संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

6.3 अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया गया है.

6.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में "वर्तमान देयता और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

7. विदेशी मुद्रा लेनदेन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखा मानक (एएस-11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेन-देनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

7.1 रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफईडीएआई/ एफबीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा की आस्तियों और देयताओं का पुन: मूल्यांकन किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को

संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है. वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार हेज किए गए उधार की देयता को तुलन-पत्र में कॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

7.2 हेज लेनदेन हेतु, आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करार के अनुसार अनुबंधित दर पर परिवर्तित किया गया है.

8. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

8.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

8.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

8.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्ष के अंत में/ रिपोर्टिंग तिथि पर पुन: मूल्यांकित किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाता में "वायदा विनिमय संविदा लेखा के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा" शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

9. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

9.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

9.2 सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ:

i) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई "एनपीएस - कार्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) परिभाषित लाभ योजना

क. बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए बैंक द्वारा निधि प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

ख. 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंध एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

10. आय पर कर

10.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप कर योग्य कर आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

10.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तारीख को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों या स्थानापन्न रूप से अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

10.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

10.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा/ प्रावधान किए गए करों की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

11. खंड रिपोर्टिंग

11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

11.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल है. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

11.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

11.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

12. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

12.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

i) यदि क्षतिग्रस्ततताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान; अथवा

ii) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

12.2 क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस-29)

13.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन वास्तविक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता है;

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

13.2 आकस्मिक देयता को निम्न मामलों में प्रकट किया गया है:

क. पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना नहीं हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख. कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं हो, और

ग. पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जहाँ संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना नगण्य हो.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

13.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

(ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

15. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से ज्यादा हो.

16. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखा मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है, तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. पूँजी

1.1 तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पूँजीगत अंशदान का स्वरूप :

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्राधिकृत पूँजी ₹30000 करोड़ थी. बैंक की कुल चुकता पूँजी भारत सरकार द्वारा अभिदत्त की गई है जिनका विवरण निम्नानुसार है :

अंशदानकर्ता	2024-25		2023-24	
	(₹ करोड़)	%	(₹ करोड़)	%
भारत सरकार	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
कुल	**17,080.00**	**100.00**	**17,080.00**	**100.00**

1.2 पूँजी पर्याप्तता

1.2.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III पूँजी फ्रेमवर्क, एक्सपोज़र मानदंडों, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के परिचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन संग्रहण के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार की जाती है.

1.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9% के समक्ष 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 25.58% (बेसल III) (16.45% बेसल I) था.

1.2.3 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसरण में राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण - दीर्घावधि परिचालन (एनआरसी-एलटीओ) निधि से वित्तपोषित ₹14505 करोड़ (₹14503 करोड़) की आस्तियों को सीआरएआर की गणना के प्रयोजन से बाहर रखा गया है.

1.2.4 जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के विभिन्न मानदंडों का विवरण नीचे दिया गया है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25 (बेसल III के अनुसार)**	**2023-24 (बेसल I के अनुसार)**
(i)	सामान्य इक्विटी	75530.63	69611.39
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	0.00
(iii)	कुल टियर 1 पूंजी (i + ii)	75530.63	69611.39
(iv)	टियर 2 पूंजी	3008.33	5398.41
(v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	78538.96	75009.80
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	307015.65	456057.89
(vii)	सामान्य इक्विटी अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	24.60	15.27
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	24.60	15.27
(ix)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)	25.58	16.45
(x)	एआईएफ़आई में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00	100.00
(xi)	एकत्र की गई इक्विटी पूंजी की राशि	0.00	0.00
(xii)	एकत्र की गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से	0.00	0.00
	(a) स्थायी असंचयी वरीयता शेयर (पीएनसीपीएस) :	0.00	0.00
	(b) स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई)	0.00	0.00
(xiii)	एकत्र की गई टियर 2 पूंजी की राशि: जिसमें से	0.00	0.00
	(क) ऋण पूंजी लिखत:	0.00	0.00
	(ख) स्थायी संचयी वरीयता शेयर (पीसीपीएस)	0.00	0.00

	(ग) मोचन-योग्य असंचयी वरीयता शेयर (आरएनसीपीएस)	0.00	0.00
	(घ) मोचन-योग्य संचयी वरीयता शेयर (आरसीपीएस)	0.00	0.00

2. निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और प्रावधान

2.1 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	221.46	370.00

2.2 प्रतिचक्रीय प्रावधानन बफ़र:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(क)	अस्थयी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की प्रमात्रा#	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान आहरित राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अस्थयी प्रावधान करने का निर्णय लिया है ताकि किसी असाधारण अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में इनका उपयोग किया जा सके.

3. आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 अनर्जक अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(i)	**निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)**	0.00	0.00
(ii)	**अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	34.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29
(iii)	**निवल अनर्जक अग्रिमों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		

(क)	प्रारंभिक शेष	1983.29	2041.78
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	34.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(12.04)	(58.49)
(घ)	इति शेष	2005.34	1983.29

3.2 अनर्जक निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(i)	**निवल निवेश की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव (सकल)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	2.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(20.06)	(9.48)
क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(घ)	इति शेष	299.26	317.32
(iii)	**निवल अनर्जक निवेश में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**निवल अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(20.06)	(9.48)
(घ)	इति शेष	299.26	317.32

3.3 अनर्जक आस्तियाँ (3.1+3.2)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(i)	**निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिम + निवेश) (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)**		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	36.09	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61
(iii)	**निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव**		
(क)	प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
(ख)	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	0.00	0.00
(ग)	वर्ष के दौरान हुई कमी की राशि	0.00	0.00
(घ)	इति शेष	0.00	0.00
(iv)	**अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव**		

	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधान के अलावा)		
(क)	प्रारंभिक शेष	2300.61	2368.58
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	36.09	0.00
(ग)	अधिक प्रावधान का अपलेखन/ प्रतिलेखन	(32.11)	(67.97)
(घ)	इति शेष	2304.59	2300.61

3.4 पुनःसंरचित खातों के विवरण

चालू वित्तीय वर्ष में दो ऋण खातों को पुन:संरचित किया गया.

(राशि ₹ करोड़ में)

	पुन:संरचना का प्रकार		सीडीआर प्रणाली में					एसएमई ऋण पुन:संरचना प्रणाली में					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण / विवरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	01 अप्रैल 2024 को पुन:संरचित खातों की स्थिति	उधारकर्ताओं की सं.											7	0	2	0	9	7	0	2	0	9
		बकाया राशि											220.97	0.00	14.23	0.00	235.20	220.97	0.00	14.23	0.00	235.20
		प्रावधान *											12.04	0.00	14.23	0.00	26.27	12.04	0.00	14.23	0.00	26.27
2	वर्ष के दौरान नई पुन:संरचना/ अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.											3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
		बकाया राशि											999.13	0	0	0	999.13	999.13	0	0	0	999.13
		प्रावधान *											45.96	0	0	0	45.96	45.96	0	0	0	45.96
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की सं.											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		प्रावधान *											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पुन:संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्चतर प्रावधान और/ या अतिरिक्त जोखिम भार आवश्यक नहीं रहा और इसलिए जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुन: संरचित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाना आवश्यक नहीं रहा	उधारकर्ताओं की सं.											2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		बकाया राशि											108.92	0	0	0	108.92	108.92	0	0	0	108.92
		प्रावधान *											5.45	0	0	0	5.45	5.45	0	0	0	5.45
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अवनयन	उधारकर्ताओं की सं.											0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
		बकाया राशि											0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
		प्रावधान *											0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुन:संरचित खातों का अपलेखन/ वसूली	उधारकर्ताओं की सं.											5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		बकाया राशि											41.59	0	0	0	41.59	41.59	0	0	0	41.59
		प्रावधान *											3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	3.08

7	31 मार्च 2025 की स्थिति में पुन: संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.		5	2	2	0	9	5	2	2	0	9
		बकाया राशि		1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	1045.26	24.32	14.23	0	1083.81
		प्रावधान *		52.26	24.32	14.23	0	90.81	52.26	24.32	14.23	0	90.81

** प्रावधान में सामान्य मानक आस्ति प्रावधान और पुनःसंरचना के कारण अतिरिक्त प्रावधान शामिल*

3.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के लिए ऋण (एस4ए)

वर्ष 2016-17 के दौरान, दबावग्रस्त आस्तियों की संधारणीय संरचना से संबंधित योजना के अंतर्गत ₹46.91 करोड़ के दबावग्रस्त ऋण खाते की समाधान योजना पर विचार किया गया. समाधान योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
भाग - अ		
(i) बकाया ऋण	**0.00**	**0.00**
भाग - आ		
इक्विटी शेयर	**0.00**	**0.00**
वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर	**26.74**	**28.87**
कुल	26.74	28.87

यह खाता अभी भी एनपीआई में है और एस4ए दिशानिर्देशों के अनुसार बकाया राशि पर 100% का प्रावधान किया गया है.

3.6 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(i)	01 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियाँ	1983.29	2041.78
(ii)	वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	34.09	0.00
	उप-जोड़ (अ)	**2017.38**	**2041.78**
घटाएँ:			
(i)	उन्नयन	0.00	0.00
(ii)	वसूली (उन्नयन किए गए खातों से हुई वसूली को छोड़कर)	0.44	58.37
(iii)	तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
(iv)	उपर्युक्त (iii) से इतर अपलेखन	11.60	0.12
	उप-जोड़ (आ)	**12.04**	**58.49**
31 मार्च की स्थिति में सकल अनर्जक आस्तियाँ (अ-आ)		**2005.34**	**1983.29**

3.7 अपलेखन और वसूली

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
01 अप्रैल को तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों का प्रारंभिक शेष	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलेखन	0.00	0.00
उप-जोड़ (अ)	0.00	0.00

घटाएँ: वर्ष के दौरान पहले के तकनीकी/ विवेकपूर्ण अपलिखित खातों से हुई वसूली (आ)	0.00	0.00
31 मार्च को इति शेष (अ-आ)	0.00	0.00

नोट: तकनीकी या विवेकपूर्ण अपलेखन की राशि अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में बकाया है लेकिन जिन्हें प्रधान कार्यालय स्तर पर अपलिखित (पूर्णतः या अंशतः) कर दिया गया है.

3.8 विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और राजस्व

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
कुल आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल अनर्जक आस्तियाँ	0.00	0.00
कुल राजस्व	0.00	0.00

3.9 मूल्यह्रास और निवेशों के लिए प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
(1)	**निवेश**		
(i)	सकल निवेश *		
	(क) भारत में	91752.11	69693.73
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान *		
	(क) भारत में	299.26#	317.32
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवल निवेश *		
	(क) भारत में	91446.57	69376.41
	(ख) भारत के बाहर	0.00	0.00
(2)	**निवेश के मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**		
(i)	प्रारंभिक शेष	317.32	326.80
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2.00	0.00
(iii)	वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई हो	0.00	0.00
(iv)	घटाएँ: वर्ष के दौरान अपलिखित/ प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान	(20.06)	(9.48)
(v)	घटाएँ: निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित खाते से अंतरण, यदि कोई हो	0.00	0.00
(vi)	इति शेष	299.26	317.32

* इन आंकड़ों में रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचरों में किया गया निवेश शामिल नहीं है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर 2023 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 90 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/ 21.04.048/ 2023-24 के अनुसार वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) में

निवेश और उसके बाद के दिनांक 27 मार्च 2024 के परिपत्र सं. आरबीआई/ 2023-24/ 140 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/ 21.04.048/ 2023-24 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 6.28 करोड़ के प्रावधान किए गए थे. साथ ही, बैंक ने प्रभाव का पुन: आकलन किया है और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोई भी अतिरिक्त प्रावधान अपेक्षित नहीं है.

4. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**अंकित मूल्य**	**बही मूल्य**
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) – डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
व्यापार खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफ़ॉल्ट निधि	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में इंट्राडे सीमा के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**अंकित मूल्य**	**बही मूल्य**
इंट्राडे सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

5. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित प्रावधान और आकस्मिकताएँ**	**2024-25**	**2023-24**
1	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	(8.50)	14.78
2	अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान (अग्रिम + निवेश)	24.99	(67.97)
3	आयकर के लिए प्रावधान	2450.00	1,990.00

6. प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

चालू वर्ष के कारोबार की समाप्ति तक पीसीआर [प्रावधानों (इसमें अनुसूची-18 के नोट सं. 2.2 के अनुसार प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर शामिल है) में सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात] 187.41% (185.56%) रहा.

7. निवेश पोर्टफोलियो: संघटन और परिचालन

7.1 रेपो लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	103.64 (1277.38)	4896.21 (5141.30)	154.95 (215.29)	4896.21 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

7.2 ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संघटन का प्रकटन *

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	'निवेश ग्रेड से नीचे' की प्रतिभूतियों की सीमा	रेट न की गई प्रतिभूतियों की सीमा	'अनलिस्टेड' प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू	230.50 (155.55)	230.50 (155.55)	–	-	-
(ii)	सरकार	64358.21 (53304.41)	64358.21 (53304.41)			
(iii)	वित्तीय संस्थाएँ	4170.15 (619.97)	4170.15 (619.97)	–	–	–
(iv)	बैंक	13197.93 (7280.13)	13197.93 (7280.13)	–	–	–
(v)	निजी कॉरपोरेट	807.53 (855.62)	807.53 (855.62)	–	–	–
(vi)	सहायक संस्थाएँ/ संयुक्त वेंचर	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	अन्य	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(viii)	मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान	(297.26) (317.32)	(297.26) (317.32)	–	–	–
	कुल	**82467.06 (61898.36)**	**82467.06 (61898.36)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**

***** ऋण प्रतिभूतियों में ट्रेजरी बिल, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण-पत्र आदि सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं जिन्हें बही मूल्य पर दर्शाया गया.

7.3 एचटीएम श्रेणी से/ में बिक्री और अंतरण

वर्ष के दौरान, राज्य सरकार विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹561.69 करोड़ (अंकित मूल्य ₹510.00 करोड़) था और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को एएफएस से एचटीएम श्रेणी में स्थानांतरित किया गया, जिसका बही मूल्य ₹4017.55 करोड़ (अंकित मूल्य ₹3580.68 करोड़) था.

31 मार्च 2025 को ₹11454.21 करोड़ के बही मूल्य के समक्ष परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत नाबार्ड के पास उपलब्ध कुल निवेश का बाज़ार मूल्य ₹17139.62 करोड़ था.

7.4 उद्यम पूँजी निधि में निवेश पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 21 सितंबर 2023 के (बेसल III कैपिटल फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों के संचालन और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए संसाधन जुटाने के मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियम) निर्देश, 2023 के अनुसार, वीसीएफ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूरे होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया.

8. खरीदी/ बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

8.1 आस्ति पुनःसंरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुनःसंरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

अ. बिक्री का ब्यौरा: शून्य

आ. प्रतिभूति रसीद में निवेश के बही मूल्य का ब्यौरा: शून्य

8.2 खरीदी/ बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

अ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

आ. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा: शून्य

9. परिचालनगत परिणाम

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	6.60	6.14
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	0.02	0.01
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.18	1.06
(iv)	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़ में)*	2.41	1.92

* गणना के प्रयोजनार्थ औसत कर्मचारियों को ध्यान में रखा गया है.

10. ऋण संकेंद्रण जोखिम

10.1 पूंजी बाजार एक्सपोज़र

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी समूह निधि को पूरी तरह से कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है. $$	1936.47	1730.88
2	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा व्यक्तियों को क्लीन बेसिस पर शेयर में निवेश के लिए (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाइयों के समक्ष अग्रिम;	0.00	0.00
3	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयर अथवा परिवर्तनीय बॉन्ड अथवा	0.00	0.00

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;		
4	किसी अन्य प्रयोजन के लिए शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाई द्वारा प्रतिभूत सीमा तक अग्रिम, अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: कवर नहीं करती.	0.00	0.00
5	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूतियुक्त और बिना प्रतिभूति के अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों और मार्केटमेकरों की ओर से जारी गारंटियाँ;	0.00	0.00
6	शेयर/ बॉण्ड/ डिबेंचर की प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा क्लीन बेसिस पर नई कंपनियों के संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेटों को स्वीकृत ऋण;	0.00	0.00
7	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह / निर्गमों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज लोन;	0.00	0.00
8	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बॉण्ड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी आधारित म्युचुअल फंड की इकाईयों को प्राथमिक निर्गमों के संदर्भ में एआईएफआई द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	0.00	0.00
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण;	0.00	0.00
10	उद्यम पूंजी निधियों को लिए सभी एक्सपोज़र (पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों)	536.04	414.51
पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर		**2472.51**	**2145.39**

$$ इक्विटी शेयर, सहायक संस्थाएँ और अन्य रणनीतिक निवेश

10.2 देश जोखिम में एक्सपोजर : शून्य

11. विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाएँ - एआईएफ़आई द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक एक्सपोज़र

11.1 वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक एक्सपोजर की संख्या और राशि: शून्य

11.2 पूँजी निधियों के प्रतिशत और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोज़र.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	श्रेणी	2024-25		2023-24	
		% के रूप में ऋण एक्सपोजर		% के रूप में ऋण एक्सपोजर	
		पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ	पूंजीगत निधियाँ	कुल आस्तियाँ
I	सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	62.16	4.96	65.08	5.36
II	सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	
III	वर्ष के बीस सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	516.20	41.17	560.16	46.13
IV	वर्ष के बीस सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	शून्य		शून्य	

11.3 पाँच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर : लागू नहीं

11.4 ऐसा कोई अग्रिम नहीं हैं जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार लिया गया हो और इसलिए ऐसे अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के विवरण लागू नहीं होते हैं

11.5 फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर: लागू नहीं

11.6 ऐसे एक्सपोजर जहां वित्तीय संस्था ने वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं को पार किया है : शून्य

12. उधारों/ ऋण सीमाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण

12.1उधारों और ऋण सीमाओं का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	575394.80	554469.25
(ii)	कुल उधार में बीस सबसे बड़े उधारदाताओं के उधार का प्रतिशत	67.01	70.00

12.2 ऋण एक्सपोज़र का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोज़र	405418.47	420172.85
(ii)	एआईएफ़आई के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को एक्सपोज़र का प्रतिशत	48.20	52.70

12.3 एक्सपोज़रों और अनर्जक आस्तियों का सेक्टर-वार संकेन्द्रण

सेक्टर-वार अग्रिम नीचे दिए गए हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

		2024-25			2023-24		
क्रम. सं.	विवरण	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	सेक्टर में कुल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का %
I.	**कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित कृषि क्षेत्र***	**841125.53**	**2005.32**	**0.24**	**797221.61**	**1983.25**	**0.25**
1	केंद्र सरकार	83100.97	0.00	0.00	84124.79	0.00	0.00
2	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	राज्य सरकारें	232460.92	0.00	0.00	216838.69	0.00	0.00
4	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	48845.66	0.00	0.00	33188.01	0.00	0.00
5	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	150213.33	0.00	0.00	168872.09	0.00	0.00
6	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	77440.90	0.00	0.00	76964.14	0.00	0.00

7	सहकारी बैंक	184097.41	0.00	0.00	170637.78	0.00	0.00
8	निजी क्षेत्र (बैंकों को छोड़कर)	15685.00	124.29	0.79	13628.07	102.22	0.75
9	अन्य रासकृग्रावि बैंक/ भूवि बैंक/ एनबीएफसी-एमएफआई/ एडीएफसी	49281.34	1881.03	3.82	32968.04	1881.03	5.71
II.	**अन्य**	**284.61**	**0.02**	**0.01**	**237.59**	**0.04**	**0.02**
1	निर्माण क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	स्टाफ ऋण#	284.61	0.02	0.01	237.59	0.04	0.02
	कुल (I+II)	**841410.15**	**2005.34**	**0.24**	**797459.20**	**1983.29**	**0.25**

* इनमें आरआईडीएफ़, डब्ल्यूआईएफ़, नीडा आदि जैसे प्रमुख ऋण शामिल हैं.

अनुसूची 13 में "अन्य अग्रिम" के अंतर्गत समूहन किया गया.

12.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र: शून्य

13. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

13.1 वायदा दर करार/ ब्याज दर स्वैप - शून्य

13.2एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्न - शून्य

13.3व्युत्पन्नों में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन :

गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक विदेशी मुद्रा उधारों से उत्पन्न होने वाले विनिमय जोखिम की हेजिंग के लिए व्युत्पन्नों का उपयोग करता है. बैंक द्वारा किए गए सभी व्युत्पन्न, विदेशी मुद्रा उधार के रूप में अंतर्निहित हेजिंग उद्देश्यों के लिए हैं, जो एमटीएम नहीं हैं, बल्कि केवल ट्रांसलेटेड हैं. बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है.

(ii) हेजिंग के लिए आंतरिक नियंत्रक दिशानिर्देश, बोर्ड द्वारा तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही व्युत्पन्न संरचना तैयार की जाती है. व्युत्पन्न विवरणों के ब्यौरे भी एल्को को सूचित किए जाते हैं.

(iii) बैंक ने व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले जोखिम को कम करने के लिए प्रणाली स्थापित की है. व्युत्पन्न सौदों से उत्पन्न होने वाले लेनदेन के लेखांकन के लिए बैंक प्रोद्भवन पद्धति का अनुसरण करता है.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(i) बैंक व्युत्पन्नों में ट्रेडिंग नहीं करता है. तथापि, इसने $61.68 मिलियन ($69.48 मिलियन) की सीमा तक के अपने अंतरराष्ट्रीय उधारों की हेजिंग की है. विदेशी मुद्रा उधारों की हेजिंग के परिणामस्वरूप उसे स्वैप करार/ वायदा संविदा के अनुसार संविदाकृत मूल्य पर दर्शाया गया है.

(ii) वर्ष के अंत में विनिमय दर के अनुसार हेज संविदा की बकाया मूलधन की राशि और ब्याज की राशि ₹529.50 करोड़ (₹579.49 करोड़) रही और लेखा बहियों में मूलधन बकाया देयता का मूल्य ₹517.99 करोड़ (₹551.52 करोड़) था. इस संबंध में राशि के रूप में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25		2023-24	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (नोशनल प्रिंसिपल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	517.99		551.52	
	ख) ट्रेडिंग के लिए	--		--	

(ii)	मार्केड टु मार्केट पोजीशन				
	क) आस्ति (+)			17.00	
	ख) देयता (-)	(4.55)		--	
(iii)	ऋण एक्सपोज़र [2]	46.59		17.00	
(iv)	ब्याज दरों में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	16.66		(1.07)	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
	क) हेजिंग व्युत्पन्न पर	--		--	
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्न पर	--		--	

14. एआईएफआई द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कंफ़र्ट (एलओसी) का प्रकटन: शून्य

15. आस्ति देयता प्रबंधन

बैंक की आल्को नीति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता पद्धति निर्धारित की गई है जो निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीना	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	0.00	0.00	650.00	10275.76	37948.11	47643.08	91876.66	87597.84	275991.45
अग्रिम	36440.64	18538.21	108326.62	81047.63	187588.28	164289.17	137066.22	105758.26	839055.03
निवेश	9570.56	1344.03	12889.44	8788.96	8178.41	6822.66	5133.09	39090.15	91817.30
उधार	58604.34	24708.39	99715.81	39756.90	69157.64	105500.91	76831.11	103793.66	578068.76
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विदेशी मुद्रा देयताएं	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	95.69	95.69	312.30	517.99

16. प्रारक्षित निधियों से आहरण : शून्य

17. व्यवसाय अनुपात

18.

विवरण	2024-25	2023-24
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	10.17	8.85
आस्तियों पर प्रतिफल (%)	0.86	0.77
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ करोड़)	2.41	1.92
लीवरेज अनुपात (%)	7.66	लागू नहीं

19. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन – शून्य

20. शिकायतों का प्रकटन

(क) ग्राहक शिकायतें

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	22	9
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	71	85
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	90	72
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3	22

21. तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है) - नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कोई एसपीवी नहीं है.

22. विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

22.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन.

लाभ और हानि लेखा में पिछली अवधि की निम्नलिखित मदें शामिल हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
कुल		**0.00**	**0.00**

22.2 लेखा मानक 15- "कर्मचारी लाभ"

"कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत लेखा मानक 15 (संशोधित) के तहत अपेक्षित प्रकटन

22.2.1 परिभाषित लाभ योजनाएँ

बैंक की कर्मचारी सेवानिवृति लाभ योजनाओं में उन कर्मचारियों के लिए पेंशन शामिल है जिन्होंने 31 दिसंबर 2011 या उससे पहले बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है. ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ परिभाषित लाभ योजनाएँ हैं. इस दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है जिसमें सेवा की प्रत्येक अवधि से कर्मचारी के लाभ की पात्रता में अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और अंतिम दायित्व के निर्धारण में प्रत्येक इकाई की गणना अलग से की जाती है.

प्रमुख बीमांकिक अनुमान और इन मान्यताओं का आधार

बीमांकिक अनुमान	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
छूट की दर	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
योजनागत आस्तियों पर संभावित प्रतिफल	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
वेतन में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9871.46	8481.01	416.71	422.29	378.50	365.22
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पिछली सेवा लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.80	30.63	32.09	27.82	27.76
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	704.19	1261.65	19.01	18.81	21.73	49.55
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(557.32)	(575.57)	(112.61)	(82.96)	(56.12)	(75.66)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50

योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	9746.28	8482.47	407.45	397.74	86.58	121.52
जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
जोड़ें: बैंक द्वारा योगदान	321.60	1074.75	68.78	53.70	0.00	0.00
बीमांकिक लाभ/(हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
घटाएँ: भुगतान किए गए लाभ	(514.34)	(533.20)	(112.61)	(82.96)	(61.24)	(46.98)
घटाएँ: नियोक्ता द्वारा देय प्रतिपूर्ति	(42.97)	(42.37)	0.00	0.00	0.00	0.00
अवधि की समाप्ति पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	10381.90	9746.28	407.94	407.45	30.34*	86.58*

*इन निवेशों को वित्तीय विवरणों में बही मूल्य पर दर्शाया गया है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार इन निवेशों का बही मूल्य ₹10.95 करोड़ (₹39.26 करोड़) है.

योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	871.33	764.63	44.32	38.97	5.00	12.04

मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - दायित्व	(704.19)	(1261.65)	(19.01)	(18.81)	(21.73)	(49.55)
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि)- योजनागत आस्तियाँ	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
अवधि के लिए कुल लाभ/ (हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
उक्त अवधि में मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
वर्ष के अंत में गैर मान्यताप्राप्त बीमांकिक लाभ/ (हानि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

तुलनपत्र में मान्य राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ देयताओं का वर्तमान मूल्य	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50
घटाएँ: वर्ष के अंत में योजनागत	10381.90	9746.28	407.94	407.45	0.00	0.00

आस्तियों का उचित मूल्य*						
गैर मान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत - निहित लाभ - आगे ले जाए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तुलन-पत्र में मान्य की जाने वाली देयता	434.85	125.18	19.52	9.26	392.00	378.50
तुलन-पत्र में मान्य देयता	434.85	126.64	19.52	10.47	392.00	378.50

*चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है, इसलिए निवेश के लिए योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य ₹30.34 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹86.58 करोड़) है तथा इसे इसके बही मूल्य पर निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

लाभ और हानि लेखे में मान्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

	पेंशन		ग्रेच्युटी		अवकाश सुविधाएँ	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
वर्तमान सर्विस लागत	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
जोड़ें: पिछली सर्विस लागत	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
जोड़ें: ब्याज लागत	699.59	621.81	30.63	32.09	27.82	27.76
घटाएँ: योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	(693.65)	(625.20)	(29.95)	(30.23)	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष में मान्य निवल बीमांकिक लाभ/ (हानि)	526.51	1122.22	4.64	10.07	21.73	49.55
लाभ और हानि विवरण में मान्य किए जाने वाले व्यय	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93
- जिसमें से, पिछले वर्ष के प्रावधानों में से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- कर्मचारियों से प्राप्त योगदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93

***** चूंकि अवकाश लाभों के लिए कोई पृथक ट्रस्ट नहीं है तथा बैंक द्वारा किए गए निवेश को उसके बही खातों में निवेश के रूप में रखा जाता है, इसलिए अपेक्षित प्रतिफल तथा बीमांकिक लाभ/ हानि के संबंध में कोई प्रभाव उपर्युक्त तालिका में नहीं माना गया है.

22.2.2 परिभाषित अंशदान योजना :

(क) नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट में रखी गई भविष्य निधि में बैंक अपना अंशदान करता है. परिभाषाओं के अनुसार यह एक परिभाषित अंशदान योजना है. वर्ष के दौरान बैंक ने नाबार्ड पेंशन फंड ट्रस्ट को ₹30.00 करोड़ (₹38.34 करोड़) का अंशदान किया है.

(ख) 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को नई पेंशन योजना जो कि एक परिभाषित अंशदान योजना है, के तहत शामिल किया गया है. वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त योजना में ₹25.41 करोड़ (₹23.38 करोड़) का अंशदान किया है.

22.2.3 सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए परिभाषित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य ₹21.96 करोड़ (₹21.88 करोड़) को लाभ हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है.

21.2.3.1 पूर्वोक्त देयताओं में सहायक संस्थाओं में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से संबंधित देयताएँ शामिल हैं.

21.2.3.2 सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का परिशोधन

सेवानिवृत्ति पश्चात् की समस्त देयताओं को लाभ हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है और उनका परिशोधन नहीं किया जाता है.

22.2.4 पेंशन, ग्रैच्युटी और छुट्टी लाभ निधि का योजनागत आस्तियों के अंतर्गत निवेश - 31 मार्च 2025 की स्थिति

विवरण	पेंशन	ग्रेच्युटी	साधारण छुट्टी नकदीकरण
	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %	योजनागत आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	20.84	0.00	0.00
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	37.08	0.00	0.00
इंश्योरर द्वारा प्रबंधित निधियाँ	0.00	100.00	100.00
अन्य	42.08	0.00	0.00
कुल	**100.00**	**100.00**	**100.00**

21.3 लेखा मानक 17- खंड रिपोर्टिंग

व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक ने प्राथमिक खंडों की पहचान निम्नानुसार की है :

i) प्रत्यक्ष वित्तपोषण: इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकासात्मक गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) पुनर्वित्त: इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) ट्रेजरी: इसमें ट्रेजरी बिलों, अल्पावधि जमाओं, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड अन्य व्यावसायिक खंड हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, गैर-आबंटन योग्य व्यय / देनदारियों / आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया जाता है.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	ट्रेजरी		पुनर्वित्त		प्रत्यक्ष ऋण		अन्य व्यवसाय		कुल	
व्यवसाय खंड	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	21765.14	18909.70	98.71	67.08	58424.41	48846.60
परिणाम	1425.27	618.77	3571.30	4439.17	7910.98	6172.90	(2752.95)	(3162.94)	10154.60	8067.90

अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10154.60	8067.90
आय पर कर									2526.28	1964.78
असाधारण लाभ/ हानि									0.00	0.00
निवल लाभ									**7628.32**	**6103.12**
अन्य सूचनाएं										
खंड आस्तियाँ	139058.27	101692.90	453289.86	430623.59	391092.15	368992.13	1076.71	9363.71	984516.99	910672.33
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	389591.47	373276.76	89924.46	82682.51	981694.55	907856.58
अनाबंटित आस्तियाँ									113.95	190.23
कुल आस्तियाँ									**984630.94**	**910862.56**
अनाबंटित देयताएँ									2936.39	3005.98
कुल देयताएँ									**984630.94**	**910862.56**
नोट: अनाबंटित आस्तियाँ आस्थगित कर आस्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं और अनाबंटित देयताएं आयकर के लिए प्रावधान का प्रतिनिधित्व करती हैं										

(ग) चूंकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

21.4 लेखा मानक 18 - संबंधित पक्षों का प्रकटन

चूंकि बैंक 'एएस-18' "संबंधित पक्ष लेनदेन" की परिभाषा के अनुसार एक सरकार नियंत्रित उद्यम है, अतः सरकार के नियंत्रण वाले अन्य उद्यमों (सहायक संस्थाओं सहित) के साथ लेनदेन का विवरण प्रकट नहीं किया गया है.

संबंधित पक्षों की सूची :

क) इस निकाय के नियंत्रण में कंपनियां :

क्रम. सं.	कंपनी	संबंध
1.	नैबफिन्स लि.	सहायक संस्था
2.	नैबसमृद्धि फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
3.	नैबकिसान फ़ायनान्स लि.	सहायक संस्था
4.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्रा. लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
5.	नैबवेंचर्स लि.	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
6.	नैबफाउंडेशन	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था
7.	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था

ख) मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी :

क्रम. सं.	पक्ष का नाम	पदनाम
1.	श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष
2.	गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
3.	अजय के. सूद	उप प्रबंध निदेशक

ग) संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित	सहायक संस्थाएँ	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी @	प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी के रिश्तेदार	कुल
उधार#	-	-	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-	-	-
जमाराशियों का नियोजन#	-	-	-	-	-
अग्रिम#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
निवेश#	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया राशि	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम	-	-	-	-	-
गैर-वित्तपोषित वचनबद्धताएँ#	-	-	-	-	-
प्राप्त की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
प्रदान की गई पट्टेदारी व्यवस्थाएँ#	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
प्राप्त किया गया ब्याज	-	-	-	-	-
सेवाओं का उपयोग*	-	-	-	-	-
सेवाओं की प्राप्ति*	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ **	-	-	1.44(0.52)	-	

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत पर बकाया राशि तथा वर्ष के दौरान अधिकतम राशि का प्रकटीकरण किया जाना है

* संविदागत सेवाएँ आदि, न कि विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ.

** प्रमुख प्रबंधन पदाधिकारी हेतु पारिश्रमिक.

21.5 लेखा मानक 22 - आय पर कर हेतु लेखांकन

बैंक एएस 22 "आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को मान्यता देता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹76.28 करोड़ (-25.21 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को मान्यता दी है. 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	आस्थगित कर आस्तियाँ	2024-25	2023-24
1.	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	100.24	175.14
2.	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.71	15.08
	कुल	**113.95**	**190.22**

आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि के कारण आस्थगित कर देयता के लिए मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूंकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप हर साल मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक है. अत:, एएस - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं है.

21.6 लेखा मानक 28 - आस्तियों में क्षतिग्रस्तता

बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू होती हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

22. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ का हिसाब तभी लिया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है.

23. गैर-परिशोधित पेंशन और उपदान देयताएँ: शून्य

24. 24 सितंबर 2021 को ऋण एक्सपोज़र के अंतरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निर्देश के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित/ अधिग्रहित ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) बैंक ने कोई भी अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते (टीडब्ल्यूओ) अंतरित नहीं किए हैं.

(ख) बैंक ने कोई भी दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहित नहीं किया है.

(ग) बैंक ने चूक में नहीं रहने वाला कोई भी ऋण अंतरित या अर्जित नहीं किया है.

(घ) 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार बैंक द्वारा वसूली रेटिंगों की विभिन्न श्रेणियों, जो उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गईं हैं, के अंतर्गत धारित प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) का वितरण: शून्य

25. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य संस्थाओं की ओर से उनके बैंकर/ कस्टोडियन/ ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है और संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित निधियों के लंबित उपयोग पर उनकी ओर से उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशियों पर ब्याज को तत्संबंधी करारों/ प्रबंधन/ निदेशक मण्डल के अनुमोदन के अनुसार निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया. संबंधित निधियों के लिए ब्याज की दरों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25 के लिए ब्याज दर	2023-24 के लिए ब्याज दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%
2.	केएफ़डब्ल्यू - एनबी आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहायक उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%

6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डब्ल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन –(एएफ़बी) - परियोजना निर्माण अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि - ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	ग्रीन क्लायमेट फंड परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और राय बरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र	7.83%	7.29%

26. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से वसूली योग्य (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है.

इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25	2023-24
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

27. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ़) जमाराशियों, भंडारागार आधारभूत संरचना विकास निधि (डब्ल्यूआईएफ़) जमाराशियों और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफ़पीएफ़) के संबंध में बैंक के पास उपलब्ध सापेक्षिक मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा किया गया.

28. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2024-25	2023-24
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87
2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)

3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

29. मौसमी कृषि परिचालनों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) और एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त देने पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त/ प्राप्य राशि ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) है.

30. विभिन्न प्राधिकारियों के पास लंबित आयकर अपीलों को नीचे दर्शाया गया है :

क्रम. सं.	**कर निर्धारण वर्ष**	**किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है**	**किसके द्वारा अपील की गई**	**31-03-2025 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)**	**31-03-2024 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)**
1	2002-03	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2	2006-07	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3	2007-08	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4	2008-09	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5	2009-10	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7	2010-11	उच्च न्यायालय - मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32
8	2011-12	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9	2012-13	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10	2013-14	उच्च न्यायालय - मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14	2012-13	आयकर अपीलीय	आयकर	--	327.03

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकारी के पास अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई	31-03-2025 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)	31-03-2024 की स्थिति तक विवादित कर की राशि (₹ करोड़)
		अधिकरण (आईटीएटी)	विभाग		
15	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

31. पूर्ण स्वामित्व की भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका हस्तांतरण किया जाना अभी बाकी है.

32. भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (रासकृग्रावि बैंक) को इन एजेंसियों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) में अभिदान के रूप में दिए गए परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है :

32.1 निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

32.2 उस पर अर्जित ब्याज को लाभ और हानि लेखा में 'ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

32.3 आईआरएसी मानदंडों, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन के लिए 'अनुमन्य अग्रिम'.

33. वर्ष के दौरान बैंक ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.00 करोड़ की राशि निर्धारित की है. 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन के लिए ₹667.17 करोड़ का समापन प्रावधान बकाया है.

34. वित्तीय विवरणों की तिथि तक चल रही आरआईडीएफ की खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में किए गए संवितरणों में से ₹633.71 करोड़ की राशि (₹407.85 करोड़) नॉन-स्टार्टर परियोजनाओं से संबंधित हैं. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

35. तीन अनर्जक निवेश खातों के संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया था और एनसीएलएटी के तहत समाधान प्रक्रिया शुरू की गई थी. एनसीएलएटी के आदेशों के अनुसार, बैंक ने ₹17.93 करोड़ की सीमा तक प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया है.

36. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत नाबार्ड को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जुटाने के लिए अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए गए और 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय बॉण्ड की प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड के निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.64 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा इस प्रकार है :

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

द रूबी, द्वितीय तल, एसडब्ल्यू,

29, सेनापती बापट मार्ग,

दादर पश्चिम, मुंबई- 400028

टेलीफोन: +91 22 6230 0451

37. कोष्ठक में इंगित आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

38. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण/ प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनःसमूहीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है.

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार.

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी के लिए
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन सं.: 121750W / W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.:102306
मुंबई
दिनांक - 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद	गोवर्धन सिंह रावत	शाजी के. वी. उप प्रबंध
निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक - 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल आधार पर नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	10,154.61	**8,067.91**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	56.79	47.78
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	33.49	(67.97)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	221.46	370.00
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	(1.05)	(0.75)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)	188.99	194.46
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय	44,861.17	36,912.84
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(7,649.52)	(5,344.46)
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	**47,857.44**	**40,194.58**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(8,254.68)	(16,198.84)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	(332.19)	2,499.61
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44,183.85)	(64,420.38)

परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(4,913.28)**	**(37,925.03)**
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर	(2,519.59)	(2,095.58)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**(7,432.87)**	**(40,020.61)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	7,649.52	5,344.46
अचल आस्तियों की खरीद	(79.43)	(74.61)
अचल आस्तियों की बिक्री	12.60	6.78
निवेश में (वृद्धि)/ कमी	(22,049.88)	(21,388.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	**(14,467.19)**	**(16,112.05)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(1,045.19)	186.83
बॉण्डों से प्राप्त राशि	41,216.15	39,472.85
उधारों में वृद्धि/ (कमी)	56,593.94	29,826.19
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज	(42,850.58)	(36,912.84)
विवरण	**2024-25**	**2023-24**
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**27,947.70**	**56,430.23**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,047.64	297.56
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	8,608.82	8,311.26
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**14,656.46**	**8,608.82**
1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	**2024-25**	**2023-24**
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58

भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,437.74	3,747.24
बैंक के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	**14,656.46**	**8,608.82**

नोट: नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है.

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
मुंबई
दिनांक : 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक - 27 मई 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ('धारक बैंक' या 'नाबार्ड' या 'बैंक') और उसकी सहायक संस्थाओं (धारक बैंक और उसकी सहायक संस्थाओं को संयुक्त रूप से 'समूह' कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन-पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ और हानि लेखों और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सारांश और अन्य स्पष्टीकरणमूलक सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ शामिल हैं (जिसे बाद में 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित किया गया है).

हमारे मत में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और सहायक संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर उल्लिखित समेकित किए गए वित्तीय विवरण पूर्ण और निष्पक्ष वित्तीय विवरण हैं जिनमें सभी आवश्यक ब्यौरे शामिल किए गए हैं और इसे समुचित रूप से तैयार किया गया है ताकि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य नियम, 1984 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप तथा आम तौर पर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नोट्स के साथ पठित 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार बैंक के कामकाज की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभों और समेकित नकदी प्रवाह की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

2. अभिमत का आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है. इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का और अधिक विवरण हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा वाले खंड में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत दिया गया है. इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें. आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसरण में अपनी नैतिक जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखापरीक्षा अभिमत को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

3. लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें

हमारे व्यावसायिक मत के अनुसार लेखापरीक्षा की प्रमुख मदें वे मदें हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थीं. इन मदों पर समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र आधार पर विचार किया गया है और उन पर अपने अभिमत पर पहुँचने में हम प्रमुख लेखापरीक्षा मदों पर अलग अभिमत नहीं देते हैं. अपने व्यावसायिक मत में हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए हमने निम्नलिखित को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मदों के रूप में लेने का निर्णय लिया है:

लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला	हमारी लेखापरीक्षा किस प्रकार इन लेखापरीक्षा के प्रमुख मामलों को संबोधित करती है
1. अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिम का प्रावधान. अग्रिमों में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनबीएफसी को पुनर्वित्त ऋण; तथा राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं. भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') ने समूह के लिए	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** अनर्जक अग्रिमों की पहचान, आय निर्धारण और अग्रिमों पर प्रावधान में निम्नलिखित शामिल थेः - एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए समूह की लेखांकन नीतियों को समझना और उन पर विचार करना तथा पुन:संरचित अग्रिमों पर किए गए अतिरिक्त प्रावधानों और आस्ति वर्गीकरण लाभ सहित आरबीआई

अग्रिमों के संबंध में 'आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन पर विवेकपूर्ण मानदंड' ('आईआरएसीपी मानदंड') निर्धारित किए हैं.	(आईआरएसीपी मानदंडों) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना.
अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान करने में उचित तंत्र की स्थापना शामिल होती है और समूह को विनियमों द्वारा निर्धारित मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों कारकों को लागू करते हुए प्रत्येक अग्रिम के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि की पहचान करने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण स्तर का अनुमान लगाना आवश्यक होता है.	- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसीपी पर प्रवर्तमान दिशानिर्देशों के आधार पर क्षतिग्रस्त खातों की पहचान और प्रावधान के लिए प्रमुख नियंत्रणों (सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रणों सहित) को समझना.
एनपीए की पहचान और प्रावधानन के लिए महत्वपूर्ण निर्णयन और अनुमान निम्नलिखित पर महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुतियाँ उत्पन्न कर सकते हैं: - आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की पूर्णता और सामयिकता;	- समूह द्वारा एनपीए की पहचान को कवर करने वाली मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं सहित अन्य प्रक्रियाएँ निष्पादित करना. इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:
- ऋण जोखिम, नियत अवधि और वर्गीकरण, प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;	- उन एप्लीकेशन प्रणालियों, जिनमें अग्रिमों को दर्ज किया गया, द्वारा जनरेट की गई अपवाद रिपोर्टों की जाँच पर विचार करना.
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित प्रत्यावर्तन.	- दबाव की पहचान करने के लिए आरबीआई के बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में समूह और अन्य बैंकों द्वारा स्पेशल मेंशन खाता ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर विचार करना.
चूँकि अग्रिमों के वर्गीकरण, एनपीए की पहचान और अग्रिमों पर प्रावधान का सृजन (लागू आईआरएसीपी मानदंडों के तहत अतिरिक्त प्रावधानों सहित) और अग्रिमों पर आय के निधिारण:	- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण, आहरण क्षमता गणना, प्रतिभूति और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना.
- के लिए समूह द्वारा उचित नियंत्रण तंत्र और आकलन के महत्वपूर्ण स्तर की आवश्यकता होती है;	- ऋण एवं जोखिम समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पढ़ना तथा समूह के साथ पूछताछ करना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी ऋण खाते अथवा किसी उत्पाद में दबाव के संकेत या चूक की घटना तो नहीं घटित हुई है.
- का समूह के समग्र वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है; अत: हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है. **(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 8 के साथ पठित अनुसूची 11 देखें)**	- समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसरण में संपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा और संगामी लेखापरीक्षा में उभरे प्रमुख प्रेक्षणों पर विचार करना.

	- समूह के आरबीआई वित्तीय निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रेक्षणों पर समूह की अनुपालना और वर्ष के दौरान आरबीआई के साथ अन्य संप्रेषणों विचार करना. - आरबीआई के मास्टर परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर अग्रिमों की जाँच. - उधारकर्ताओं से खाता शेषों की स्वतंत्र पुष्टि की प्राप्त करना. - क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना तथा अग्रिमों से संबंधित दस्तावेजों एवं अन्य अभिलेखों की जाँच करना. पहचान किए गए अनर्जक अग्रिमों के लिए, हमने, दबावग्रस्त सेक्टरों और खाते की महत्ता जैसे कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तिथियों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानन की जाँच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद ऐसे नमूनों पर एनपीए के लिए प्रावधान की पुन: गणना की और हमारे द्वारा मापे गए परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की.
2. निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधानन. निवेशों में समूह द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, बॉण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, म्यूचुअल फंडों, उद्यम पूँजी निधियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल होते हैं. आरबीआई के परिपत्र और निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों के मूल्यांकन, निवेशों के वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, गैर-मान्यता प्राप्त आय और अनर्जक निवेशों के समक्ष प्रावधानन को शामिल किया गया है. उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का	**निष्पादित की गई प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रिया** - भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों/ निर्देशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण/ प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों को पहचानना और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/ मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को समझना शामिल था. विशेष रूप से: - मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, अनर्जक निवेशों पर आय का प्रत्यावर्तन और निवेशों से संबंधित प्रावधानन/

मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है, जिसमें विभिन्न स्रोतों जैसे कि एफबीआईएल/ एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/ एनएसई पर उद्धृत दरें, असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि से डेटा/ सूचना एकत्र करना शामिल है. हमने निवेशों के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को एक प्रमुख लेखापरीक्षा के मामले के रूप में पहचाना है, क्योंकि कुछ निवेशों (बॉण्डों, डिबेंचरों और वीसीएफ) के मूल्यों के निर्धारण में लागू विनियामक दिशानिर्देशों और समूह की नीतियों के आधार पर प्रबंधन का आकलन शामिल होता है, एचटीएम बही हेतु क्षतिग्रस्तता आकलन प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित होता है, विनियामक फोकस की गहनता होती है और समूह के वित्तीय परिणामों की समग्र महत्ता होती है. **(समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 7 के साथ पठित अनुसूची 10 देखें)**	मूल्यह्रास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और समझा गया; - इन निवेशों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; - प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनः मूल्यांकन कर नमूना आधार पर सटीकता और आरबीआई के मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के अनुपालन का परीक्षण किया गया; - आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनःगणना के लिए मूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गई. तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों से नमूने चुने और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और मेंटेन किए जाने वाले प्रावधान की पुनर्गणना की और यह देखा कि क्या आय का उपार्जन एनपीआई के उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र के अनुसार है.
3. **बहुसंख्य आईटी प्रणालियाँ:** बैंक, प्रतिदिन बहुसंख्य और सूचना प्रौद्योगिकी की अलग-अलग प्रणालियों ('आईटी') पर संसाधित किए जाने वाले लेनदेनों की उल्लेखनीय संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी पर निर्भर है. लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण इन आईटी सप्रणालियों के इंटरफेस द्वारा उत्पन्न अनेक रिपोर्टों और उनमें अंतर्निहित स्वचालित नियंत्रणों पर व्यापक रूप से निर्भर करता है. वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया से संबंध रखने वाली प्रमुख आईटी प्रणालियों में निम्नलिखित शामिल हैं: • सीएलएमएएस - लेनदेन संसाधन, कार्यप्रवाह और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली • टीएएलएमएस - राजकोषीय परिचालन	**निष्पादित की गई मुख्य लेखापरीक्षा प्रक्रिया** - 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु विश्वसनीय आधार माने जाने वाले एप्लिकेशनों, ऑपरेटिंग सिस्टमों और डेटाबेसों तक पहुँच के अधिकारों सहित आईटी प्रणालियों के सामान्य नियंत्रणों की सनदी लेखाकारों की स्वत्रत्र फर्म द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की समीक्षा की गई. - धारक बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा की दृष्टि से संगत माने गए परिवर्तनों को समझना; चयन के आधार पर ब्याज की गणना और परिपक्वता की तिथियों की पुनर्गणना की गई; - चयन के आधार पर मास्टर्स अपडेशन, परिणामी रिपोर्टों के साथ इंटरफेस का

• एम्पॉवर एचआरएमएस - मानव संसाधन और वेतन • एफएएमएस - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा व्ययों का संसाधन • रिपोर्ट तैयार करने अथवा उन्हें जनरेट करने में उपर्युक्त प्रणालियों में से एक अथवा एकाधिक प्रणालियों का इंटरफेस/ इंटरप्ले. आईटी के सामान्य नियंत्रण और एप्लिकेशन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एप्लिकेशन और उसमें अंतर्निहित डेटा में परिवर्तन उचित तरीके से किए जाएं. एप्लिकेशन और डेटा में परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली संभावित धोखाधड़ियों अथवा त्रुटियों के जोखिम को कम करने में इन समुचित नियंत्रणों का योगदान रहता है. धारक बैंक का प्रबंधन निरंतर अनेक सुधारात्मक गतिविधियों के प्रयास करता रहता है और वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में आईटी एप्लीकेशनों पर आने वाले जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इसके कार्यान्वयन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में है. इनमें महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों और आधारभूत संरचनाओं में निवारक और खोजी नियंत्रण का कार्यान्वयन शामिल रहता है. इसकी व्यापक प्रकृति के कारण अपने आरंभिक जोखिम मूल्यांकन में, हमने प्रौद्योगिकीजन्य महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिम को लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी लेखापरीक्षा की योजना बनाई, इसलिए इसे लेखापरीक्षा का प्रमुख मामला माना गया है.	पुनर्मूल्यांकन किया गया; - चयन के आधार पर सीएलएमएएस, टीएएलएमएस, एम्पावर और अनेक वर्कफ़्लो जैसी अन्य आईटी प्रणालियों के साथ सीएलएमएएस के इंटरफेस की जाँच की गई; - लेखांकन प्रणाली में गलत सिस्टम प्रविष्टियां दर्ज होने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त स्पष्टीकरण और चित्रण प्राप्त करने के लिए 'मूल कारण विश्लेषण' तथा ऐसी प्रविष्टियों के संबंध में पर्याप्त जाँच और संतुलन के अभाव के बारे में विस्तृत जाँच-पड़ताल की गई. - मूल वित्तीय रिपोर्टिंग के मामलों के लिए प्रणालीजनित रिपोर्टों और लेखांकन प्रविष्टियों की हाथ से जाँच की गई (यानी कंप्यूटर सिस्टम का सत्यापन), ताकि लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई गलत प्रविष्टियों को सही किया जा सके. - गलत सिस्टम प्रविष्टियों की संभावना से बचने, अधिक उपयोगी प्रणालीजनित रिपोर्टें प्राप्त करने तथा सिस्टम में अधिक सुविधाएँ/ क्षेत्र शामिल करने के लिए, प्रबंधन ऐसे नए मॉड्यूल विकसित करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सीएलएमएएस/ सीबीएस में एकीकृत किया जा सके.

4. समेकित वित्तीय विवरणों से इतर सूचना और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

अन्य सूचनाओं को तैयार करने का दायित्व धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का है जिसमें निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और धारक बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल अन्य प्रकटन शामिल रहते हैं. उसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (अन्य सूचना) शामिल नहीं होती है.

अन्य सूचना, हमें लेखापरीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथि के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उस पर हमने किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन/ निष्कर्ष व्यक्त नहीं किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व यह है कि जब हमें अन्य सूचना उपलब्ध होती है तो हम उस सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह देखें कि अन्य सूचना समेकित किए गए वित्तीय विवरणों से या लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्राप्त हुई जानकारी से किसी महत्वपूर्ण मामले में असंगत तो नहीं है या उसमें अन्यथा कोई

महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति तो नहीं दिखती. जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम एसए 720 'अन्य सूचना के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व' की अपेक्षा के अनुसार इस विषय को अभिशासन के प्रभारियों को संप्रेषित करें.

5. समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन का कार्यभार संभालने वालों के दायित्व

धारक बैंक के प्रबंधन और निदेशक मण्डल का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (अतिरिक्त) सामान्य विनियमावली, 1984 और आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार और प्रस्तुत करें जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों. इन दायित्वों में समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखा नीतियों का चयन और उनका कार्यान्वयन तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और आकलन शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, इन दायित्वों में लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन तथा रखरखाव करना शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक हैं. ये वित्तीय विवरण ऐसे होने चाहिए जो वास्तविक और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हों और किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हों - फिर चाहे वह दुष्प्रस्तुति त्रुटिवश हो, या किसी धोखाधड़ी के कारण.

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक मण्डल निरंतर चलने वाली संस्थाओं के रूप में जारी रहने की समूह की क्षमता का आकलन करने, निरंतर चलने वाली संस्था से संबंधित मामलों में यथालागू मदों का प्रकटन करने और प्रबंधन द्वारा समूह को परिसमाप्त करने या परिचालनों को बंद करने की मंशा रखने या ऐसा करने के अलावा और कोई व्यावहारिक विकल्प न होने की स्थितियों को छोड़कर 'निरंतर चलने वाली संस्था' के आधार का प्रयोग करके लेखांकन करने के लिए जिम्मेदार हैं.

धारक बैंक और समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मण्डल उनकी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

6. समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है कि इस बात का तर्काधारित आश्वासन प्राप्त करना कि समेकित किए गए वित्तीय विवरण समग्रतः धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति से मुक्त हैं और एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो. तर्काधारित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखामानकों के अनुसार संचालित लेखापरीक्षा किसी विद्यमान महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता हमेशा लगा ही लेगी. दुष्प्रस्तुतियाँ धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब वे एकल रूप से या समग्रतः इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को एक तर्कपूर्ण सीमा तक प्रभावित कर सकती हों.

लेखा मानकों के अनुसार, लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हैं और व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं. साथ ही:

- हम धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति के जोखिमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रतिसाद में लेखापरीक्षा कार्य पद्धतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं और उनका कार्यान्वयन करते हैं और ऐसा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो अभिमत के लिए आधार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दुष्प्रस्तुति का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से बड़ा होता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, गलत मंशा से उपेक्षा करना, गलत प्रस्तुति आदि शामिल हो सकते हैं या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना की गई हो सकती है.
- हम लेखापरीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं. ऐसा विद्यमान परिस्थितियों के लिए उचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया जाता है न कि बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता पर अपना मत व्यक्त करने के लिए.

- प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाई जा रही लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन करते हैं.
- हम प्रबंधन द्वारा लेखांकन के निरंतर चल रही संस्था आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष व्यक्त करते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह देखते हैं कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है जो निरंतर चलने वाली संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करती हो. अगर हमारा निष्कर्ष यह होता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है तो हमसे यह अपेक्षित होता है कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकृष्ट करें, अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपने अभिमत को आशोधित करें. हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं. तथापि भविष्यगत घटनाएँ या परिस्थितियाँ बैंक के निरंतर चलने वाली संस्था नहीं बने रहने का कारण बन सकती हैं.
- हम प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और उनमें निहित विषय-वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं को इस तरह अभिव्यक्त करते हैं कि निष्पक्ष प्रस्तुति का उद्देश्य पूरा हो.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल धारक बैंक की वित्तीय जानकारी के लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार बने रहते हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने रहते हैं. इस संबंध में हमारी ज़िम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामलों' के तहत आगे वर्णित किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों में दुष्प्रस्तुतियों की गंभीरता वह मात्रा है जो एकल रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम निम्नलिखित मामलों में मात्रात्मक महत्ता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई दुष्प्रस्तुति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को, अन्य बातों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के दायरे और समय की योजना तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षा निष्कर्ष संप्रेषित करते हैं जिनमें आंतरिक नियंत्रण में उन महत्वपूर्ण कमियों को शामिल किया जाता है जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान में आती हैं.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को ऐसा अभिकथन भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने अपनी निष्पक्षता और हमारी निष्पक्षता को समुचित रूप से प्रभावित करने वाले माने जाने वाले सभी संबंधों तथा अन्य विषयों को उन्हें संप्रेषित करने के संबंध में, और जहाँ प्रयोजनीय हो वहाँ संबंधित रक्षोपायों के बारे में सभी संगत नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है.

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित मदों में से ऐसी मदों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हों और इस कारण वे प्रमुख लेखापरीक्षा मदें हों. हम इन मदों को अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित करते हैं जब तक कि विधि या विनियम द्वारा उन मदों के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को निषिद्ध न किया गया हो, या जब अत्यधिक विरलातिविरल परिस्थितियों में हम यह तय करें कि हमें अपनी रिपोर्ट में उस मद को संप्रेषित नहीं करना चाहिए क्योंकि संप्रेषित करने से सार्वजनिक हित में संभावित लाभ ऐसे सम्प्रेषण के प्रतिकूल परिणामों की अपेक्षा कम होंगे.

7. अन्य मदें

1. बैंक के 32 (बत्तीस) क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें प्रधान कार्यालय, 3 (तीन) प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं. बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए केंद्रीकृत है. कुल क्षेत्रीय कार्यालयों में से, हमने प्रधान कार्यालय सहित 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों दौरा किया है, जो 31 मार्च 2025 तक अग्रिमों का 35%, पीएसएल जमा का 100%, उधार का 100% और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों पर ब्याज आय का 20%, पीएसएल जमा पर ब्याज व्यय का 100% और उधार पर ब्याज व्यय का 100% कवर करता है. इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बैंक के प्रबंधन के परामर्श से चुना गया है. लेखापरीक्षा के संचालन में हमने बैंक के शेष क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं और विवरणियों पर भरोसा किया है.
2. हमने चार सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार ₹456.74 करोड़ की कुल आस्तियाँ और

₹401.20 करोड़ की निवल आस्तियाँ, ₹289.74 करोड़ का कुल राजस्व और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹4.85 करोड़ का निवल नकदी प्रवाह दर्शाती हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. इन वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक सस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है.

3. हमने तीन सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल आस्तियाँ ₹9273.55 करोड़ और निवल आस्तियाँ ₹1560.58 करोड़, कुल राजस्व ₹1168.31 करोड़ और कुल निवल नकदी प्रवाह ₹42.00 करोड़ दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर-समूह लेनदेनों को समाप्त करने के लिए प्रभावी होने से पहले माना गया था. ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के तहत तैयार की गई थी और समेकन के उद्देश्य से, धारक बैंक प्रबंधन ने भारतीय जीएएपी के तहत अलग वित्तीय विवरण तैयार किए हैं और वे अलेखापरीक्षित नहीं हैं. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक इन सहायक संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, केवल प्रबंधन द्वारा प्रमाणित ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर आधारित है. हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाएँ समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

4. 1 अप्रैल 2024 का प्रारंभिक शेष, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिया गया है, जिसका लेखा-जोखा पूर्ववर्ती स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था, जिन्होंने 24 मई 2024 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उपर्युक्त राय और अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी निम्नलिखित रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है.

8. अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम रिपोर्ट करते हैं कि धारक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21 - भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार तैयार किए गए हैं.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे.

ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें बैंक द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है.

ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता, समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से मेंटेन की गई प्रासंगिक लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण संख्या: 121750W / W100010

रमेश गुप्ता

साझेदार

सदस्यता संख्या : 102306

यूडीआईएन :25102306BMHKOD4595

स्थान: मुंबई

दिनांक: 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं	निधियाँ और देयताएँ	अनुसूची	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	(i) पूँजी (नाबार्ड अधिनियम,1981 की धारा 4 के अंतर्गत)		17,080.00	17,080.00
2	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ	1	64,390.38	56,589.90
3	माइनॉरिटी इंटरेस्ट	1अ	339.92	307.70
4	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ	2	16,110.00	16,106.00
5	उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ	3	6,615.72	6,691.17
6	सरकारी योजनाएँ	4	723.61	1,506.36
7	जमाराशियाँ	5	2,75,991.45	3,01,958.08
8	बॉण्ड और डिबेंचर	6	3,27,366.25	2,86,150.10
9	उधार	7	2,51,434.55	2,01,238.41
10	चालू देयताएँ और प्रावधान	8	26,467.31	24,779.51
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

समेकित तुलन-पत्र: 31 मार्च 2025 की स्थिति

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संपत्ति और आस्तियाँ	अनुसूची	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	नकद और बैंक शेष	9	46,026.32	37,839.75
2	निवेश	10	91,452.51	69,487.97
3	अग्रिम	11	8,40,446.45	7,96,339.15
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)	12	577.72	564.51
5	अन्य आस्तियाँ	13	8,016.19	8,175.85
	कुल		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**

	क्रॉस करेंसी स्वैपों द्वारा हेज किया गया विदेशी मुद्रा जोखिम		529.50	579.49
	प्रतिबद्धता और आकस्मिक देयताएँ	17		
	समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/ W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज		51,232.52	43,927.10
2	निवेश परिचालनों/ जमाराशियों से आय			
(क)	निवेशों पर ब्याज		4,834.48	3,697.66
(ख)	निवेशों पर लाभांश		28.16	45.22
(ग)	निवेशों पर छूट		1,332.67	749.16
(घ)	निवेशों की बिक्री और पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ हानि		1,489.57	871.53
3	अन्य प्राप्तियाँ		374.34	324.74
	कुल (अ)		**59,291.74**	**49,615.41**

क्रम सं.	व्यय	अनुसूची	2024-25	2023-24
1	ब्याज और वित्तीय प्रभार (अनुसूची-18 का नोट आ-4 देखें)	14	44,890.91	36,940.39
2	स्थापना और अन्य व्यय	15 अ	3,374.84	3,720.08
3	संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय	15 आ	139.69	136.02
4	प्रावधान	16	387.09	333.30
5	मूल्यह्रास और परिशोधन		62.70	52.69
	कुल (आ)		**48,855.23**	**41,182.48**
6	**कर पूर्व लाभ (अ-आ)**		**10,436.51**	**8,432.93**
7	निम्नलिखित के लिए प्रावधान			
	क) आय कर		2,535.19	2,082.24
	ख) आस्थगित कर (अनुसूची-18 का नोट आ-6 देखें)		59.74	(20.55)
8	**कर पश्चात् लाभ**		**7,841.58**	**6,371.24**
9	माइनॉरिटी इंटरेस्ट		38.83	67.72
	विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		**7,802.75**	**6,303.52**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

नोट: अन्य प्राप्तियों में स्टाफ ऋणों पर प्राप्त ब्याज, किराए से आय और अन्य विविध आय शामिल हैं.

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विनियोजन/ आहरण	2024-25	2023-24
1	**वर्ष का लाभ - नीचे लाया गया**	7,802.75	6,303.52
2	जोड़ें: लाभ और हानि खाते को नामे किए गए व्यय के समक्ष विभिन्न निधियों से आहरण (अनुसूची 1 देखें)	243.50	178.32
3	**विनियोजन हेतु उपलब्ध कुल लाभ**	**8,046.25**	**6,481.84**
	घटाएँ: निम्नलिखित में अंतरित		

	(अनुसूची1 और 2 देखें)		
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधि	850.00	700.00
ख)	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	38.43	-
ग)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	1.00	1.00
घ)	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1.00	1.00
ङ)	सहकारिता विकास निधि	154.55	33.29
च)	अनुसंधान और विकास निधि	98.61	42.30
छ)	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
ज)	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
झ)	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	34.29	28.27
ञ)	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
ट)	जलवायु परिवर्तन निधि	-	0.39
ठ)	उत्प्रेरक निधि	2.52	2.94
ड)	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	3.94	0.59
ढ)	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	1,000.00	-
ण)	नाबार्ड कार्बन निधि	300.00	-
त)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास निधि	100.00	-
थ)	प्रारक्षित निधि	5,400.75	5,601.52
	कुल	**8,046.25**	**6,481.84**

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W/ W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक

सदस्यता सं.: 102306
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियाँ

समेकित अनुसूची 1 - प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	लाभ-हानि विनियोजन से अंतरित	लाभ-हानि विनियोजन को अंतरित	31.03.2025 को इति शेष
1	प्रारक्षित निधि*	40,414.07	(54.33)	5,455.15	39.04	45,775.85
2	अनुसंधान और विकास निधि	54.87	(0.34)	98.61	48.00	105.14
3	प्रारक्षित पूँजी	74.81	-	-	-	74.81
4	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IC के अंतर्गत प्रारक्षित निधि	177.70	-	38.43	-	216.13
5	निवेश उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	सहकारिता विकास निधि	200.00	-	154.55	54.55	300.00
7	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष प्रारक्षित निधि	13,150.00	-	850.00	-	14,000.00
8	उत्पादक संगठन विकास निधि – नाबार्ड	300.00	-	0.29	0.29	300.00
9	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	50.00	-	3.18	3.18	50.00
10	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि	60.00	-	34.29	34.29	60.00
11	ग्राम्य विकास निधि	110.00	-	57.69	57.69	110.00

12	जलवायु परिवर्तन निधि	20.00	-	-	-	20.00
13	उत्प्रेरक निधि	20.00	-	2.52	2.52	20.00
14	विकास कॉर्पस निधि	5.00	-	-	-	5.00
15	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	17.75	-	-	-	17.75
16	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	50.00	-	3.94	3.94	50.00
17	नाबार्ड हरित प्रभाव निधि	-	-	1,000.00	-	1,000.00
18	नाबार्ड कार्बन निधि	-	-	300.00	-	300.00
19	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विकास निधि	-	-	100.00	-	100.00
	कुल	**56,589.90**	**(54.67)**	**8,098.65**	**243.50**	**64,390.38**
	गत वर्ष	**50,288.37**	**(58.51)**	**6,538.37**	**178.33**	**56,589.90**

* नोट: 'प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियों' के लिए नाबार्ड अतिरिक्त (सामान्य) विनियम, 1984 में निर्धारित प्रारूप में लाभ और हानि खाता को एक उप-मद के रूप में रखा गया है. चूँकि बैंक में प्रारक्षित निधि में सभी प्रकार के विनियोजन के बाद शेष राशि को लाभ और हानि खाते में अंतरित करने की प्रथा है, इसलिए लाभ और हानि खाते में कोई राशि शेष नहीं रहती जिसके कारण ऊपर उसका अलग से प्रकटन नहीं किया गया है.

समेकित अनुसूची 1अ - माइनॉरिटी इंटरेस्ट

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन**	**वर्ष के दौरान समायोजन**	**31.03.2025 को इति शेष**
1	शेयर पूंजी	91.66	-	-	91.66
2	प्रारक्षित निधियाँ और अधिशेष	216.04	32.22	-	248.26
	कुल	**307.70**	**32.22**	**-**	**339.92**
	गत वर्ष	**247.21**	**60.49**	**-**	**307.70**

समेकित अनुसूची 2 - राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**01.04.2024 को प्रारम्भिक शेष**	**भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंशदान**	**लाभ-हानि विनियोजन से अंतरण**	**31.03.2025 को इति शेष**

1	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि	14,503.00	1.00	1.00	14,505.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरीकरण) निधि	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	कुल	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	गत वर्ष	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

समेकित अनुसूची 3 - उपहार, अनुदान, दान और उपकृतियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	01-04-2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त/ समायोजित अनुदान	जमा ब्याज*	वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/ समायोजन	31-03-2025 को इति शेष
अ.	**अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुदान**					
1	केएफडब्ल्यू एनबी यूपीएनआरएम-वित्तीय अंशदान	0.15	-	-	0.15	-
2	जीआईज़ेड यूपीएनआरएम तकनीकी सहयोग	0.03	-	-	-	0.03
3	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	21.85	-	0.66	-	22.51
4	जीआईज़ेड मृदा परियोजना	1.41	-	-	1.41	-
5	केएफ़डब्ल्यू मृदा परियोजना	1.46	9.76	-	11.22	-
6	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
आ.	**अन्य निधियाँ**					
1	वाटरशेड विकास निधि	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	विभेदक ब्याज निधि - (विदेशी मुद्रा जोखिम)	223.43	-	-	-	223.43
3	विभेदक ब्याज निधि - टीएडब्ल्यूए	0.10	-	-	-	0.10
4	आदिवासी विकास निधि	5.77	-	-	-	5.77
5	जनजाति विकास निधि	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	वित्तीय समावेशन निधि *(i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	पीओडीएफ़-आईडी	259.98	-	7.40	43.73	223.65

8	राष्ट्रीय बैंक - स्विस विकास सहयोग परियोजना	67.78	0.82	-	-	68.60
9	आरपीएफ़ और आरआईएफ़ -कृषीतर क्षेत्र संवर्धन निधि	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	सेंटर फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन कोऑपरेटिव्ज (सी-पेक)	3.50	-	0.27	-	3.77
11	एलटीआईएफ - ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	188.73	17.39	5.66	-	211.78
क्रम सं.	**विवरण**	**01-04-2024 को प्रारंभिक शेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्त/ समायोजित अनुदान**	**जमा ब्याज***	**वर्ष के दौरान व्यय/संवितरण/ समायोजन**	**31-03-2025 को इति शेष**
12	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि खाता	3.25	-	0.17	-	3.42
13	सोशल स्टॉक एक्स्चेंज के लिए क्षमता निर्माण निधि	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी *(ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	कुल	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	गत वर्ष	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

* अनुसूची 18 का नोट आ-1 देखें

*(i) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹62.19 करोड़

*(ii) उक्त निधि में जमा किए गए ब्याज विभेदक पर आयकर के लिए प्रावधान शामिल है - ₹15.55 करोड़

समेकित अनुसूची 4 - सरकारी योजनाएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**01.04.2024 को प्रारंभिक शेष**	**वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन**	**जमा ब्याज***	**निधि से व्यय/ संवितरण**	**31.03.2025 को इति शेष**
अ	**सरकार की सब्सिडी योजनाएँ**					
1	शीतगृह परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी – एनएचबी	0.89	-	-	-	0.89
2	शीतगृह के लिए पूंजी सब्सिडी - टीएम पूर्वोत्तर	0.08	-	-	-	0.08
3	लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण सहबद्ध पूंजी सब्सिडी	0.90	0.11	-	-	1.01
4	फसल उत्पादन हेतु ऑनफार्म जल प्रबंधन	0.07	-	-	-	0.07

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	जमा ब्याज*	निधि से व्यय/ संवितरण	31.03.2025 को इति शेष
5	बिहार भूगर्भ जल सिंचाई योजना (बीआईजीडब्ल्यूआईएस)	78.98	-	-	-	78.98
6	पशुधन विकास कार्यक्रम - उत्तर प्रदेश	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	पशुधन विकास कार्यक्रम – बिहार	0.10	-	0.01	-	0.11
8	राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना	1.80	-	-	-	1.80
9	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.29	-	-	-	4.29
10	डेयरी और पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	2.83	-	-	-	2.83
11	पोल्ट्री उद्यम पूंजी निधि	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	आईएसएएम- कृषि विपणन आधारभूत संरचना	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	राष्ट्रीय पशुधन मिशन - पीवीसीएफ़ ईडीईजी	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	पोल्ट्री एस्टेट की स्थापना हेतु केंद्र सरकार प्रायोजित योजना	0.08	-	-	-	0.08
15	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	0.09		0.01	-	0.10
16	गरीबी उन्मूलन हेतु बहु-गतिविधि दृष्टिकोण - बीएआईएफ़ - रायबरेली - उत्तर प्रदेश	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	डेयरी उद्यमिता विकास योजना	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	सौर मिशन के लिए सीएसएस	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	सीएसएस - जेएनएनएसएम सोलर लाइटिंग खाता	2.76	-	-	2.76	-
20	सीएसएस - सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग	0.03	-	-	0.03	-
21	पूंजी सब्सिडी योजना - कृषि क्लीनिक कृषि व्यवसाय केंद्र	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	सीएसएस एमएनआरई लाइटिंग योजना 2016 खाता	0.11	1.04	-	-	1.15
23	कठोर चट्टानी क्षेत्र में कृत्रिम भूगर्भ जल पुनर्भरण	4.62	-	-	-	4.62
24	एफ़पीओ के निर्माण एवं संवर्धन पर सीएसएस	0.67	0.25	-	0.92	-
आ	**अन्य सरकारी योजनाएँ**					

क्रम सं.	विवरण	01.04.2024 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	जमा ब्याज*	निधि से व्यय/ संवितरण	31.03.2025 को इति शेष
1	कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआर) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) विकास निधि	6.23	-	-	5.02	1.21
3	ब्याज सहायता (चीनी मीयादी ऋण)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	एएमआई - कार्यशाला सहायता निधि	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	कच्छ सूखा रोध परियोजना	0.22	-	-	-	0.22
6	दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के पुनरुद्धार के लिए पैकेज	20.00	-	-	-	20.00
7	हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुनःसंरचना	4.11	-	-	0.02	4.09
8	ब्याज सहायता (एसएओ, एनआरएलएम, एनडब्ल्यूआर)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	अरुणाचल कृषि स्टार्ट अप योजना	0.50	-	-	-	0.50
10	केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना- पैक्स का कंप्यूटरीकरण	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	एग्रीश्योर – भारत सरकार		62.50	-	-	62.50
	कुल	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	गत वर्ष	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

#अनुसूची 18 का आ - 1 देखें

***** ₹50,000 से कम राशि को दर्शाता है

समेकित अनुसूची 5 – जमाराशियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	केन्द्र सरकार	-	-
2	राज्य सरकारें	-	-
3	अन्य	-	
	क) चाय/ रबड़/ कॉफी जमाराशियाँ	40.23	52.81
	ख) आरआईडीएफ के अंतर्गत जमाराशियाँ	1,94,482.88	1,86,684.79
	ग) अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण निधि	32,079.11	50,517.76
	घ) अल्पावधि क्षेग्रा बैंक ऋण पुनर्वित्त निधि	7,023.74	15,157.91
	ङ) भंडारागार आधारभूत संरचना निधि	2,870.00	3,890.00

	च) दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि	38,945.49	45,174.81
	छ) खाद्य प्रसंस्करण निधि	550.00	480.00
	कुल	**2,75,991.45**	**3,01,958.08**

समेकित अनुसूची 6 - बॉण्ड और डिबेंचर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
1	कर मुक्त बॉण्ड	5,000.00	5,000.00
2	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बॉण्ड	1,86,736.30	1,49,580.15
3	पीएमएवाई-जी भारत सरकार के पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	48,809.60	48,809.60
4	बॉण्ड - एलटीआईएफ	38,160.25	38,160.25
5	एलटीआईएफ - भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	19,506.80	19,506.80
6	एसबीएम-जी- भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सर्विस्ड बॉण्ड	12,298.20	12,298.20
7	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़) बॉन्ड	1,754.60	1,754.60
8	सोशल बॉण्ड	1,040.50	1,040.50
9	इन्फ्रा बॉण्ड	14,060.00	10,000.00
	कुल	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

अनुसूची 7 – उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	केंद्र सरकार	-	-
2	भारतीय रिज़र्व बैंक	-	-
3	अन्य		
	(अ) भारत में		
	(i) जमा प्रमाण-पत्र	37,939.26	23,629.90
	(ii) वाणिज्यिक पत्र	57,386.19	52,112.64
	(iii) त्रिपक्षीय रेपो	51,708.00	28,270.07
	(iv) मीयादी मुद्रा उधार	10.36	2,508.21
	(v) बैंकों से मीयादी ऋण	1,03,655.89	94,007.43
	(vi) जेएनएन सोलर मिशन	2.81	2.81
	(आ) भारत से बाहर		
	(आ) भारत से बाहर		
	(i) अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ	518.00	551.52
	कुल	**2,51,434.55**	**2,01,238.41**

अनुसूची 8 - चालू देयताएँ और प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	उपचित ब्याज/ डिस्काउंट	12,201.02	10,186.88
2	विविध लेनदार	3,329.30	3,417.76
3	सब्सिडी प्रारक्षित निधि (सह-वित्तपोषण, शीतगृह, सीएसएएमआई)	7.38	28.50
4	सब्सिडी प्रारक्षित निधि	22.32	-
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	23.78	12.17
6	पेंशन के लिए प्रावधान	434.85	126.64
7	साधारण छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	396.92	381.90
8	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ हेतु प्रावधान	192.17	170.21
9	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	667.17	318.17
	(अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21 देखें)		
10	बॉण्डों पर ब्याज - जिनका दावा नहीं किया गया	4.36	2.99
11	परिपक्व बॉण्ड - जिनका दावा नहीं किया गया	9.83	13.15
12	बॉण्ड प्रीमियम	80.97	50.12
13	प्रतिबद्धता प्रभार - अंतरराष्ट्रीय उधार	0.24	-
14	प्रावधान और आकस्मिकताएँ		
	क) निवेश के मूल्य में ह्रास		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां		
	(iक) केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	1,033.42
	(iख) राजकोष बिल	-	-
क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2025 को**	**31.03.2024 को**
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
	(iii) इक्विटी शेयर	-	-
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड	12.04	19.46

	(v) सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम	-	-
	(vi) अन्य	9.63	-
	ख) परिपक्वता तक रखी गई प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का परिशोधन	6.28	147.16
	(ग) मानक आस्तियों हेतु	3,572.61	3,330.41
	(घ) अनर्जक निवेश	300.59	358.54
	(ड) काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर/ फ्लोटिंग प्रोविज़न	2,014.45	2,014.45
	(च) अन्य आस्तियों और प्राप्तियों हेतु प्रावधान	125.40	57.01
	(छ) आयकर हेतु प्रावधान [अग्रिम कर को घटाकर]	2,922.99	3,001.56
15	अन्य देयताएँ	133.01	109.01
	कुल	**26,467.31**	**24,779.51**

नोट: अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान को अनुसूची-11 में दर्शाए गए अग्रिमों के समक्ष समायोजित किया गया है.

अनुसूची 9 - नकदी और बैंक शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	हाथ में रोकड़	0.00*	0.00*
2	निम्नलिखित के पास शेष:		
	(अ) भारत में बैंकों में		
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	6,568.72	3,561.58
	(ii) अन्य बैंक		
	क) चालू खाते में	4,547.80	3,834.52
	ख) बैंकों में जमा	33,910.50#	22,988.33
	(आ) भारत से बाहर स्थित बैंक	-	-
3	त्रिपक्षीय रेपो - ऋण वितरण	999.30	7,455.32
	कुल	**46,026.32**	**37,839.75**

नोट: # इसमें 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार बैंकों में ₹3,650.00 करोड़ की अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह या उससे कम की परिपक्वता वाली) शामिल हैं (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,300.00 करोड़)

***** ₹50,000 से कम की राशि को दर्शाता है

अनुसूची 10 – निवेश

(राशि ₹ करोड़ में

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**सरकारी प्रतिभूतियाँ**		
	क) केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ [अंकित मूल्य ₹5,21,76,90,80,000 (₹3,29,78,86,70,000)]	53,060.25	34,497.72
	ख) ट्रेजरी बिल [अंकित मूल्य ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]	11,297.96	18,806.69
2	**अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ**		
3	**निम्नलिखित में इक्विटी शेयर :**		
(क)	कृषि वित्त निगम लि. [1,000 (1,000) - प्रत्येक ₹10,000 के इक्विटी शेयर]	1.00	1.00
(ख)	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक [5,31,92,203 (5,31,92,203) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	966.27	966.27
(ग)	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. [6,00,00,000 (6,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	60.00	60.00
(घ)	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. [3,77,758 (3,77,758) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	0.30	0.30
(ङ)	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. [56,25,000 (56,25,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	16.87	16.87
(च)	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड [55,000 (55,000) प्रत्येक ₹1000 के इक्विटी शेयर]	9.75	9.75
(छ)	भारतीय कृषि कौशल परिषद् [4,000 (4000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	0.00*	0.00*
(ज)	नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लिमिटेड [इक्विटी] [15,00,000 (15,00,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	1.50	1.50
(झ)	नैशनल ई-रेपोजीटरी लि. [105,30,000 (105,30,000) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	10.53	10.53
(ञ)	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क [40,00,000 (10,00,000) प्रत्येक ₹100 के शेयर]	40.00	40.00
(ट)	ऑनलाइन पीएसबी लोन्स लिमिटेड [2,87,329 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	56.76	-
(ठ)	24x7 मनीवर्क्स कन्सल्टींग प्राइवेट लिमिटेड [23,333 (शून्य) प्रत्येक ₹10 के शेयर]	3.84	-
(ड)	अन्य इक्विटी निवेश	20.02	20.02
4	**डिबेंचर और बॉण्ड**		
(i)	रासकृग्रावि बैंकों के विशेष विकास डिबेंचर (अनुसूची 18 का नोट आ-34 देखें)	65.19	134.06
(ii)	अपरिवर्तनीय डिबेंचर	852.99	826.12

5	**सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में शेयरधारिता**		
(क)	**सहायक कंपनियों में शेयरधारिता**		
(i)	नैबर्फिंस लि. (पूर्व में नाबार्ड फाईनैन्शियल सर्विसेज [कर्नाटक] लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) [10,20,06,300 (10,20,06,300] - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	102.01	102.01
(ii)	नैबसमृद्धि फाइनांस लिमिटेड [11,27,88,000 (11,27,88,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	145.06	145.06
(iii)	नैबकिसान फाइनांस लिमिटेड [15,05,00,063 (15,05,00,063) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	227.57	227.57
(iv)	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि. [2.50,00,000 (50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	25.00	5.00
(v)	नैबवेंचर्स लि. [5,00,00,000 (2,50,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	25.00
(vi)	नैबफाउंडेशन [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(vii)	नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड [5,00,00,000 (5,00,00,000) - प्रत्येक ₹10 के इक्विटी शेयर]	50.00	50.00
(ख)	**संयुक्त उद्यम**	-	-
6	**अन्य**		
(क)	म्यूचुअल फंड	6,602.32	5,293.40
(ख)	वाणिज्यिक पत्र [अंकित मूल्य ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)	1,453.08	185.05
(ग)	जमाराशि प्रमाण-पत्र [अंकित मूल्य ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)	16,100.04	7,900.10
(घ)	उद्यम पूँजी निधियाँ/ एआईएफ़	536.04	414.51
(ङ)	ईओएल के लिए निर्धारित निवेश [अनुसूची 18 का नोट आ-21.2 देखें]	10.95	39.26
(च)	आधारभूत संरचना निवेश न्यास (InvITs)	2.00	-
	कुल	**91,817.30**	**69,827.79**

*₹50,000/- से कम की राशि को दर्शाते है.

अनुसूची 11 - अग्रिम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	**पुनर्वित्त ऋण**		
(क)	उत्पादन और विपणन ऋण	1,69,224.53	1,58,705.71
(ख)	**अन्य निवेश ऋण**		

(i)	मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	जिमस बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त	27,767.64	20,504.10
2	**प्रत्यक्ष ऋण**		
(क)	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के अंतर्गत ऋण	1,84,724.16	1,70,006.64
(ख)	भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत ऋण	2,581.85	3,385.86
(ग)	दीर्घावधि गैर-परियोजना ऋण	295.89	331.85
(घ)	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता (नीडा) के अंतर्गत ऋण	40,879.33	32,403.74
(ङ)	उत्पादक संगठन के लिए ऋण	0.14	0.53
(च)	फेडरेशनों को ऋण सुविधा (सीएफएफ)	41,676.56	20,583.03
(छ)	खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत ऋण	386.48	431.38
(ज)	दीर्घावधि सिंचाई निधि के अंतर्गत ऋण	51,803.83	53,617.32
(झ)	प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण	48,819.03	48,819.03
(ञ)	स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	12,298.20	12,298.20
(ट)	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	1,366.81	1,508.16
(ठ)	जीसीएफ़ के अंतर्गत ऋण	517.99	551.52
(ड)	सूक्ष्म सिंचाई निधि	2,871.83	3,036.88
(ढ)	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि	1,141.38	801.50
(ण)	ग्रामीण आधारभूत संरचना सहायता योजना (आरआईएएस)	65.16	-
(त)	**अन्य ऋण:**		
(i)	वाटरशेड विकास निधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	1.66	3.69
(ii)	केएफडब्ल्यू यूपीएनआरएम के अंतर्गत ऋण	-	0.73
(iii)	कृषीतर क्षेत्र संवर्धन गतिविधि कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण	0.29	0.46
	कुल	**8,39,055.03**	**7,95,104.30**

नोट: ₹2,005.32 करोड़ की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिम (31.03.2024 की स्थिति के अनुसार ₹1,983.25 करोड़).

अनुसूची 12 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	भूमि : स्वामित्ववाली और पट्टाकृत (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	195.79	195.79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	-	-
	उप-जोड़	195.79	195.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-

	इति शेष (लागत पर)	195.79	195.79
	घटाएँ : लीज प्रीमियम का परिशोधन	67.16	65.70
	बही मूल्य	**128.63**	**130.09**
2	परिसर (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-31 देखें)		
	प्रारंभिक शेष	659.20	652.24
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	9.27	6.96
	उप-जोड़	668.47	659.20
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	-	-
	इति शेष (लागत पर)	668.47	659.20
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	374.03	350.27
	बही मूल्य	**294.44**	**308.93**
3	फर्नीचर और फिक्सचर्स		
	प्रारंभिक शेष	67.23	66.70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	0.67	0.72
	उप-जोड़	67.90	67.42
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	0.18	0.19
	इति शेष (लागत पर)	67.72	67.23
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	63.77	61.62
	बही मूल्य	**3.95**	**5.61**
4	कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और कार्यालय उपकरण		
	प्रारंभिक शेष	248.72	216.45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	34.69	34.34
	उप-जोड़	283.41	250.79
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	6.57	2.07
	इति शेष (लागत पर)	276.84	248.72
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	229.07	210.35
	बही मूल्य	**47.77**	**38.37**
क्रम. सं.	**विवरण**	**31.03.2025 की स्थिति**	**31.03.2024 की स्थिति**
5	वाहन		
	प्रारंभिक शेष	14.84	13.30
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	6.99	6.06
	उप-जोड़	21.83	19.36
	घटाएँ : बेची गई/ बट्टे खाते डाली गई आस्तियों की लागत	5.86	4.52
	इति शेष (लागत पर)	15.97	14.84
	घटाएँ : अब तक मूल्यह्रास	5.97	5.93

	बही मूल्य	**10.00**	**8.91**
6	जारी पूंजीगत कार्य [जिसमें परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर तथा सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन शामिल है]	75.12	56.93
	कुल	**559.91**	**548.84**

नोट - अब तक के मूल्यह्रास में प्रारंभिक मूल्यह्रास, परिवर्धन और बिक्री पर मूल्यह्रास तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष का मूल्यह्रास शामिल है

अनुसूची 13 - अन्य आस्तियाँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**31.03.2025 की स्थिति**	**31.03.2024 की स्थिति**
1	उपचित ब्याज	6,006.03	5,564.26
2	प्राप्य डिस्काउंट	-	294.78
3	भूस्वामियों के पास जमाराशि	1.56	1.39
4	सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के पास जमाराशि	54.21	54.14
5	स्टाफ को आवास ऋण	188.47	142.55
6	स्टाफ को अन्य अग्रिम	96.13	95.00
7	विविध अग्रिम	83.83	75.04
8	आस्थगित कर आस्तियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-21.5 देखें)	113.95	190.23
9	भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्य राशियाँ (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ - 26 और आ - 28 देखें)	1,193.46	1,486.25
10	बॉण्ड के निर्गम पर डिस्काउंट	94.98	121.42
11	अन्य आस्तियां - इनपुट टैक्स क्रेडिट - जीएसटी	7.16	2.43
	कुल	**7,839.78**	**8,027.49**

अनुसूची 15 अ - स्थापना और अन्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	**विवरण**	**2024-25**	**2023-24**
1	वेतन और भत्ते (अनुसूची 18 की टिप्पणी आ-33 देखें)	1,248.87	1,360.80
2	स्टाफ अधिवर्षिता निधियों में अंशदान/ उनके लिए प्रावधान	822.17	1,298.04
3	अन्य अनुलाभ और भत्ते	310.37	227.03
4	निदेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों से संबंधित यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते	0.20	0.21
5	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.27	0.31

6	किराया, दरें, बीमा, बिजली आदि	44.79	41.70
7	यात्रा व्यय	64.24	56.49
8	मुद्रण और लेखन सामाग्री	7.04	6.16
9	डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	31.07	23.49
10	मरम्मत	18.76	16.88
11	लेखापरीक्षकों की फीस	0.34	0.26
12	विधिक प्रभार	2.41	2.15
13	विविध व्यय	274.32	217.20
14	विविध आस्तियों पर व्यय	12.93	9.20
15	अध्ययन और प्रशिक्षण पर व्यय	115.00	105.32
	कुल	**2,952.78**	**3,365.24**

अनुसूची 15 आ - संवर्धनात्मक गतिविधियों पर व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1	सहकारिता विकास निधि	54.55	33.29
2	उत्पादक संगठन विकास निधि - नाबार्ड	0.29	3.95
3	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	3.18	3.09
4	कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि के अंतर्गत व्यय	34.28	28.27
5	जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय	-	0.39
6	ग्राम्य विकास निधि	57.69	63.50
7	उत्प्रेरक पूंजी निधि	2.52	2.94
8	प्रौद्योगिकी सुविधा निधि	0.10	0.59
	कुल	**152.61**	**136.02**

अनुसूची 16 - प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2023-24
	निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
1	मानक आस्तियाँ	221.46	370.00
2	अनर्जक आस्तियाँ	33.49	(67.97)
3	निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
	कुल	**246.45**	**316.81**

अनुसूची 17 - प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देयताएँ

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	31.03.2025 की स्थिति	31.03.2024 की स्थिति
1	निष्पादन के लिए शेष पूंजीगत संविदाओं के कारण प्रतिबद्धताएँ (अग्रिम को घटाकर)	68.12	37.34
	उप जोड़ "अ"	**68.12**	**37.34**
2	आकस्मिक देयताएँ		
(i)	बैंक गारंटी	2.16	24.18
(ii)	लंबित विधिक मामले (आयकर अपीलों सहित)	415.00	416.17
	उप जोड़ "आ"	417.16	440.35
	कुल (अ + आ)	**485.28**	**477.69**

अनुसूची 18

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का भाग हैं

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखे तैयार करने का आधार:

लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं और इन्हें तैयार करने में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 और उसके विनियमों में निहित महत्वपूर्ण पहलुओं, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंडों का पालन किया गया है. अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (धारक बैंक/ नाबार्ड) ने निरंतर लेखा नीतियों का पालन किया है और ये नीतियाँ पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

2. समेकन का आधार:

समेकित वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानक 21 - “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार तैयार किए गए हैं.

शेयरों के अधिग्रहण के समय बैंक की निवल आस्तियों के भाग के समक्ष, बैंक के निवेश की लागत से आधिक्य/ कमी को प्रारक्षित निधियों और अधिशेष में दर्शाया गया है.

इन समेकित वित्तीय विवरणों में नाबार्ड ("धारक बैंक" या "नाबार्ड") और उसकी सहायक कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं जो "समूह" के रूप में संदर्भित हैं. समान लेनदेनों तथा एक समान परिस्थितियों के लिए एक समेकित वित्तीय विवरण समान लेखांकन नीतियों का उपयोग कर तैयार किए गए हैं तथा किन्हीं विचलनों, यदि कोई हों, के लिए जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों में आवश्यक समायोजन किया गया है तथा उन्हें उसी तरह प्रस्तुत किया गया है जिस तरह बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है. सहायक कंपनियों से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति को बैंक के मूल वित्तीय विवरणों के अनुसार सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें आवश्यकतानुसार पुन:समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

समेकन में सहायक कंपनियों के जिन वित्तीय विवरणों का उपयोग किया गया है वे उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए गए हैं जिस तिथि तक बैंक के विवरण तैयार किए गए हैं.

लेखांकन मानक - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' के पैरा 6 की व्याख्या इस प्रकार है:

"मूल उद्यम और उसकी सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाने वाले सभी नोटों को समेकित वित्तीय विवरणों के नोटों में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, नोट्स और अन्य व्याख्यात्मक सामग्री, जो उनका एक अभिन्न अंग हैं, के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाए:

क) समेकित वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक टिप्पणियों को समेकित वित्तीय विवरणों में उनके अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया जाए.

ख) केवल उन्हीं टिप्पणियों का प्रकटन किया जाए जिनमें ऐसी मदें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं. इस उद्देश्य के लिए महत्ता का आकलन समेकित वित्तीय विवरणों में निहित जानकारी के संदर्भ में किया जाता है. इसे देखते हुए, यह संभव है कि कुछ ऐसी टिप्पणियाँ हों, जो मूल कंपनी या सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई हों, किंतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में महत्ता का आकलन किए जाने पर उन सूचनाओं को समेकित वित्तीय विवरणों में दिए जाने की आवश्यकता न हो.

ग) सहायक संस्थाओं तथा/ अथवा मूल कंपनी से संबंधित अतिरिक्त सांविधिक सूचनाएँ, जो उनके अलग वित्तीय विवरणों में दी गई हों परंतु जिससे समेकित वित्तीय विवरणों की सही और निष्पक्ष स्थिति पर कोई असर न पड़ता है, को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है."

वित्तीय विवरणों का समेकन एएस - 21 'समेकित वित्तीय विवरण' में उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति जोड़ा गया है जिसमें अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेनदेनों को पूरी तरह से हटाने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को जोड़ दिया गया है. अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप अप्राप्त लाभों अथवा हानियों को हटा दिया गया है तथा अंत:समूह लेनदेनों के परिणामस्वरूप हुई अप्राप्त हानियों को भी हटा दिया गया है, जब तक कि लागत न वसूल की जा सके.

समेकित सहायक संस्थाओं के निवल लाभ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से की पहचान की गई है और शेयरधारकों से संबंधित निवल आय की गणना करने के लिए कर-पश्चात् लाभ के समक्ष इसे समायेजित किया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की हानियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा, यदि इक्विटी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से से अधिक होता है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से संबंधित आधिक्य की राशि और आगे हुई हानियों को समूह के इंटरेस्ट के समक्ष समायोजित किया गया है.

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा समेकित तुलन-पत्र में कंपनी के शेयरधारकों की देयताओं और इक्विटी से अलग प्रस्तुत किया गया है.

3. बैंक के खातों के समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सहायक संस्थाएँ शामिल हैं:

सहायक संस्था का नाम	**फ्रेमवर्क**	**समेकन हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण**	**निगमन का देश**	**स्वामित्व का अनुपात (%)**	
				2023-24	**2022-23**
नैबकिसान फाइनेंस लि. (नैबकिसान)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	87.77	87.77
नैबसमृद्धि फाइनेंस लि. (नैबसमृद्धि)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	91.09	91.09

नैबफिन्स लिमिटेड (नैबफिन्स)	आईएनडी एएस	नहीं*	भारत	63.10	63.10
नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज प्रा.लि. (नैबकॉन्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबवेंचर्स लि. (नैबवेंचर्स)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबफ़ाउंडेशन	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100
नैबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड (नैबसंरक्षण)	आईजीएएपी	हाँ	भारत	100	100

* आईएनडी एएस के तहत तैयार किए गए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण संबंधित सहायक संस्थाओं के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है. तथापि, वित्तीय विवरणों के समेकन के उद्देश्य से आईएनडी एएस नाबार्ड पर लागू नहीं होता है. इसलिए हमने आईजीएएपी वित्तीय विवरणों पर विचार किया है जो संबंधित सहायक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं और लेखापरीक्षित नहीं है.

नाबार्ड, एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल) के 30% शेयर धारित करता है. एएस 23 - 'समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध इकाइयों में निवेशों के लिए लेखांकन' के अनुसार, यदि निवेशक, निवेशिती में 20% अथवा उससे अधिक की वोटिंग शक्ति रखता है, तो वहाँ सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स माना जाता है. तथापि, नाबार्ड का प्रतिनिधित्व निदेशक मंडल में एक 'गैर-कार्यपालक निदेशक' के रूप में है. अतः नाबार्ड एआईसीआईएल पर सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स का प्रयोग नहीं करता है जिसके परिणामस्वरूप एआईसीआईएल के वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए हैं.

4. अनुमानों का उपयोगः

सामान्यतया मान्य लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने के लिए यह अपेक्षित होता है कि प्रबंधन ऐसी बातें मान कर चले और ऐसे अनुमान लगाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की राशि तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्टिंग की अवधि के दौरान परिचालनों के परिणामों की स्थिति को प्रभावित करते हैं. यद्यपि, ये अनुमान प्रबंधन तंत्र की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होते हैं, तथापि वास्तविक निष्कर्ष इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं. इन भिन्नताओं का निर्धारण उस वर्ष में दर्शाया जाता है जब ये परिणाम प्राप्त होते हैं.

5. राजस्व निर्धारणः

5.1 नकदी के आधार पर लेखाबद्ध निम्नलिखित मदों को छोड़ कर, आय और व्यय को उपचय के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार पहचानी गई अनर्जक आस्तियों पर ब्याज.

ii. ऋण देयों की प्राप्ति में विलंब या ऋण की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर प्रभारित दंडात्मक ब्याज के रूप में आय.

iii. विभिन्न निधियों से दिए गए ऋणों पर सेवा प्रभार.

iv. किसी एक व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक लेखा इकाई में ₹10,000 तक के व्यय.

5.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की डिस्काउंट राशि को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया. लागू स्टाम्प शुल्क सहित, बॉण्डों के निर्गम से संबंधित व्ययों को बॉण्डों के निर्गम वर्ष का व्यय माना गया है.

5.3 लाभांश प्राप्त होने का अधिकार स्थापित हो जाने पर निवेश पर लाभांश को लेखे में लिया गया है.

5.4 i) उद्यम पूंजी निधि से प्राप्त आय की गणना वसूली के आधार पर की गई है.

ii) जिस सब्सिडी के लिए नाबार्ड पास-थ्रू एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, उस सब्सिडी और उस पर सेवा शुल्क का लेखांकन संबंधित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अधीन अदायगी के आधार पर किया गया है.

5.5 अनर्जक आस्तियों की वसूली निम्नलिखित क्रम में विनियोजित की गई है:

i) दंडात्मक ब्याज

ii) लागत और प्रभार

iii) अतिदेय ब्याज और ब्याज

iv) मूलधन

5.6 समझौता और समाधान/ निपटान के मामले में, वसूली को संबंधित समझौता/ समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया गया है.

5.7 जिन खातों के लिए वाद दायर किए गए हैं/ ड्रिकी प्राप्त हुई है उनके संबंध में, वसूली को निम्नानुसार विनियोजित किया गया:

i. संबन्धित न्यायालय के निर्देशों के अनुसार.

ii. न्यायालय से विशिष्ट निर्देशों के न होने पर, उक्त बिन्दु 5.5 के अनुसार.

5.8 नैबकॉन्स - सेवाओं से आय

5.8.1 सौंपे गए कार्यों से आय: कंपनी के लिए सौंपे गए कार्यों से होने वाली आय, आय का मुख्य स्रोत है. सौंपे गए कार्य की समाप्ति पर कार्य विशेष से संबंधित आय और तदनुरूपी व्यय को गणना में लिया गया है. सौंपे गए कार्य को निम्नलिखित स्थितियों में पूर्ण माना जाता है

- डीपीआर तैयार करने के मामले में, पार्टी को ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करने के बाद - शीघ्रातिशीघ्र.
- जिन कार्यों के निष्पादन की अवधि विस्तृत है, उनके मामलों में महत्वपूर्ण पड़ावों और कार्य पूर्ण कर सौंपे जाने, निष्पादन की स्थिति और पूर्णता की अवधि के आधार पर आय-निर्धारण किया गया है.
- यदि सौंपा गया कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए समयबद्ध संविदा के रूप में हो, तो ऐसे मामले में पूर्ण हो चुकी अवधि के अनुपात में आय निर्धारण किया गया है.

5.8.2 कंपनी की नीति के अनुसार जिन कार्यों को जारी रखे जाने की संभावना नहीं है उन्हें "जैसा है जहाँ है" आधार पर वहीं बंद कर दिया गया है और उनसे प्राप्त राशि को आय के रूप में माना गया है.

5.8.3 वर्तमान में चल रहे जिन कार्यों के लिए कंपनी की उपर्युक्त नीति के अनुसार आय बुकिंग के मानदंडों का पालन नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण पड़ावों को प्राप्त नहीं किया गया है, उनके लिए प्रगामी आधार पर प्राप्त अग्रिम राशि को ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के रूप में अलग से दर्शाया गया है और उसे चालू देयता के रूप में माना गया है. इस प्रकार के कार्यो पर हुए व्यय को चालू आस्तियों के रूप में दर्शाया गया है और कंपनी की नीति के अनुसार, इसे उस वर्ष के खर्च के रूप में दिखाया जाएगा जिसमें संबंधित आय को लेखाबद्ध किया गया है.

5.8.4 नैबकॉन्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार द्वारा डीडीयू-जीकेवाई योजना के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी (सीटीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है. विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, नैबकॉन्स आबंटित राज्यों के संबंध में कुल परियोजना लागत की 1.5% (जीएसटी सहित) की दर से अनुप्रवर्तन लागत प्राप्त करने का हकदार है, जिसे एसआरएलएम/ एसएसडीएम को जारी प्रत्येक किश्त के जारी/ मंजूर किए जाने के समय आय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है.

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नैबकॉन्स को कई राज्यों द्वारा भी तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे प्राप्त आय का निर्धारण एसआरएलएम/ एसएसडीएम के साथ निष्पादित सहमति ज्ञापन में निर्दिष्ट सहमत शर्तों के अनुसार किया गया.

इस प्रकार, नैबकॉन्स ने एमओआरडी/ एसआरएलएम से प्राप्य ऐसी आय का निर्धारण किया है, जो या तो स्वीकृत है अथवा देय है, लेकिन प्रशासनिक कारणों, धन की कमी आदि के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है.

इसके अतिरिक्त, नैबकॉन्स ने परियोजना मूल्यांकन एजेंसी का कार्य भी किया है. परियोजना मूल्यांकन से संबंधित आय का निर्धारण परियोजना कार्य के पूरा होने/ पीआईए से शुल्क की प्राप्ति के समय पर किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 को रोल-आउट करने की प्रक्रिया में है. कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिनांक 31.03.2026 तक किया जाना है.

6. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अचल आस्तियाँ)

6.1 अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास और क्षति के कारण होने वाली हानि, यदि कोई हो, को घटा कर, अधिग्रहण लागत पर दर्शाया गया है. आस्तियों की लागत में उनके अधिग्रहण और उन्हें स्थापित करने से संबंधित कर, शुल्क, भाड़े और अन्य प्रासंगिक व्यय शामिल हैं. विद्यमान आस्तियों पर बाद में किए गए व्यय को तभी पूंजीकृत किया गया है जब उससे, विद्यमान आस्तियों का भविष्यगत लाभ उनके पूर्व में आकलित कार्यनिष्पादन के स्तर से आगे बढ़ जाता है.

6.2 भूमि में पूर्ण स्वामित्व वाली और पट्टे पर ली गई भूमि शामिल है.

6.3 परिसर में भूमि का मूल्य शामिल है, जहाँ अलग-अलग मूल्य तत्काल उपलब्ध नहीं हैं.

6.4 पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और पट्टेवाली भूमि पर स्थित परिसर पर मूल्यह्रास की नीति में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संशोधन किया गया है और मूल्यह्रास की गणना 30 वर्षों की अवधि के लिए सीधी रेखा पद्धति के आधार पर की गई है.

6.5 पट्टे पर ली गई भूमि पर अदा किए गए अपफ्रंट लीज प्रीमियम को लीज की अवधि में 5% की दर से प्रारंभिक अवलिखित मूल्य पर या लीज की शेष अवधि पर शेष लीज प्रीमियम की आनुपातिक राशि, जो भी अधिक हो, के अनुसार परिशोधित किया गया है.

6.6 ₹1 लाख और उससे कम लागत की प्रत्येक अचल आस्ति (आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्ति, जैसे - लैपटाप, मोबाइल फोन आदि को छोड़कर) को उसके अधिग्रहण वर्ष में लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है. आसानी से स्थानांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक आस्तियों, जैसे - लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि को तभी पूंजीकृत किया गया है जब प्रत्येक मद की लागत ₹10,000 से अधिक है. ₹1 लाख और उससे कम की लागत वाले और स्वतंत्र रूप से खरीदे गए प्रत्येक सॉफ्टवेयर को लाभ हानि खाते में लिया गया है.

6.7 धारक बैंक के मामलें में, अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, आस्तियों की प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की गई अनुमानित उपयोगिता अवधि पर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया गया है:

आस्तियों का प्रकार	मूल्यह्रास की दर
फर्नीचर और फिक्सचर्स	20%
कम्प्यूटर और सॉफ्टवेयर	33.33%
कार्यालय उपकरण	20%
वाहन	20%

6.8 आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना उस माह से की जाती है जिस माह से वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्ति को पूंजीकृत किया जाता है. यह गणना उस माह तक की अवधि के लिए की जाती है जब तक उस आस्ति की बिक्री नहीं हो जाती.

6.9 चल रहे पूंजीगत कार्य में पूंजी अग्रिम शामिल हैं और उन्हें अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

6.10 सहायक संस्थाओं के मामले में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास की गणना निम्नानुसार की गई है:

सहायक संस्था का नाम	मूल्यह्रास की प्रणाली
नैबकिसान	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबसमृद्धि	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबफिन्स	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य
नैबकॉन्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबवेंचर्स	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति और अवलिखित मूल्य
नैबफाउंडेशन	अनुसूची II के अनुसार सीधी रेखा पद्धति
नैबसंरक्षण	अनुसूची II के अनुसार अवलिखित मूल्य

7. निवेश

7.1 प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान तिथि" पर दर्ज किए जाते हैं.

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को "व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)", "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम)" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है (जिन्हें आगे "श्रेणियाँ" कहा गया है).

7.3 जो प्रतिभूतियाँ मुख्यत: क्रय की तिथि से 90 दिन के भीतर फिर से बेचे जाने के लिए धारित होती हैं उन्हें "एचएफटी" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है उन्हें "एचटीएम" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. जिन प्रतिभूतियों को इन दोनों में से किसी श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाना है उन्हें "एएफएस" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है.

7.4 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत जिन निवेशों की लागत अंकित मूल्य के समान या उससे कम है उन्हें अधिग्रहण की लागत पर रखा गया है. यदि लागत, अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम को परिपक्वता के लिए शेष अवधि के लिए परिशोधित किया गया है. "एचटीएम" श्रेणी के अंतर्गत, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, की स्थिति में यथावश्यक प्रावधान किया गया है. यदि ऐसे निवेशों के मूल्य में कोई कमी आई है/ परिशोधन हुआ है तो इसके लिए किए गए प्रावधान को चालू देयताओं और प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है.

7.5 "एचटीएम" के तहत वर्गीकृत निवेशों के मोचन पर प्राप्त लाभों को लाभ और हानि लेखा में दर्शाया गया है.

7.6 "एएफएस" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि. द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाज़ार के लिए मार्क किया गया है. यदि कोई निवल मूल्यह्रास है, तो "एएफएस" के तहत वर्गीकृत श्रेणी में निवेश के लिए प्रावधान किया गया है और मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

7.7 "एचएफटी" के अंतर्गत निवेशों को 'भारतीय निर्धारित आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्न संघ' (एफआईएमएमडीए) और फाइनैंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्रा.लि., एएमएफआई आदि द्वारा घोषित दर पर स्क्रिप-वार बाजार के लिए मार्क किया गया है. "एचएफटी" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में यदि कोई निवल मूल्यह्रास है तो उसे दर्ज किया गया और उसमें मूल्यवृद्धि को अनदेखा किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद अलग-अलग स्क्रिप के अंकित मूल्यों में परिवर्तन किए गए हैं.

7.8 सहायक संस्थाओं/ संयुक्त उद्यमों और सहयोगी संस्थाओं में किए गए निवेशों को "परिपक्वता तक धारित"(एचएफटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

7.9 ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा राशि प्रमाण-पत्रों का मूल्यांकन धारित लागत पर किया गया है.

7.10 जिन कंपनियों में निवेश किया गया है, यदि उन कंपनियों के नवीनतम लेखापरीक्षित खाते उपलब्ध हैं, तो उद्धृत न किए गए शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया गया है या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार ₹1/- प्रति कंपनी की दर से किया गया है.

7.11 असूचीबद्ध इक्विटियों सहित निवेशों के संबंध में अधिग्रहण के समय अदा की गई ब्रोकरेज, कमीशन आदि की राशि को राजस्व के अंतर्गत प्रभारित किया गया है.

7.12 शेयर बाजार में खरीदी/ बेची गई इक्विटियों के अधिग्रहण/ बिक्री पर अदा की गई ब्रोकरेज राशि को पूंजीकृत किया गया है.

7.13 ऋण निवेश पर खंडित अवधि के लिए अदा किए गए/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/ आय माना गया है और लागत/ बिक्री की गणना में शामिल नहीं किया गया है.

7.14

क्र. सं.	मौजूदा श्रेणी	प्रस्तावित श्रेणी	लेखांकन नीति
1.	एएफएस/ एचटीएफ	एचटीएम	बही मूल्य या बाजार मूल्य, जो भी कम हो. ऐसे मामलों में जहाँ बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है, उनमें प्रतिभूति के समक्ष धारण किए गए मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (जिसमें, आवश्यकता होने पर, अंतरण की तिथि पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित अतिरिक्त प्रावधान भी शामिल होगा) समायोजित कर बही मूल्य को बाजार मूल्य तक घटाया जाएगा और प्रतिभूति का अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाएगा.
2.	एचटीएम	एएफएस/ एचएफटी	बही मूल्य/ परिशोधित लागत पर अंतरण. ऐसी प्रतिभूतियों का, अंतरण के फसलस्वरूप तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा,

			और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाएगा.
3.	एएफएस/ एचएफटी	एचएफटी/ एएफएस	बही मूल्य पर अंतरण. अंतरण की तिथि पर प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक नहीं है, और संचित मूल्यह्रास के लिए यदि कोई प्रावधान धारित किया गया हो, तो उसे एचएफटी प्रतिभूतियों के समक्ष मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में अंतरित किया जाएगा और इसके विपरीत भी किया जा सकता है.

7.15 सरकारी प्रतिभूतियों के पुनर्मूल्यांकन पर परिशोधन/ लाभ/ हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

7.16 निवेशों के लेखांकन के लिए भारित औसत लागत पद्धति का पालन किया गया है.

7.17 उद्यम पूंजी निधियों में निवेश का लेखांकन संबंधित निधि द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है.

7.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप निवेश एनपीआई वर्गीकरण के लिए आय के उचित प्रावधान/ आय की अमान्यता के अधीन हैं. अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/ प्रावधान अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में मूल्यवृद्धि के समक्ष समायोजित नहीं किए जाते हैं.

यदि किसी इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण सुविधा बैंक की लेखा-बहियों में एनपीए के रूप में दर्ज है, तो उस इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को भी एनपीआई और उसके विपरीत माना जाएगा.

प्रतिभूतियों, यानी, बॉण्डों, डिबेंचरों आदि के मामले में, जहाँ उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया है, वहाँ वाईटीएम या आईआरएसी मानदंडों, इनमें से जो भी अधिक हो, के आधार पर प्रावधान किया गया है.

7.19 रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों की गणना संपार्श्विक युक्त उधार और उधार लेनदेन के रूप में की जाती है. तथापि, प्रतिभूतियों का अंतरण उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सामान्य एकमुश्त बिक्री/ खरीद की जाती है और ऐसी प्रतिभूतियों को रेपो/ रिवर्स रेपो खातों और कॉन्ट्रा प्रविष्टियों के माध्यम से दर्शाया जाता है. परिपक्वता की तिथि को उपर्युक्त प्रविष्टियों का प्रत्यावर्तन कर दिया जाता है. लागत और राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में की जाती है.

7.20 हेजिंग प्रयोजनों के लिए व्युत्पन्न लेनदेन किए जाते हैं.

7.21 सहायक संस्थाओं के मामले में, कॉर्पोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर, बारह माह से अधिक की अवधि तक धारित निवेशों का मूल्यांकन, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, अस्थायी को छोड़कर, को घटाकर लागत मूल्य पर किया जाता है. कॉर्पोरेट बॉण्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियाँ परिशोधित लागत पर धारण की जाती हैं. जो निवेश शीघ्र भुनाने योग्य हैं और जिन्हें बारह माह से कम की अवधि के लिए धारण किया जाना होता है, उन्हें लागत और उचित मूल्य में से जो भी कम हो, पर धारित किया जाता है और परिणामी गिरावट, यदि कोई हो, तो उसे लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है.

नैबसंरक्षण के मामले में, म्यूचुअल फंडों के विमोचन पर लाभ या हानि की गणना हेतु प्रथम-प्रविष्टि-प्रथम-निर्गम (एफआईएफओ) के आधार शामिल लागत पर विचार किया जाता है.

हेज स्वैप

हेज ब्याज वाली आस्ति या देयता के साथ ब्याज दर स्वैप को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है, उस आस्ति या देयता से जुड़े स्वैप को छोड़कर, जिसका वहन बाजार मूल्य पर या लागत से कम मूल्य पर किया गया हो. स्वैप की समाप्ति पर, स्वैप के शेष संविदागत समय या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर लाभ और हानि का निर्धारण किया जाता है.

8. अग्रिम और उनके लिए प्रावधान

8.1 अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है. आवधिक समीक्षा के आधार पर और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रावधान के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पहचाने गए अग्रिमों के संबंध में मानक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किया गया है.

8.2 अग्रिमों की पुन: संरचना/ पुन:अनुसूचीकरण के मामले में, मूल करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य तथा संशोधित करार के अनुसार भावी मूलधन और ब्याज के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के लिए प्रावधान किया गया है.

8.3 अनर्जक अग्रिमों के समक्ष किए गए प्रावधानों को घटाकर अग्रिमों को दिखाया गया है.

8.4 निधियों से मंजूर किए गए ऋणों के संदर्भ में, अनर्जक ऋणों के लिए किए गए प्रावधान की राशि को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

8.5 भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए पर किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं. इन प्रावधानों को तुलन-पत्र की अनुसूची 8 में "वर्तमान देयताएँ और प्रावधान" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है और निवल एनपीए की गणना करने के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है.

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में जारी लेखांकन मानक (एएस - 11) के अनुसार विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन निम्नानुसार किया गया है:

9.1 आस्तियों और देयताओं का पुन:मूल्यांकन, रिपोर्टिंग की तिथि/ वर्ष के अंत में एफ़ईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में किया गया है. विदेशी मुद्रा उधार के हेज किए गए भाग को संविदाकृत मूल्य पर उल्लिखित किया गया है और हेज किए गए उधार की देयता को वर्ष की समाप्ति पर विद्यमान विनिमय दर के अनुसार तुलन-पत्र में क्रॉन्ट्रा मद (तुलन-पत्र से इतर मद) के रूप में दर्शाया गया है.

9.2 हेज किए गए लेनदेन हेतु आय और व्यय मदों को निष्पादित हेज करारों के अनुसार संविदागत दरों पर परिवर्तित किया गया.

10. विदेशी विनिमय संविदाओं का लेखांकन

10.1 विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएँ विदेशी मुद्रा उधारों की चुकौती को हेज करने के लिए की गई हैं.

10.2 हेज किए गए विदेशी मुद्रा उधारों का उल्लेख संविदागत दर पर किया गया है.

10.3 हेज न की गई विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन वर्ष के अंत/ रिपोर्टिंग की तिथि में एफईडीएआई/ एफ़बीआईएल द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर किया गया है. पुन: मूल्यांकन के परिणामस्वरूप अभिलाभ/ घाटे का निर्धारण लाभ और हानि खाते में 'वायदा विनिमय संविदा खाते के पुन:मूल्यांकन पर प्राप्त अभिलाभ/ घाटा' शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.

11. कर्मचारी लाभ

भारतीय रिज़र्व बैंक से स्थानांतरित सभी कार्मिकों को बैंक का कर्मचारी माना गया है और तदनुसार कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान किए गए हैं. प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए यथावश्यक रूप से बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है.

11.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

कर्मचारियों हेतु अल्पावधि लाभ, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अपेक्षित है, की अबट्टाकृत राशि का निर्धारण उसी अवधि के लिए किया गया है जिस अवधि में कर्मचारी ने सेवाएँ प्रदान की हैं.

11.2 सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ:

i) परिभाषित अंशदान योजना

बैंक ने उन सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) आरंभ की है जो 01 जनवरी 2012 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आए हैं. बैंक ने पेंशन निधि विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार की गई एक परिभाषित अंशदान योजना "एनपीएस - कॉर्पोरेट सेक्टर मॉडल" को अपनाया है. निधि में अंशदान उपचय आधार पर किया जाता है.

ii) परिभाषित लाभ योजना

(क) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान किया जाता है जो सभी पात्र कर्मचारियों के लिए अनुमानित इकाई ऋण पद्धति के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है. योजना के लिए निधि बैंक द्वारा प्रदान की जाती है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया जाता है.

(ख) 31 दिसम्बर 2011 को या उससे पहले बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है. इस योजना के लिए बैंक निधि प्रदान करता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है. बीमांकिक लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि लेखा में उपचय आधार पर दर्शाया गया जाता है.

iii) अन्य दीर्घावधि लाभ

बैंक के सभी पात्र कर्मचारी पारिश्रमिक के साथ अनुपस्थितियों के लिए पात्र हैं. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभों के लिए भी पात्र हैं. अन्य दीर्घावधि लाभों की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर अनुमानित इकाई ऋण पद्धति से आकलित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. बीमांकिक अभिलाभ या घाटे को लाभ और हानि लेखा में उपचय के आधार पर दर्शाया जाता है.

12. आय पर कर

12.1 चालू अवधि के लिए आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुरूप परिगणित कर-योग्य आय और कर जमाओं के साथ-साथ आकलनों/ अपीलों के संभावित परिणाम के आधार पर किया गया है.

12.2 आस्थगित कर की पहचान समयजन्य अंतर अर्थात् वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखागत आय के बीच के अंतर के रूप में की गई है और इस राशि की गणना तुलन-पत्र की तिथि को लागू कर की दरों और अधिनियमित कानूनों के आधार पर की गई है.

12.3 अनवशोषित मूल्यह्रास/ व्यवसायगत हानियों से संबंधित आस्थगित आस्तियों की पहचान कर उन्हें उस सीमा तक आगे ले जाया गया है, जहाँ यह लगभग निश्चित हो जाए कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली की जा सकेगी.

12.4 निधियों से अर्जित कर योग्य आय पर अदा किए गए कर/ प्रावधान किए गए कर की गणना संबंधित निधियों के व्यय के रूप में की गई है.

13. खंड रिपोर्टिंग

13.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक के अनुपालन में बैंक व्यवसाय खंड को रिपोर्टिंग का प्राथमिक खंड मानता है.

13.2 खंड राजस्व में, खंड से सीधे संबंधित/ खंड को आबंटन योग्य ब्याज और अन्य आय शामिल हैं. जो आय संपूर्ण बैंक से संबंधित है और जिसे किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता उसे "अन्य आबंटित न की जा सकने योग्य बैंक आय" में शामिल किया गया है.

13.3 जो व्यय किसी खंड से सीधे संबंधित हैं/ किसी खंड को आबंटन-योग्य हैं, उनको खंड का परिणाम निर्धारित करने के लिए हिसाब में लिया गया है. ऐसे व्यय जिनका संबंध संपूर्ण बैंक से है और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता, उनको "अन्य आबंटित न किए जा सकने योग्य व्यय" में शामिल किया गया है.

13.4 खंड आस्तियों और देयताओं में संबंधित खंड से सीधे जुड़ी आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं. आबंटित न की जा सकने योग्य आस्तियों और देयताओं में वे आस्तियाँ और देयताएँ शामिल हैं जो संपूर्ण बैंक से संबंधित हैं और जिन्हें किसी खंड को आबंटित नहीं किया जा सकता.

14. आस्तियों की क्षतिग्रस्तता

14.1 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि को आस्तियों की अंकित राशि की जांच क्षतिग्रस्तता के लिए की जाती है ताकि:

क) यदि क्षतिग्रस्ततताजन्य कोई हानि हुई हो, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके; अथवा

ख) पिछली अवधियों में यथानिर्धारित क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि, यदि कोई हो, का प्रत्यावर्तन किया जा सके.

14.2 क्षतिग्रस्ततताजन्य हानि तब मानी गई है जब किसी आस्ति की धारिता राशि उससे वसूली योग्य राशि से अधिक हो.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

15.1 प्रावधानों के लिए केवल उन्हीं देयताओं को मान्य किया गया है जिनका आकलन काफी हद तक अनुमानों का प्रयोग करते हुए किया जा सके, यदि:

क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप बैंक की कोई वर्तमान देयता हो.

ख) देयता के निस्तारण हेतु संसाधनों का बर्हिगमन संभावित हो; और

ग) देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो.

15.2 आकस्मिक देयता का निम्न मामलों में प्रकटन किया गया है:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जब इसकी संभावना न हो कि उस देयता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी,

ख) कोई वर्तमान देयता, जब विश्वसनीय अनुमान संभव न हो, और

ग) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता, जहाँ संसाधनों के बर्हिगमन की संभावना नगण्य हो.

15.3 आकस्मिक आस्तियों को न तो निर्धारित किया गया है और न ही उन्हें प्रकट किया गया है.

15.4 प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है.

16. नकदी और नकदी समतुल्य

(क) नकदी प्रवाह विवरणियों के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्यों में बैंकों में नकदी, हाथ में नकदी तथा अन्य अल्पावधि निवेश शामिल हैं.

(ख) नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष पद्धति से की जाती है. उपलब्ध सूचना के आधार पर परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधि से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया गया है.

17. पूर्व अवधि की आय/ व्यय

पूर्व अवधि प्रकृति की आय/ व्यय मदों को केवल तभी अलग से प्रकट किया गया है जब एकल पूर्व अवधि आय/ व्यय सकल आय के 0.5% से अधिक हो.

18. भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (भारतीय लेखांकन मानक)

एमसीए द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति सं. 11/10/2009 सीएल-वी के अनुसार बैंक को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखा अवधि के लिए भारतीय लेखा मानकों पर आधारित वित्तीय विवरण तैयार करना अपेक्षित होता है तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त और उसके बाद की अवधि के लिए तुलनात्मक विवरण अपेक्षित हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.

आ. लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ

1. नाबार्ड भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ अन्य निकायों की ओर से बैंकर/ अभिरक्षक/ न्यासी के रूप में कार्य कर रहा है और निम्नलिखित निधियों को, संबंधित योजनाओं के संदर्भ में उपयोग होने तक इन संस्थाओं की ओर से, उनके द्वारा किए गए अंशदान की सीमा तक और अप्रयुक्त शेष राशियों पर उपचित ब्याज सहित, जहाँ भी लागू हो, रखता है. अप्रयुक्त शेष राशि पर उपचित ब्याज को तत्संबंधी करारों के अनुसार प्रबंधन/ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित निधियों में जमा किया गया है. संबंधित निधियों के लिए ब्याज दरों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निधि का नाम	2024-25 के लिए ब्याज की दर	2023-24 के लिए ब्याज की दर
1.	वाटरशेड विकास निधि	3%	3%

क्रम सं.	निधि का नाम	2024-25 के लिए ब्याज की दर	2023-24 के लिए ब्याज की दर
2.	केएफ़डब्ल्यू - नाबार्ड आईजीडब्ल्यूडीपी (आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान)	0%	3%
3.	केएफ़डब्ल्यू सहबद्ध उपाय	0%	3%
4.	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि	0%	3%
5.	जनजाति विकास निधि	3%	3%
6.	वित्तीय समावेशन निधि	3%	3%
7.	केएफ़डबल्यू-नाबार्ड-V आदिवासी विकास कार्यक्रम - गुजरात	0%	3%
8.	जलवायु परिवर्तन - (एएफ़बी) - परियोजना तैयारी अनुदान	3%	3%
9.	एलटीआईएफ़ ब्याज उतार-चढ़ाव प्रारक्षित निधि	3%	3%
10.	उत्पादक संगठन विकास निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
11.	जलवायु परिवर्तन निधि – ब्याज विभेदक	3%	3%
12.	जीसीएफ़ परियोजना अनुदान	3%	3%
13.	पशुधन विकास निधि (उत्तर प्रदेश और बिहार)	7.83%	7.29%
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए बहु गतिविधि दृष्टिकोण (सुल्तानपुर और रायबरेली)	7.83%	7.29%
15.	सहकारी संस्थाओं में व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए केंद्र (सी-पैक)	7.83%	7.29%

2. भारत सरकार/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों (तुलन-पत्र की अनुसूची-13 देखें) से वसूली योग्य राशि में ₹2.00 करोड़ (₹1.08 करोड़) की राशि शामिल है जो विभिन्न निधियों के नामे शेष की राशि है. इन निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	निधि का नाम	2024-25	2023-24
1.	केएफडब्ल्यू - मृदा परियोजना	0.92	0.00
2.	एनएएफ़सीसी	1.08	1.08
	कुल	**2.00**	**1.08**

3. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, विभिन्न बैंकों द्वारा रखी गई ग्रामीण आधारभूत संरचना निधि (आरआईडीएफ) जमाराशि, भंडारागार आधारभूत संरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) जमाराशि और खाद्य प्रसंस्करण निधि (एफपीएफ) के संबंध में बैंक द्वारा उपलब्ध सापेक्ष मार्जिन को वित्तीय समावेशन निधि और जलवायु परिवर्तन निधि - आईडी में 80:20 के अनुपात में जमा की जाती है.

4. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त/ प्राप्य ब्याज सहायता को अनुसूची 14 के अंतर्गत ब्याज और वित्तीय प्रभारों से समायोजित किया गया है. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत समायोजित ब्याज सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	योजना	2024-25	2023-24
1.	दीर्घावधि सिंचाई निधि	567.95	558.87

2.	मौसमी कृषि परिचालन (मौकृप)	140.96	(70.68)
3.	डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ़)	34.72	35.07
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	126.07	67.08
5.	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ़)	87.68	73.62
6.	मत्स्यपालन और जलचरपालन आधारभूत संरचना विकास निधि (एफ़आईडीएफ़)	25.85	17.94

5. ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत मौसमी कृषि परिचालन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और एनआरएलएम योजना के वित्तपोषण के लिए रास बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और जिमस बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनर्वित्त संवितरण पर प्राप्त ब्याज मार्जिन की गणना ब्याज आय के रूप में की गई है. भारत सरकार से इस योजना के अंतर्गत ₹115.09 करोड़ (₹122.26 करोड़) की राशि प्राप्त हुई/ प्राप्य है.

6. बैंक ने लेखांकन मानक 22 "आय पर करों का लेखांकन" के अनुसरण में समय के अंतर पर आस्थगित कर आस्ति/ देयता को दर्शाया है. वर्ष के दौरान, बैंक ने लाभ और हानि खाते में ₹59.73 करोड़ (₹20.55 करोड़) के आस्थगित कर व्यय को दर्शाया है. दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल आस्थगित कर आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**आस्थगित कर आस्तियाँ**	**2024-25**	**2023-24**
1	भुगतान के आधार पर अनुमन्य प्रावधान	102.46	175.14
2	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	13.70	15.08
3	अन्य	32.50	18.17
	कुल	**148.66**	**208.39**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष प्रारक्षित निधि के तहत आस्थगित कर के लिए प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बैंक ने उक्त प्रारक्षित निधि को आहरित न करने का निर्णय लिया है.

चूँकि ऋण बही का आकार वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, इसलिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक वर्ष मानक आस्तियों पर प्रावधान करना आवश्यक होता है. अत:, लेखांकन मानक - 22 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, बैंक मानक आस्तियों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनकी प्राप्ति की कोई उचित निश्चितता नहीं रहती है.

7. वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष लंबित आय कर अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम. सं.	**कर निर्धारण वर्ष**	**किस प्राधिकरण में अपील लंबित है**	**किसके द्वारा अपील की गई है**	**विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2025 तक की स्थिति**	**विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2024 तक की स्थिति**
1.	2002-03	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	415.00	415.00
2.	2006-07	उच्च न्यायालय- मुंबई	आयकर विभाग	217.85	217.85
3.	2007-08	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	88.56	88.56
4.	2008-09	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	118.77	118.77
5.	2009-10	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	194.82	194.82
6.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	28.20	28.20
7.	2010-11	उच्च न्यायालय, मुंबई	आयकर विभाग	215.32	215.32

क्रम. सं.	कर निर्धारण वर्ष	किस प्राधिकरण में अपील लंबित है	किसके द्वारा अपील की गई है	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2025 तक की स्थिति	विवादित राशि (₹ करोड़) 31-03-2024 तक की स्थिति
8.	2011-12	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	51.03	--
9.	2012-13	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	45.63	--
10.	2013-14	उच्च न्यायालय, मुंबई	नाबार्ड	1.70	--
11.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	51.07
12.	2011-12	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	287.62
13.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	45.63
14.	2012-13	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	327.03
15.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	1.70
16.	2013-14	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	380.05
17.	2014-15	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	450.61
18.	2015-16	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	448.87
19.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	आयकर विभाग	--	254.38
20.	2019-20	आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी)	नाबार्ड	--	0.59
21.	2016-17	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	407.23	407.23
22.	2017-18	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	360.69	360.69
23.	2018-19	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	278.52	278.52
24.	2022-23	आयकर आयुक्त (अपील)	नाबार्ड	182.64	--

8. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि तथा पट्टाकृत भूमि और परिसर में कार्यालय परिसर और स्टाफ क्वार्टर्स के लिए ₹11.85 करोड़ (₹11.85 करोड़) की राशि का भुगतान शामिल है जिसका अंतरण किया जाना अभी बाकी है.

9. बैंक प्रबंधन के मतानुसार आस्तियों में कोई ऐसी क्षतिग्रस्तता नहीं है जिस पर लेखांकन मानक 28 - "आस्तियों में क्षतिग्रस्तता" लागू हो और जिसके लिए किसी प्रावधान की अपेक्षा हो.

10. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसरण में, राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष विकास डिबेंचरों (एसडीडी) की खरीद के माध्यम से इन एजेंसियों को प्रदत्त परियोजना ऋणों की निम्नानुसार गणना की गई है:

क) निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 'डिबेंचर और बॉण्ड' शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 10 में दर्शाया गया है'.

ख) एसडीडी पर अर्जित ब्याज लाभ हानि लेखा में 'ऋण एंव अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज' के भाग के रूप में दर्शाया गया है और उसे 'अनुमन्य अग्रिम' माना गया है.

ग) 'आईआरएसी मानदंड, पूंजी पर्याप्तता और अनुपातों की गणना इत्यादि के प्रयोजन से 'अनुमन्य अग्रिम'.

11. वित्तीय विवरणियों की तिथि की स्थिति के अनुसार, आरआईडीएफ की वर्तमान खेपों (XXVII से XXIX) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को संग्रहण अग्रिम के रूप में संवितरित राशि में से ₹633.71 करोड़ (₹407.85 करोड़) की राशि आरंभ न हो सकी परियोजनाओं से संबंधित है. संबंधित/ अन्य परियोजनाओं के साथ राशि के समायोजन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने तक इस राशि को निधि से संवितरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

12. दिनांक 18 फरवरी 2016 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार नाबार्ड को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत ₹5,000 करोड़ की राशि के कर मुक्त बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई थी. तदनुसार 10 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹1500 करोड़ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए तथा 10 और 15 वर्ष की अवधि में प्रतिदेय ₹3,500 करोड़ पब्लिक इश्यू के माध्यम से जुटाए गए. ये कर मुक्त बॉण्ड, सुरक्षित, प्रतिदेय और गैर-परिवर्तनीय प्रकृति के हैं. ये बॉण्ड मुंबई में स्थित संपत्ति पर समरूप प्रभार के समक्ष सुरक्षित हैं और नाबार्ड की निर्दिष्ट बही ऋण पर पहला प्रभार हैं. चालू वर्ष के लिए इन बॉण्डों से संबंधित राजस्व के लिए प्रभारित ब्याज ₹365.07 करोड़ (₹365.64 करोड़) है.

डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण निम्नानुसार है:

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,

द रूबी, द्वितीय तल, एसडबल्यू,

29, सेनापति बापट मार्ग,

दादर पश्चिम, मुंबई- 400028

टेलीफोन: +91 22 6230 0451

13. उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में निवेश के संदर्भ में विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के 21 सितंबर 2023 जारी निदेशों (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए बेसल III पूंजी फ्रेमवर्क, एक्सपोजर मानदंड, महत्वपूर्ण निवेश, निवेश पोर्टफोलियो मानदंडों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन संचालन और संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों पर विवेकपूर्ण विनियमन- निदेश, 2023) के अनुसार, वीसीएफ़ की इकाइयों में निवेश की गई ₹20.98 करोड़ (₹31.84 करोड़) की राशि को 3 वर्ष पूर्ण होने पर एचटीएम श्रेणी से एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया गया.

14. (क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशों के अंतर्गत निम्नलिखित उधारों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड के पास गिरवी प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ) डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

व्यवसाय खंड के लिए गिरवी (सीबीएलओ/ त्रिपक्षीय रेपो) - डिफॉल्ट फंड	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश में अंतर्दिवसीय सीमा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में भारतीय रिज़र्व के पास गिरवी रखी गई निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ शामिल हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	अंकित मूल्य	बही मूल्य
अंतर्दिवसीय सीमा के लिए गिरवी (प्रतिभूतियाँ)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

15. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान	241.97	378.37

16. काउंटर साईक्लिकल प्रोविजनिंग बफर

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(क)	अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष	2014.45	2014.45
(ख)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की प्रमात्रा #	0.00	0.00
(ग)	लेखा वर्ष के दौरान ड्रॉडाउन की राशि	0.00	0.00
(घ)	अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष	2014.45	2014.45

बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थिर प्रावधान सृजित करने का निर्णय लिया जिसका उपयोग अप्रत्याशित अथवा असाधारण परिस्थितियों में किया जा सके.

17. दिनांक 23 जून 2016 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग निदेश 2016) के अनुसरण में वित्तीय संस्थाओं द्वारा जो प्रकटीकरण दिए जाने आवश्यक हैं उन्हें इस समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रासंगिक नहीं माना गया है और इसलिए उन्हें नोट में शामिल नहीं किया गया है.

18. चार सहायक संस्थाओं के मामले में, मूल्यह्रास की गणना अवलिखित मूल्य विधि से की गई है और इसे सीधी रेखा विधि के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में समायोजित नहीं किया गया है. समेकित वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है.

19. नैबफिन्स लिमिटेड के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक की न्यायनिर्णयन समिति ने प्रतिबंधात्मक प्रथाओं से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है, विशेष रूप से ग्राहकों को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान विशिष्ट बीमा उत्पादों को चुनने के लिए मजबूर करने के लिए, जिसका आदेश 15 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था और इसका भुगतान 29 अप्रैल 2024 को कर दिया गया है.

20. कर्मचारियों को प्रदत्त छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लाभ को तभी लेखाबद्ध किया जाता है जब कर्मचारियों द्वारा उसका लाभ उठाया जाता है.

21. वर्ष के दौरान, समूह ने नवंबर 2022 से प्रभावी वेतन समझौते के लिए अनुमानित आधार पर ₹349.99 करोड़ की राशि को लेखाबद्ध किया गया है. 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार वेतन निपटान के लिए समापन प्रावधान की बकाया राशि ₹669.32 करोड़ है.

22. लाभ और हानि लेखा में शामिल पूर्व अवधि मदें निम्नानुसार हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आय	0.00	0.00
2.	राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल	**(0.00)**	**(0.00)**

23. लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

चूँकि एएस -18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अर्थ में यह बैंक राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यम है, अत: अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के (सहायक संस्थाओं सहित) साथ लेनदेन का विवरण नहीं दिया गया है.

23.1 **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (नाबार्ड):**

पार्टी का नाम	*पदनाम*
श्री शाजी के वी	अध्यक्ष
गोवर्धन सिंह रावत	उप प्रबंध निदेशक
अजय के सूद	उप प्रबंध निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (सहायक संस्थाएँ)

सहायक संस्था का नाम	*पार्टी का नाम*	*पदनाम*
नैबकॉन्स	श्री नीरज कुमार वर्मा	प्रबंध निदेशक
	डॉ. हरगोपाल यन्द्र	प्रबंध निदेशक
	श्रीमती नेहा चौधरी	कंपनी सचिव
नैबफिन्स	श्री ए जयशीलन	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री मोहन प्रसाद	मुख्य परिचालन अधिकारी
	श्रीमती पूजा आहूजा	कंपनी सचिव
नैब फाउंडेशन	श्री बिभु प्रसाद कर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्रीमती सुधा वर्गीस	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	अदिति शुक्ल	कंपनी सचिव
नैबकिसान	श्री प्रसाद राव	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री जी इमैनुवेल	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती एम भुवनेश्वरी	कंपनी सचिव
नैबसमृद्धि	श्रीमती बोनानी रॉयचौधरी	प्रबंध निदेशक
	श्री एलएस नवीनकुमार	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्रीमती सुज़ेट पेरेरा	कंपनी सचिव
नैबसंरक्षण	श्री राहुल उप्पल	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	श्री सुनंद कुमार साहू	कंपनी सचिव
नैबवेंचर	श्री विकास भट्ट	प्रबंध निदेशक

	श्रीमती दीप्ति हेलगांवकर	मुख्य वित्तीय अधिकारी
	श्री तुनु साहू	कंपनी सचिव

23.2 **संबधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन**

(राशि ₹ करोड़ में)

मदें/ संबंधित	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक@*	*मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार*	*कुल*
उधार#	-	-	-
जमाराशि#	-	-	-
जमाराशियों का स्थानन#	-	-	-
अग्रिम#			
निवेश#			
गैर-निधीकृत प्रतिबद्धताएँ#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था का लाभ उठाया गया#	-	-	-
पट्टेदारी की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई#	-	-	-
अचल आस्तियों की खरीद#	-	-	-
अचल आस्तियों की बिक्री	-	-	-
चुकाया गया ब्याज	-	-	-
प्राप्त हआ ब्याज	-	-	-
सेवाओं का प्रतिपादन *	-	-	-
सेवाएँ की प्राप्ति *	-	-	-
प्रबंधन संविदाएं**	11.12 (10.46)		**11.12** **(10.46)**

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक

वर्ष के अंत में बकाया और वर्ष के दौरान अधिकतम का प्रकटन किया जाना है.

* संविदा सेवाएँ इत्यादि और विप्रेषण सुविधाएँ, लॉकर सुविधाएँ आदि जैसी सेवाएँ नहीं

** मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

24. व्यवसाय खंड के विषय में सूचना

(क) संक्षिप्त पृष्ठभूमि

बैंक के मान्यताप्राप्त प्राथमिक व्यवसाय खंड निम्नानुसार हैं:

i) **प्रत्यक्ष वित्तपोषण:** इसमें ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को दिए गए ऋण, सह-वित्तपोषण ऋण और स्वैच्छिक एजेंसियों/ गैर सरकारी संगठनों को विकास गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण तथा जिमस बैंकों आदि को दिए गए अन्य प्रत्यक्ष ऋण शामिल हैं.

ii) **पुनर्वित्त:** इसमें राज्य सरकारों, सार्वजनक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, विदेशी बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, रास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों के समक्ष पुनर्वित्त के रूप में दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं.

iii) **ट्रेजरी:** इसमें टी-बिलों, अल्पावधि जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों, आदि में निधियों का निवेश शामिल है.

iv) उपर्युक्त तीन प्राथमिक खंडों के अलावा अन्य खंड 'अन्य व्यवसाय' खंड के अंतर्गत हैं. प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर तीन प्राथमिक खंडों के परिणामों का पता लगाने के बाद, आबंटन के लिए/ देनदारियों/ आस्तियों सहित शेष राशि को "अन्य व्यवसाय" के तहत समूहीकृत किया गया है.

(ख) प्राथमिक व्यवसाय खंड संबंधी सूचना

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**ट्रेजरी**		**पुनर्वित्त**		**प्रत्यक्ष ऋण**		**अन्य व्यवसाय**		**कुल**	
व्यवसाय खंड	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
राजस्व	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	22404.11	19450.56	326.92	295.04	59291.59	49615.42
परिणाम	1450.30	618.77	3571.30	4439.17	8129.71	6504.07	(2714.80)	(3129.09)	10436.51	8432.92
अनाबंटित व्यय									0.00	0.00
परिचालन लाभ									10436.51	8432.92
आय पर कर									2594.93	2061.68
असाधारण लाभ/हानि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ									**7841.58**	**6371.24**
अन्य सूचनाएँ										
खंड आस्तियाँ	139343.11	101692.90	453289.86	430623.59	392465.48	370389.62	1272.07	9581.25	986370.53	912287.35
खंड देयताएँ	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	391249.65	374674.25	90167.93	82922.63	983596.20	909494.19
अनाबंटित आस्तियाँ									148.66	208.40
कुल आस्तियाँ									**986519.19**	**912495.75**
अनाबंटित देयताएँ									2922.99	3001.56
कुल देयताएँ									**986519.19**	**912495.75**

नोट: अनाबंटित आस्तियों से आशय आस्थगित कर आस्ति से है और अनाबंटित देयताओं से आशय आयकर के लिए प्रावधान से है.

(ग) चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत तक सीमित हैं, अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भी द्वितीयक खण्ड नहीं है.

25. कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं.

26. जहाँ भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःसमूहन/ पुनःव्यवस्थापन किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 121750W/W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 102306
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई

दिनांक: 27 मई 2025

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	**2024-25**	**2023-24**
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लाभ और हानि खाते के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ	**10,436.51**	**8,432.92**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	62.70	52.69
अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान	153.61	(59.86)
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	241.98	378.38

विवरण	2024-25	2023-24
निवेश खाते के मूल्य में ह्रास - इक्विटी	(8.50)	14.78
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि)	(1.11)	(1.74)
विभिन्न निधियों में जमा ब्याज (ब्याज विभेदक निधि में परिवर्धन/ समायोजन सहित)	188.99	188.68
उधारराशियों और जमाराशियों पर ब्याज व्यय	44,890.91	36,940.39
निवेश से आय (डिस्काउंट से आय सहित)	(7,642.18)	(5,290.17)
बॉण्डों के निर्गमन पर डिस्काउंट/ प्रीमियम का परिशोधन	41.93	25.03
परिचालन आस्तियों में परिवर्तन के पहले का परिचालन लाभ	**48,364.84**	**40,681.10**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन:		
चालू आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी	(8,451.28)	(16,199.75)
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	(520.82)	(23.20)
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/ कमी (स्टाफ को आवास ऋण और अन्य अग्रिमों सहित)	(44,239.49)	(64,302.78)
परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	**(4,846.75)**	**(39,844.63)**
आय कर का भुगतान - रीफंड को घटाकर	(2,613.76)	(2,187.64)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**(7,460.51)**	**(42,032.27)**
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
निवेश से आय (डिस्काउंट आय सहित)	7,642.18	5,290.17
अचल आस्तियों की खरीद	(77.64)	(76.49)
अचल आस्तियों की बिक्री	2.81	4.36
निवेश में वृद्धि/ कमी	(22,024.88)	(21,521.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयोग की गई/ सृजित निवल नकदी (आ)	**(14,457.53)**	**(16,303.64)**
(ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान/ अंशदान	(1,045.19)	192.60
बॉण्डों से प्राप्त राशि	41,231.50	39,506.45
उधारराशियों में वृद्धि/ (कमी)	56,652.15	29,932.02
जमाराशियों में वृद्धि/ (कमी)	(25,966.62)	23,857.20
उधारराशियों और जमाराशियों पर भुगतान किया गया ब्याज	(42,876.77)	(34,780.38)
विवरण	**2024-25**	**2023-24**
शेयर पूँजी में वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	(6.61)	(7.22)
वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई निवल नकदी (इ)	**27,988.46**	**58,700.67**
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि (अ)+(आ)+(इ)	6,070.42	364.76

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	8,696.10	8,331.34
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**14,766.52**	**8,696.10**

1. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष राशियों में निम्नलिखित शामिल हैं:	2024-25	2023-24
हाथ में रोकड़	-	-
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियाँ	6,568.72	3,561.58
भारत में अन्य बैंकों के पास शेष राशियाँ	4,547.80	3,834.52
बैंकों के पास अल्पावधि जमाराशियाँ (3 माह और उससे कम की परिपक्वता वाली)	3,650.00	1,300.00
कुल	**14,766.52**	**8,696.10**

नोट्स

1. नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि से तैयार किया गया है.
2. समेकित नकदी प्रवाह विवरण सहायक संस्थाओं के आई-जीएएपी वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है.

इसी तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश सुराणा एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 121750W / W100010

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

रमेश गुप्ता
साझेदार
सदस्यता सं.: 102306स
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

विनोद चन्द्रशेखरन
मुख्य महाप्रबंधक
लेखा विभाग

डॉ. अजय कुमार सूद
उप प्रबंध निदेशक

गोवर्धन सिंह रावत
उप प्रबंध निदेशक

शाजी के. वी.
अध्यक्ष

डॉ. मिलिंद आर. भिरूड
मुख्य महाप्रबंधक एवं सचिव
मुंबई
दिनांक: 27 मई 2025

डॉ. बि.वि. रमणा रेड्डी, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./308/2025-26]

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July 2025

Report On The Audit of the Standalone Financial Statements

No. NB.Secy/62952/2025-26

OPINION

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Bank' or 'NABARD'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information ('Standalone Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements are full and fair financial statements containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2025, profits and its cash flows for the year ended on that date and give the information in conformity with National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') and accounting principles generally accepted in India.

BASIS OF OPINION

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the ICAI. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our opinion.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the year. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements, as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on the key audit matters. In our professional judgement, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report:

Key Audit Matter	How our audit addressed the key audit matter
1. Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision of Advances Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans to State Governments and Central Government. The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for banks ('IRACP Norms'). The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of	**Principal audit procedures performed** Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances included the following: - Understanding and considering the Bank's accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI (IRACP Norms), including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances. - Understanding the key controls (including system

provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on: - Completeness and timing of recognition of nonperforming assets in accordance with criteria as per IRACP norms; - Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security; - Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs. Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances: - Requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Bank; Has significant impact on the overall financial statements of the Bank; we have ascertained this area as a Key Audit Matter. **(Refer Schedule 11 read with Note 6 of Schedule 18 to the standalone financial statements)**	based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI. • Performing other procedures including substantive audit procedures covering the identification of NPAs by the Bank. These procedures included: • Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded. • Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress. • Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. • Reading of minutes of Credit Risk Monitoring committee meetings and performing inquiries with the Bank to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product. • Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank. • Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year. • Examination of advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines. • Seeking independent confirmation of account balances from borrowers. • Visits to regional offices and examination of documentation and other records relating to advances. - For non-performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management. -

2. Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments Investments include investments made by the Bank in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, VCFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, VCFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Bank's policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Bank. **(Schedule 10 read with Note 5 of Schedule 18 to the standalone financial statements6**	**Principal audit procedures performed** Our audit approach/procedures towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs) and provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: - Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments; - Assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments; - Tested on sample basis, the accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security; - Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.
3. Multiple IT Systems and controls: The Bank is dependent on technology considering significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology ('IT') systems. The audit approach relies extensively on several reports generated by interface of these IT systems and inbuilt automated controls therein. The major IT systems concerning the financial reporting process include: • CLMAS – transactions processing, workflows and financial reporting system • TALMS – Treasury Operations • Empower HRMS – HR and payroll • FAMS – Property, Plant and Equipment and processing of expenses • Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports. IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made	**Principal audit procedures performed** Reviewed the report of IS Audit carried out for half year ending September 30, 2024 by an independent firm of Chartered Accountants pertaining to IT systems, general controls including access rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting. - Understanding the Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit; - Selectively recomputing interest calculations and maturity dates; - Selectively re-evaluating masters updation, interface with resultant reports; - Selective testing of the interface of CLMAS with other IT systems like TALMS, Empower and several workflows; - Having regard to the incidences of incorrect system entries getting posted in the accounting system,

in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to the applications and data. Management of the Bank continuously endeavours several remediation activities and is in the process of bettering the implementation thereof aiming at minimization of the risks over IT applications in the financial reporting process. These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure. Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned our audit by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.	detailed inquiries were made into 'root cause analysis' and about lack of adequate checks and balances around such entries, to obtain suitable explanations and representations. - Testing of the system generated reports and accounting entries manually for core financial reporting matters (i.e. verification around the computer system), so as to rectify the incorrect entries noticed during the audit. - To avoid the scope of incorrect system entries, to have more useful system generated reports and to include more features/ fields into the system, management is under process of developing new modules that can be integrated into CLMAS CBS.

INFORMATION OTHER THAN THE FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Board of Directors and such other disclosures included in the Bank's annual report, excluding the Financial Statements and auditors' report thereon ('Other Information').

The Other Information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other Information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance as required under SA 720 'The Auditor's responsibilities Relating to other Information'.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITIES AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's Management and the Board of Directors are responsible for the preparation of the Standalone Financial Statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984, that give a true and fair view of the financial position, financial performance, and cash flows of the Bank. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, the Management and Board of Directors are also responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements, as a whole, are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain Professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of the Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial results or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial results, including the disclosures, and whether the standalone financial results represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

Communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period as per our professional judgement and are therefore Key Audit Matters. We describe such matters in our Auditor's Report, unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

- The Bank has 32 (Thirty-two) Regional Offices (ROs) including Head Office (HO), 3 (Three) Training Establishments (TEs). The financial accounting systems of the Bank are centralized for the ROs and TEs. Out of the total ROs, we have visited 4 (four) ROs including Head Office which covers 35% of Advances, 100% of PSL Deposits,100% of Borrowings as on 31 March 2025 and 20% of interest income on advances, 100% of interest expenses PSL Deposits and 100% of interest expenses on Borrowings for the year ended 31 March 2025. These ROs have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of the audit we have relied on the various information and returns received from remaining ROs of the Bank not visited by us, generated through centralized database at HO.
- The financial statements of the Company for the year ended 31 March 2024 have been audited by the predecessor auditors. The report of the predecessor auditors dated 24 May 2024 expressed an unmodified opinion. Our opinion is not modified in respect of this matter.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the Bank including the heads and sub-heads have been drawn up as per Schedule 'A' and Schedule 'B' of Chapter IV of National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984.

We further report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice in course of our audit, have been within the powers of the Bank.

c) In our opinion, the Balance sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the regional offices and Staff Colleges not visited by us.

d) In our opinion, the Standalone Financial Statements comply with the applicable accounting standards, in all material aspects.

For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 121750W / W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
UDIN:25102306BMHKOC3892

Place: Mumbai
Date: 27 May 2025

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	SCHEDULE	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		17,080.00	17,080.00
2	Reserve Fund and other Reserves	1	63,413.71	55,787.40
3	National Rural Credit Funds	2	16,110.00	16,106.00
4	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	6,615.72	6,691.17
5	Government Schemes	4	723.61	1,506.36
6	Deposits	5	2,75,991.45	3,01,958.07
7	Bonds and Debentures	6	3,27,366.25	2,86,150.10
8	Borrowings	7	2,51,220.50	2,01,082.58
9	Current Liabilities and Provisions	8	26,109.70	24,500.88
	Total		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	Foreign Currency Exposure Hedged with Cross Currency Swaps		529.50	579.49

Schedules referred to above form an integral part of financial statements

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

STANDALONE BALANCE SHEET AS ON 31 MARCH 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	PROPERTY AND ASSETS	SCHEDULE	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Cash and Bank Balances	9	45,358.92	37,354.14
2	Investments	10	91,817.30	69,827.79
3	Advances	11	8,39,055.03	7,95,104.30
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	559.91	548.84
5	Other Assets	13	7,839.78	8,027.49
	Total		**9,84,630.94**	**9,10,862.56**
	Foreign Currency Exposure Hedged with Cross Currency Swaps		529.50	579.49
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	18		

Schedules referred to above form an integral part of financial statements

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No: 121750W / W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta

Partner

Membership No.: 102306

Mumbai

Date : 27 May 2025

Vinod Chandrasekharan

Chief General Manager

Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Shaji K. V.
Chairman

Dr. Milind R Bhirud

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

27 May 2025

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

STANDALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

Sr. No.	INCOME	SCHEDULE	2024-25	2023-24
1	Interest on Loans and Advances		50,675.74	43,432.35
2	Income from Investment Operations / Deposits			
(a)	Interest on Investments		4,791.10	3,682.74
(b)	Dividend on Investments		43.72	45.22
(c)	Discount on Investments		1,332.67	749.17
(d)	Gain/Loss on sale and revaluation of Investments		1,482.03	867.33
3	Other Receipts		99.15	69.79
	Total "A"		**58,424.41**	**48,846.60**

	EXPENDITURE	SCHEDULE	2024-25	2023-24
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B-28 of Schedule-18)	14	44,861.17	36,912.84
2	Establishment and Other Expenses	15 A	2,952.78	3,365.24
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	152.61	136.02
4	Provisions	16	246.45	316.81
5	Depreciation and Amortisation		56.79	47.78
	Total "B"		**48,269.80**	**40,778.69**
6	**Profit before Tax (A - B)**		**10,154.61**	**8,067.91**
7	**Provision for**			
	a) Income Tax		2,450.00	1,990.00
	b) Income Tax Adjustment for earlier years		-	-
	c) Deferred Tax (Refer Note B-21.5 of Schedule 18)		76.28	(25.21)
8	**Profit after Tax**		**7,628.33**	**6,103.12**
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	18		

Note - Other Receipts include interest received on staff loans, rental income and other miscellaneous income.

Schedules referred to above form an integral part of financial statements

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

PROFIT AND LOSS APPROPRIATION ACCOUNT

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2024-25	2023-24
1	**Profit for the year brought down**	7,628.33	6,103.12
2	Add:		
	Withdrawals from funds against expenditure debited to Profit & Loss A/c[Refer Schedule 1]		
a)	Co-operative Development Fund	54.55	33.29
b)	Research and Development Fund	48.00	42.30
c)	Producers' Organisation Development Fund - NABARD	0.29	3.95
d)	Rural Infrastructure Promotion Fund	3.18	3.09
e)	Farm Sector Promotion Fund	34.28	28.27
f)	Climate Change Fund	-	0.39
g)	Gramya Vikas Nidhi	57.69	63.50
h)	Catalytic Capital Fund	2.52	2.94
i)	Technology Facilitation Fund	3.94	0.59
3	**Profit available for Appropriation**	**7,832.78**	**6,281.44**

Sr. No.	APPROPRIATIONS / WITHDRAWALS	2024-25	2023-24
	Less: Transferred to: [Refer Schedule 1&2]		
a)	Special Reserves u/s 36(1) (viii) of IT Act, 1961	850.00	700.00
b)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1.00	1.00
c)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1.00	1.00
d)	Research and Development Fund	98.00	42.30
e)	Co-operative Development Fund	154.55	33.29
f)	Producers' Organisation Development Fund - NABARD	0.29	3.95
g)	Rural Infrastructure Promotion Fund	3.18	3.09
h)	Farm Sector Promotion Fund	34.29	28.27
i)	Gramya Vikas Nidhi	57.69	63.50
j)	Climate Change Fund	-	0.39
k)	Catalytic Capital Fund	2.52	2.94
l)	Technology Facilitation Fund	3.94	0.59
m)	NABARD Green Impact Fund	1,000.00	-
n)	NABARD Carbon Fund	300.00	-
o)	RRB Development Fund	100.00	-
p)	Reserve Fund	5,226.32	5,401.12
	Total	**7,832.78**	**6,281.44**

Schedules referred to above form an integral part of financial statements

As per our attached report of even date
For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No: 121750W / W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
Mumbai
Date: 27 May 2025

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Shaji K. V.
Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
27 May 2025

SCHEDULES TO BALANCE SHEET

Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions/ Transferred from P&L Appropriation	Withdrawals/ Transferred to P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2025
1	Reserve Fund*	39,799.13	5226.32	-	45,025.45
2	Research and Development Fund	50.00	98.00	48.00	100.00
3	Capital Reserve	74.81	-	-	74.81
4	Investment Fluctuation Reserve	1,885.70	-	-	1,885.70
5	Co-operative Development Fund	200.00	154.55	54.55	300.00
6	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	13,150.00	850.00	-	14,000.00
7	Producers' Organisation Development Fund - NABARD	300.00	0.29	0.29	300.00
8	Rural Infrastructure Promotion Fund	50.00	3.18	3.18	50.00
9	Farm Sector Promotion Fund	60.00	34.28	34.28	60.00
10	Gramya Vikas Nidhi	110.00	57.69	57.69	110.00
11	Climate Change Fund	20.00	-	-	20.00
12	Catalytic Capital Fund	20.00	2.52	2.52	20.00
13	Forex Fluctuation Reserve Fund	17.75	-	-	17.75
14	Technology Facilitation Fund	50.00	3.94	3.94	50.00
15	NABARD Green Impact Fund	-	1000.00	-	1,000.00
16	NABARD Carbon Fund	-	300.00	-	300.00
17	RRB Development Fund	-	100.00	-	100.00
	Total	**55,787.39**	**7,830.77**	**204.45**	**63,413.71**
	Previous year	**49,686.27**	**6,279.44**	**178.32**	**55,787.39**

*Note- The format prescribed in NABARD (Additional) General Regulations, 1984 for 'Reserve Fund and Other Reserves' has Profit and Loss Account as one of the sub-item. Since the Bank has the practice of transferring the balance in profit and loss account after all the appropriations to Reserve Fund, there remains no balance in profit and loss account due to which the same has not been separately disclosed above.

Schedule 2 - National Rural Credit Fund

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Balance as on 31.03.2025
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14,503.00	1.00	1.00	14,505,.00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	Total	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	Previous year	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions during the year	Interest Credited #	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2025
Grants from International Agencies					
KfW NB UPNRM - Financial Contribution	0.15	-	-	0.15	-
GIZ UPNRM Technical Collaboration	0.03	-	-	-	0.03
Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	21.85	-	0.66	-	22.51
GIZ Soil Project	1.41	-	-	1.41	-
KfW Soil Project	1.46	9.76	-	11.22	-
GCF Project Grants	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
Other Funds					
Watershed Development Fund	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
Interest Differential Fund - (Forex Risk)	223.43	-	-	-	223.43
Interest Differential Fund - TAWA	0.10	-	-	-	0.10
Adivasi Development Fund	5.77	-	-	-	5.77
Tribal Development Fund	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
Financial Inclusion Fund (i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
PODF-ID	259.98	-	7.40	43.73	223.65
National Bank - Swiss Development Cooperation Project	67.78	0.82	-	-	68.60
RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	22.89	0.40	-	2.46	20.83
Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	3.50	-	0.27	-	3.77

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions during the year	Interest Credited #	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2025
LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	188.73	17.39	5.66	-	211.78
National Adaptation Fund for Climate Change a/c	3.25	-	0.17	-	3.42
Capacity Building Fund for Social Stock Exchange	9.40	0.50	-	0.53	9.37
Climate Change Fund - ID (ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
Total	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
Previous year	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

#Refer B-25 of Schedule 18

(i) includes Provision for Income tax on interest differential credited to the fund- ₹ 62.19 crore

(ii) includes Provision for Income tax on interest differential credited to the fund- ₹ 15.15 crore

Schedule 4 - Government Schemes

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions during the year	Interest Credited#	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2025
A	**Government Subsidy Schemes**					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	0.89	-	-	-	0.89
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	0.08	-	-	-	0.08
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	0.90	0.11	-	-	1.01
4	On-farm Water Management for Crop Production	0.07	-	-	-	0.07
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78.98	-	-	-	78.98
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	Cattle Development Programme - Bihar	0.10	-	0.01	-	0.11
8	National Project on Organic Farming	1.80	-	-	-	1.80
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4.29	-	-	-	4.29
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	2.83	-	-	-	2.83
11	Poultry Venture Capital Fund	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	National Livestock Mission - PVCF EDEG	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	0.08	-	-	-	0.08

Sr. No	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions during the year	Interest Credited#	Expenditure / Adjustments during the year	Balance as on 31.03.2025
15	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	0.09	-	0.01	-	0.10
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	Dairy Entreprenueurship Development Scheme	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	CSS for Solar Mission	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	CSS - JNNSM - Solar Lighting	2.76	-	-	2.76	-
20	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	0.03	-	-	0.03	-
21	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centres	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	CSS MNRE Lighting Scheme 2016	0.11	1.04	-	-	1.15
23	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4.62	-	-	-	4.62
24	CSS On Formation And Promotion Of FPO	0.67	0.25	-	0.92	-
B	**Other Government Schemes**					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR), 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	6.23	-	-	5.02	1.21
3	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	AMI - Workshop Assistance Fund	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	Kutch Drought Proofing Project	0.22	-	-	-	0.22
6	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20.00	-	-	-	20.00
7	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	4.11	-	-	0.02	4.09
8	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	Arunachal Agri Start Up Scheme	0.50	-	-	-	0.50
10	Centrally sponsored Project-PACS Computerisation	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	AgriSURE-GoI	-	62.50	-	-	62.50
	Total	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	Previous year	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

#Refer B-25 of Schedule 18

*Represents amount less than ₹ 50,000/-

Schedule 5 – Deposits

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Central Government	-	-
2	State Governments	-	-
3	**Others**		
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	40.23	52.80
	b) Deposits under RIDF	1,94,482.88	1,86,684.79
	c) ST Cooperative Rural Credit Fund	32,079.11	50,517.76
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	7,023.74	15,157.91
	e) Warehouse Infrastructure Fund	2,870.00	3,890.00
	f) Long Term Rural Credit Fund	38,945.49	45,174.81
	g) Food Processing Fund	550.00	480.00
	Total	**2,75,991.45**	**3,01,958.07**

Schedule 6 - Bonds and Debentures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Tax Free Bonds	5,000.00	5,000.00
2	Non Priority Sector Bonds	1,86,736.30	1,49,580.15
3	PMAY-G - GoI Fully Serviced Bonds	48,809.60	48,809.60
4	Bonds - LTIF	38,160.25	38,160.25
5	LTIF - GoI Fully Serviced Bonds	19,506.80	19,506.80
6	SBM (G) - GoI Fully Serviced Bonds	12,298.20	12,298.20
7	Micro Irrigation Fund (MIF) Bonds	1,754.60	1,754.60
8	Social Bonds	1,040.50	1,040.50
9	Infra Bonds	14,060.00	10,000.00
	Total	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

Schedule 7 - Borrowings

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Central Government	-	-
2	Reserve Bank of India	-	-
3	**Others**		
	(A) In India		
	(i) Certificate of Deposits	37,939.26	23,629.90
	(ii) Commercial Paper	57,386.19	52,112.64
	(iii) Tri Party Repo	51,708.00	28,270.07
	(iv) Term Money Borrowings	10.36	2,508.21
	(v) Term Loan from Banks	1,03,655.89	94,007.43
	(vi) JNN Solar Mission	2.81	2.81
	(B) Outside India		
	(i)International Agencies	517.99	551.52
	Total	**2,51,220.50**	**2,01,082.58**

Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Interest / Discount Accrued	12,196.55	10,185.96
2	Sundry Creditors	3,278.44	3,374.62
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	27.64	25.81
4	Provision for Gratuity (Refer Note B-21.2 of Schedule 18)	19.52	10.47
5	Provision for Pension (Refer Note B-21.2 of Schedule 18)	434.85	126.64
6	Provision for Encashment of Ordinary Leave (Refer Note B-21.2 of Schedule 18)	392.00	378.50

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
7	Provision for Post Retirement Medical Benefit (Refer Note B-21.2 of Schedule 18)	192.17	170.21
8	Provision for Salary Revision (Refer Note B-33 of Schedule 18)	667.17	318.17
9	Unclaimed Interest on Bonds	4.36	2.99
10	Bonds matured but not claimed	9.83	13.15
11	Bond Premium	80.97	50.12
12	Commitment Charges - Intl Borrowings	0.24	-
13	**Provisions and Contingencies**		
(a)	Depreciation in Value of Investment		
	(i) Government securities		
	(ia) Securities of Central & State Government	-	1,033.42
	(ib) Treasury Bills	-	-
	(ii) Other Approved securities	-	-
	(iii) Equity shares	-	-
	(iv) Debenture and Bonds	12.04	19.46
	(v) Subsidiaries and joint venture	-	-
	(vi) Others	9.63	-
(b)	Amortisation of Premium on Securities - HTM	6.28	147.16
(c)	For Standard Assets	3,523.46	3,302.00
(d)	Non-performing Investments	299.26	317.32
(e)	Countercyclical Provisioning Buffer / Floating Provision	2,014.45	2,014.45
(f)	Provision for Other Assets & Receivables	4.45	4.45
(g)	Provision for Income Tax (Net of Advance Tax) (Advance Tax paid during the year ₹ 2,565 (₹ 2,140))	2,936.39	3,005.98
	Total	**26,109.70**	**24,500.88**

Note- Non-Performing Advances have been adjusted against the Advances shown in Schedule-11

Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Cash in hand	-	-
2	**Balances with :**		
	A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	6,568.72	3,561.58
	(ii) Other Banks		
	a) In Current Account	4,437.74	3,747.24
	b) Deposit with Banks#	33,353.15	22,590.00
	(iii) Remittance in Transit	-	-
	(B) Banks outside India	-	-
3	**Tri Party Repo- Lending**	999.31	7,455.32
	Total	**45,358.92**	**37,354.14**

Includes Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less) of ₹ 3,650.00 crore as on 31.03.2025 (As on 31.03.2024 ₹1,300.00 crore).

Schedule 10 - Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**Government Securities**		
	a) Securities of Central Government & State Government	53,060.25	34,497.72
	[Face Value ₹ 5,21,76,90,80,000 (₹ 3,29,78,86,70,000)]		
	b) Treasury Bills	11,297.96	18,806.69
	[Face Value ₹1,14,99,23,50,000 (₹1,96,58,33,80,000)]		
2	**Other Approved Securities**		
3	**Equity Shares in :**		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	966.27	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - Equity shares of ₹10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - Equity shares of ₹10 each]		

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. [56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹10 each]	16.87	16.87
(f)	CSC e-Governance Services India Ltd [55,000 (55,000) Equity shares of ₹1000 each]	9.75	9.75
(g)	Agriculture Skill Council of India [4,000 (4000) Shares of ₹10 each]	0.00*	0.00*
(h)	National E-Governance Services Ltd [Equity] [15,00,000 (15,00,000) Shares of ₹10 each]	1.50	1.50
(i)	National e-Repository Ltd. [105,30,000 (105,30,000) Shares of ₹10 each]	10.53	10.53
(j)	Open Network for Digital Commerce [40,00,000 (10,00,000) Shares of ₹100 each]	40.00	40.00
(k)	Online PSB Loans Limited [2,87,329 (NIL) Shares of ₹10 each]	56.76	-
(l)	24x7 Moneyworks Consulting Private Limited [23,333 (NIL) Shares of ₹10 each]	3.84	-
(m)	Other Equity Investments	20.02	20.02
4	**Debentures and Bonds**		
(i)	Special Dev Debentures of SCARDBs (Refer Note B-32 of Schedule 18)	65.19	134.06
(ii)	Non-Convertible Debentures	852.99	826.12
5	**Shareholding in subsidiaries and Joint Venture**		
(a)	**Shareholding in subsidiaries**		
(i)	NABFINS Ltd. (formerly known as NABARD Financial Services [Karnataka] Ltd.) [10,20,06,300 (10,20,06,300] - Equity shares of ₹10 each]	102.01	102.01
(ii)	NABSAMRUDDHI Finance Ltd. [11,27,88,000 (11,27,88,000) - Equity shares of ₹10 each]	145.06	145.06
(iii)	NABKISAN Finance Ltd. [15,05,00,063 (15,05,00,063) - Equity shares of ₹10 each]	227.57	227.57
(iv)	NABARD Consultancy Services Pvt. Ltd. [2.50,00,000 (50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	25.00	5.00
(v)	NABVENTURES Ltd [5,00,00,000 (2,50,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	50.00	25.00
(vi)	NABFOUNDATION [5,00,00,000 (5,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	50.00	50.00
(vii)	NABSANRAKSHAN TRUSTEE PVT LTD [5,00,00,000 (5,00,00,000) - Equity shares of ₹10 each]	50.00	50.00
(b)	**Joint Venture**	-	-
6	**Others**		
(a)	Mutual Fund	6,602.32	5,293.40

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
(b)	Commercial Paper	1,453.08	185.05
	[Face Value ₹15,00,00,00,000 (₹200,00,00,000)		
(c)	Certificate of Deposit	16,100.04	7,900.10
	[Face Value ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹79,70,00,00,000)		
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	536.04	414.51
(e)	Investment Earmarked towards EOL [Refer note B-21.2 of Schedule 18]	10.95	39.26
(f)	InvITs	2.00	-
	Total	**91,817.30**	**69,827.79**

*Represents amount less than ₹ 50,000/-

Schedule 11 – Advances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**Refinance Loans**		
(a)	Production & Marketing Credit	1,69,224.53	1,58,705.71
(b)	**Other Investment Credit**		
(i)	Medium Term and Long-Term Project Loans	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	Direct refinance to DCCBs	27,767.64	20,504.10
2	**Direct Loans**		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	1,84,724.16	1,70,006.64
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	2,581.85	3,385.86
(c)	Long Term Non-Project Loans	295.89	331.85
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	40,879.33	32,403.74
(e)	Loans to Producers' Organisation	0.14	0.53
(f)	Credit Facility to Federations [CFF]	41,676.56	20,583.03
(g)	Loans under Food Processing Fund	386.48	431.38
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	51,803.83	53,617.32
(i)	Pradhan Mantri Aawas Yojana - Gramin	48,819.03	48,819.03
(j)	Swacch Bharat Mission Gramin	12,298.20	12,298.20
(k)	Dairy Infrastructure and Development Fund	1,366.81	1,508.16
(l)	Loan Under GCF	517.99	551.52
(m)	Micro Irrigation Fund	2,871.83	3,036.88
(n)	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund	1,141.38	801.50
(o)	Rural Infrastructure Assistance Scheme (RIAS)	65.16	-
(p)	**Other Loans:**		
(i)	Watershed Development Fund Programme Loans	1.66	3.69
(ii)	KfW UPNRM Loans	-	0.73
(iii)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	0.29	0.46
	Total	**8,39,055.03**	**7,95,104.30**

Note- Advances are net-off the provisions for Non-performing Assets amounting to ₹ 2,005.32 crore (As on 31.03.2024 ₹1,983.25 crore).

Schedule 12 - Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	LAND : Freehold & Leasehold (Refer Note B-31 of Schedule 18)		
	Opening Balance	195.79	195.79
	Additions/adjustments during the year	-	-
	Sub-Total	195.79	195.79
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	195.79	195.79
	Less: Amortisation of Lease Premium	67.16	65.70
	Book Value	**128.63**	**130.09**
2	PREMISES (Refer Note B-31 of Schedule 18)		
	Opening Balance	659.20	652.24
	Additions / Adjustments during the year	9.27	6.96
	Sub-Total	668.47	659.20
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	668.47	659.20
	Less: Depreciation to date	374.03	350.27
	Book Value	**294.44**	**308.93**
3	FURNITURE & FIXTURES		
	Opening Balance	67.23	66.70
	Additions/adjustments during the year	0.67	0.72
	Sub-Total	67.90	67.42
	Less: Cost of assets sold/written off	0.18	0.19
	Closing Balance (at cost)	67.72	67.23
	Less: Depreciation to date	63.77	61.62
	Book Value	**3.95**	**5.61**
4	COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS		
	Opening Balance	248.72	216.45
	Additions/adjustments during the year	34.69	34.34
	Sub-Total	283.41	250.79
	Less: Cost of assets sold/written off	6.57	2.07
	Closing Balance (at cost)	276.84	248.72
	Less: Depreciation to date	229.07	210.35
	Book Value	**47.77**	**38.37**

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
5	VEHICLES		
	Opening Balance	14.84	13.30
	Additions/adjustments during the year	6.99	6.06
	Sub-Total	21.83	19.36
	Less: Cost of assets sold/written off	5.86	4.52
	Closing Balance (at cost)	15.97	14.84
	Less: Depreciation to date	5.97	5.93
	Book Value	**10.00**	**8.91**
6	Capital Work in Progress (Including Premises, Furniture & Fixtures and Software Implementation)	75.12	56.93
	Total	**559.91**	**548.84**

Note- Depreciation to date includes opening depreciation, depreciation on addition & sale and depreciation for current financial year.

Schedule 13 - Other Assets

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Accrued Interest	6,006.03	5,564.26
2	Discount Receivable	-	294.78
3	Deposits with Landlords	1.56	1.39
4	Deposits with Government Departments and Other Institutions	54.21	54.14
5	Housing loan to staff	188.47	142.55
6	Other Advances to staff	96.13	95.00
7	Sundry Advances	83.83	75.04
8	Deferred Tax Assets (Refer Note B-21.5 of Schedule 18)	113.95	190.23
9	Receivable from Government of India/International Agencies. (Refer Note B-26 & 28 of Schedule 18)	1,193.46	1,486.25
10	Discount on issue of Bonds	94.98	121.42
11	Other Assets - Input Tax Credit - GST	7.16	2.43
	Total	**7,839.78**	**8,027.49**

Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	**Interest Paid on**		
(a)	Deposits under RIDF	6,752.89	6,042.03
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	1,975.77	2,169.93
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund	574.67	653.48
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	105.27	121.11
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1,599.15	1,440.00
(f)	Fund for Food Processing Units	19.69	15.55
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	2.35	2.82
(h)	Term Money Borrowings	39.73	112.97
(i)	Bonds (Refer Note B-28 & 36 of Schedule 18)	21,322.39	16,367.23
(j)	Term Loan from Banks	6,153.59	5,280.67
(k)	Borrowings from International Agencies	6.20	16.28
(l)	Discount on Commercial Paper	2,506.68	2,182.71
(m)	Discount on Certificate of Deposits	2,020.56	1,620.20
(n)	Repo Interest Expenditure	10.58	14.50
(o)	Interest paid on funds	186.82	187.09
(p)	Borrowing against ST Deposit	-	3.18
(q)	Commitment Fee - INTL Borrowings	0.24	-
2	Discount on CBLO / TREPS	1,505.68	606.16
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	60.95	52.81
4	Swap Charges	17.96	24.12
	Total	**44,861.17**	**36,912.84**

Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-33 of Schedule 18)	1,248.87	1,360.80
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	822.17	1,298.04
3	Other Perquisites & Allowances	310.37	227.03
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	0.20	0.21
5	Directors' & Committee Members' Fees	0.27	0.31
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting etc.	44.79	41.70
7	Travelling Expenses	64.24	56.49
8	Printing & Stationery	7.04	6.16
9	Postage Telegrams & Telephones	31.07	23.49
10	Repairs	18.76	16.88
11	Auditors' Fees	0.34	0.26
12	Legal Charges	2.41	2.15
13	Miscellaneous Expenses	274.32	217.20
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	12.93	9.20
15	Expenditure on Study & Training	115.00	105.32
	Total	**2,952.78**	**3,365.24**

Schedule 15 B - Expenditure on promotional activities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	2024-25	2023-24
1	Cooperative Development Fund	54.55	33.29
2	Producers' Organization Development Fund- NABARD	0.29	3.95
3	Rural Infrastructure Promotion Fund	3.18	3.09
4	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	34.28	28.27
5	Expenditure under Climate Change Programme	-	0.39
6	Gramya Vikas Nidhi	57.69	63.50
7	Catalytic Capital Fund	2.52	2.94
8	Technology Facilitation Fund	0.10	0.59
	Total	**152.61**	**136.02**

Schedule 16- Provisions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
	Provisions for		
1	Standard Assets	221.46	370.00
2	Non-Performing Assets	33.49	(67.97)
3	Depreciation in value of Investment Account - Equity	(8.50)	14.78
	Total	**246.45**	**316.81**

Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed (net of advance)	68.12	37.34
	Sub Total "A"	**68.12**	**37.34**
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	2.16	24.18
(ii)	Pending legal cases including Income Tax Appeals	415.00	416.17
	Sub Total "B"	417.16	440.35
	Total (A + B)	**485.28**	**477.69**

Schedule 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The financial statements are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, the accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Bank / NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best

knowledge, the actual results could differ from these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

3. Revenue recognition:

3.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

i) Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.

ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non–compliance with terms of loan.

iii) Service Charges on loans given out of various Funds.

iv) Expenses not exceeding ₹ 10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

3.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to the floatation of bonds, including applicable stamp duty, are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

3.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

3.4 i) Income from Venture Capital funds is accounted on realization basis.

ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for, including service charges thereon, on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

3.5 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

1) Penal interest

2) Cost and charges

3) Overdue interest and interest

4) Principal

3.6 In case of Compromise and Resolution/ Settlement, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

3.7 In case of suit filed/decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:-

i) As per the directives of the concerned Court.

ii) In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point 3.5 above.

4. Property Plant and Equipment (Fixed Assets)

4.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

4.2 Land includes freehold and leasehold land.

4.3 Premises include value of land, where segregated values are not readily available.

4.4 Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.

4.5 The upfront lease premium paid on leasehold land are amortized over the tenure of lease period @ 5% on opening written down value or the proportionate amount of remaining lease premium on the remaining period of lease, whichever is higher.

4.6 Fixed Assets individually costing ₹ 1 lakh or less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more

than ₹ 10,000. All software costing ₹ 1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.

4.7 Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

4.8 Depreciation is charged from the month (*in which*) the asset is capitalized in the year of purchase up to the month in which the asset is sold in the year of sale.

4.9 Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

5. Investments

5.1 The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

5.2 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories").

5.3 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "HFT". Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "HTM". Securities which are not to be classified under any of the above categories are classified as "AFS".

5.4 Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category "HTM" is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.

5.5 Profit on redemption of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c.

5.6 Investments under "AFS" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "AFS" and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.

5.7 Investments under "HFT" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd., AMFI etc. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "HFT" and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.

5.8 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

5.9 Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.

5.10 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹ 1/- per Company as per RBI guidelines.

5.11 Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.

5.12 Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.

5.13 Broken period interest paid/received on debt investments is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost/ sale consideration.

5.14

Sr. No.	Existing category	Proposed category	Accounting policy
1.	AFS / HFT	HTM	Lower of book value or market value. In cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.
2.	HTM	AFS / HFT	Transfer at book value / amortised cost. Such Securities shall be immediately re-valued consequent to transfer and resultant depreciation, if any, shall be provided.
3.	AFS/HFT	HFT/AFS	Transfer at book value. Securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held shall be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

5.15 Amortization/Gain/Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.

5.16 Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.

5.17 Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.

5.18 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

5.19 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.

5.20 The derivatives transactions are undertaken for hedging purposes.

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial statement. Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

6. Advances and Provisions thereon

6.1 Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non–performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.

6.2 In case of restructuring/ rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.

6.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.

6.4 Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.

6.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 8 of the Balance Sheet under the head "Current Liabilities & Provisions" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

7. Foreign Currency Transactions

As per Accounting Standard (AS-11) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the ICAI; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:

7.1 Assets and liabilities in foreign currency are revalued at the exchange rate notified by FEDAI/FBIL as at the close of the year/ reporting date. The hedged portion of the foreign currency borrowings are stated at the contracted value and the liability of hedged borrowing as per year-end exchange rate is disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item).

7.2 For hedged transactions, Income and Expenditure items are translated at the contracted rate as per the hedge agreements executed.

8. Accounting for Foreign Exchange Contracts

8.1 Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.

8.2 The foreign currency borrowings which are hedged are stated at the contract rate.

8.3 The foreign exchange unhedged contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI / FBIL at the year-end /reporting date. The resultant gain / loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains / Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account.

9. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provisions for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, for long term employee benefits are carried out at each balance sheet date.

9.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

9.2 Post-Retirement Benefits:

i) **Defined Contribution Plan**

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the "NPS- Corporate Sector Model", a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) **Defined Benefit Plan**

a. Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded by the

Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

b. Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

iii) **Other Long Term benefits**

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences. All the eligible employees are also entitled for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

10. Taxes on Income

10.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments/ appeals.

10.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.

10.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/ business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.

10.4 Tax paid/ provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

11. Segment Reporting

11.1 The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

11.2 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with / allocable to the segment. Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank Income".

11.3 Expenses that are directly identifiable with/ allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".

11.4 Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

12. Impairment of Assets

12.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets having the indication of impairment is tested for impairment so as to determine:

i) the provision for impairment loss, if any, required; or

ii) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

12.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

13. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

13.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;

b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and

c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

13.2 Contingent liability is disclosed in the case of:

a. a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,

b. a present obligation when no reliable estimate is possible, and

c. a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.

13.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

13.4 Provisions and contingent liabilities are reviewed at each Balance Sheet date.

14. Cash and cash equivalents

(a) Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand and other short-term investments.

(b) Cash Flow statement is reported using indirect method. The cash flow from operating, financing and investing activity is segregated based on the available information.

15. Prior Period Income / Expenses

Items of Income / Expenditure which are prior period in nature are disclosed separately only when the individual prior period income / expense exceeds 0.5% of Gross Income.

16. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has been deferred by Reserve Bank of India until further notice.

B. NOTES FORMING PART OF THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

1. Capital

1.1 Pattern of Capital contribution as on the date of the Balance Sheet:

The authorized capital of the bank stood at ₹ 30000 crore as on 31 March 2025. The entire paid up capital of the bank has been subscribed by Government of India. The details are given below**:**

Contributor	2024-25		2023-24	
	(₹ crore)	%	(₹ crore)	%
Government of India	17,080.00	100.00	17,080.00	100.00
Total	**17,080.00**	**100.00**	**17,080.00**	**100.00**

1.2 Capital Adequacy

1.2.1 Capital adequacy ratio works out as per RBI (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investment, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 dated 21 September 2023.

1.2.2 Capital adequacy ratio of the Bank as on 31 March 2025 was 25.58% (Basel III) (16.45% - Basel I) as against a minimum of 9% as stipulated by RBI.

1.2.3 In accordance with RBI Instructions, assets financed from National Rural Credit – Long Term Operations (NRC LTO) Fund amounting to ₹ 14505 crore (₹ 14503 crore) are excluded for the purpose of computing the CRAR.

1.2.4 The details of various parameters of Capital to Risk weighted Assets Ratio is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25 (as per Basel III)	2023-24 (as per Basel I)
(i)	Common Equity	75530.63	69611.39
(ii)	Additional Tier 1 capital	0.00	0.00
(iii)	Total Tier 1 capital (i+ii)	75530.63	69611.39
(iv)	Tier 2 capital	3008.33	5398.41
(v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2)	78538.96	75009.80
(vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)	307015.65	456057.89
(vii)	Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs)	24.60	15.27
(viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	24.60	15.27
(ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR)	25.58	16.45
(x)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the AIFI	100.00	100.00
(xi)	Amount of equity capital raised	0.00	0.00
(xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	0.00	0.00
	(a) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS):	0.00	0.00
	(b) Perpetual Debt Instruments (PDI)	0.00	0.00
(xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which	0.00	0.00
	(a) Debt capital instruments:	0.00	0.00
	(b) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	0.00	0.00
	(c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	0.00	0.00
	(d) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	0.00	0.00

2. Free Reserves and provision

2.1 Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provisions towards Standard Assets made during the year	221.46	370.00

2.2 Counter Cyclical Provisioning Buffer*:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(a)	Opening balance in the floating provision account	2014.45	2014.45
(b)	The quantum of provisions made during the accounting year #	0.00	0.00
(c)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing balance in the floating provision account	2014.45	2014.45

 # The Board of Directors of the Bank decided to create floating provisions, in accordance with RBI guidelines, to be utilized for any unexpected or exceptional circumstances.

3. Asset Quality and specific provisions

3.1 Non-Performing Advances

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	**Net NPA to Net Advances (%)**	0.00	0.00
(ii)	**Movement of NPAs (Gross)**		
(a)	Opening Balance	1983.29	2041.78
(b)	Additions during the year	34.09	0.00
(c)	Reductions during the year	(12.04)	(58.49)
(d)	Closing Balance	2005.34	1983.29
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	**Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)**		
(a)	Opening balance	1983.29	2041.78
(b)	Provision made during the year	34.09	0.00
(c)	Write off / write back of excess provision	(12.04)	(58.49)
(d)	Closing balance	2005.34	1983.29

3.2 Non-Performing Investments

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	**Net NPI to Net Investments (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**Movement of NPIs (Gross)**		
(a)	Opening Balance	317.32	326.80
(b)	Additions during the year	2.00	0.00
(c)	Reductions during the year	(20.06)	(9.48)
(d)	Closing Balance	299.26	317.32
(iii)	**Movement of Net NPIs**		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	**Movement of provisions for NPIs (excluding provision on standard assets)**		
(a)	Opening balance	317.32	326.80
(b)	Provision made during the year	2.00	0.00
(c)	Write back of excess provision	(20.06)	(9.48)
(d)	Closing balance	299.26	317.32

3.3 Non-Performing Assets (3.1+3.2)

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	**Net NPA to Net Assets (Advances + Investments) (%)**	**0.00**	**0.00**
(ii)	**Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)**		
(a)	Opening Balance	2300.61	2368.58
(b)	Additions during the year	36.09	0.00

(c)	Reductions during the year	(32.11)	(67.97)
(d)	Closing Balance	2304.59	2300.61
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
(a)	Opening Balance	0.00	0.00
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Reductions during the year	0.00	0.00
(d)	Closing Balance	0.00	0.00
(iv)	**Movement of provisions for NPAs (excluding provision on standard assets)**		
(a)	Opening balance	2300.61	2368.58
(b)	Provision made during the year	36.09	0.00
(c)	Write off / write back of excess provision	(32.11)	(67.97)
(d)	Closing balance	2304.59	2300.61

3.4 Particulars of Accounts Restructured

During the current Financial Year, two loan accounts were restructured.

During the current Financial Year, two loan accounts were restructured.

(Amount in ₹ Crore)

	Type of restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification / Details		Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on 01 April 2024	No. of Borrowers											7	0	2	0	9	7	0	2	0	9
		Amount outstanding											220.97	0.00	14.23	0.00	235.20	220.97	0.00	14.23	0.00	235.20
		Provision thereof*											12.04	0.00	14.23	0.00	26.27	12.04	0.00	14.23	0.00	26.27
2	Fresh restructured/ Advances	No. of Borrowers											3	0	0	0	3	3	0	0	0	3
		Amount											999.13	0	0	0	999.13	999.13	0	0	0	999.13

(Amount in ₹ Crore)

	Type of restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total
	Details																					
	during the year	outstanding																				
		Provision thereof*											45.96	0	0	0	45.96	45.96	0	0	0	45.96
3	Upgradation to restructured standard category during the FY	No. of Borrowers											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Provision thereof*											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Restructured Standard advances which cease to attract higher provisioning and/ or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of Borrowers											2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
		Amount outstanding											108.92	0	0	0	108.92	108.92	0	0	0	108.92
		Provision thereof*											5.45	0	0	0	5.45	5.45	0	0	0	5.45
5	Downgradation of restructured accounts during the FY	No. of Borrowers											0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
		Amount outstanding											0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32
		Provision thereof*											0	24.32	0	0	24.32	0	24.32	0	0	24.32

(Amount in ₹ Crore)

	Type of restructuring		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification		Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total	Std	SS	Dful	Loss	Total
	Details																					
6	Write offs/Recoveries of Restructured accounts during the FY	No. of Borrowers											5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
		Amount outstanding											41.59	0	0	0	41.59	41.59	0	0	0	41.59
		Provision thereof*											3.08	0	0	0	3.08	3.08	0	0	0	3.08
7	Restructured accounts as on 31 March 2025	No. of Borrowers											5	2	2	0	9	5	2	2	0	9
		Amount outstanding											1045.26	24.32	14.23	0	1083.81	1045.26	24.32	14.23	0	1083.81
		Provision thereof*											52.26	24.32	14.23	0	90.81	52.26	24.32	14.23	0	90.81

**Provision includes the normal standard assets provision and additional provision due to restructuring*

3.5 Loan under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

During the year 2016-17, resolution plan for one stressed loan account to the extent of ₹ 46.91 crore was considered under Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets. The details of resolution plan is given below:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Part – A		
(i) Loan outstanding	0.00	0.00
Part – B		
(i) Equity Shares	0.00	0.00
(ii) Optionally Convertible Debentures	26.74	28.87
Total	**26.74**	**28.87**

The account is continued as NPI and 100% provision held against the outstanding balance as per S4A guidelines.

3.6 Movement of Non-Performing Assets

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	Gross NPAs as on 01 April	1983.29	2041.78
(ii)	Additions (fresh NPAs) during the year	34.09	0.00
	Sub total (A)	**2017.38**	**2041.78**

Less :			
(i)	Upgradations	0.00	0.00
(ii)	Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	0.44	58.37
(iii)	Technical / Prudential Write offs	0.00	0.00
(iv)	Write offs other than those under (iii) above	11.60	0.12
	Sub-total (B)	**12.04**	**58.49**
Gross NPAs as on 31 March (A-B)		**2005.34**	**1983.29**

3.7 Write-offs and recoveries

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**2024-25**	**2023-24**
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at 01 April	0.00	0.00
Add : Technical / Prudential write offs during the year	0.00	0.00
Sub total (A)	0.00	0.00
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	0.00	0.00
Closing balance as at 31 March (A-B)	0.00	0.00

Note: Technical or prudential write-off is the amount of non-performing loans which are outstanding in the books of the branches, but have been written-off (fully or partially) at Head Office level.

3.8 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**2024-25**	**2023-24**
Total Assets	0.00	0.00
Total NPAs	0.00	0.00
Total Revenue	0.00	0.00

3.9 Depreciation and provisions on Investments

(Amount in ₹ crore)

S. No.	**Particulars**	**2024-25**	**2023-24**
(1)	**Investments**		
(i)	Gross Investments *		
	(क) In India	91752.11	69693.73
	(ख) Outside India	0.00	0.00
(ii)	Provision for NPI *		

	(क) In India	299.26#	317.32
	(ख) Outside India	0.00	0.00
(iii)	Net Investments *		
	(ख) In India	91446.57	69376.41
	(ग) Outside India	0.00	0.00
(2)	**Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
(i)	Opening balance	317.32	326.80
(ii)	Add: Provisions made during the year	2.00	0.00
(iii)	Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	0.00	0.00
(iv)	Less: Write off / write back of excess provisions during the year	(20.06)	(9.48)
(v)	Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	0.00	0.00
(vi)	Closing balance	299.26	317.32

**the figures are excluding investments in Special Dev Debentures of SCARDBs.*

 # In terms of RBI Circular no. RBI/2023-24/90 DOR.STR.REC.58/21.04.048/2023-24 dated December 19,2023- Investments in Alternative Investment Funds (AIFs) and subsequent clarification vide circular no. RBI/2023-24/140 DOR.STR.REC.85/21.04.048/2023-24 dated March 27, 2024, provision was made of ₹ 6.28 crore as on 31 March 2024. Further, Bank has reassessed the impact and there is no additional provision required for the year ended 31 March 2025.

4. (a) Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**Face Value**	**Book Value**
Pledged for Business Segment (Securities)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(b) Investments in Government securities include the following securities pledged with Reserve of India as collateral security for Intra Day Limit:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Face Value	Book Value
Pledged for Intra Day Limit (Securities)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

5. Provisions and Contingencies

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2024-25	2023-24
1	Provisions for depreciation on Investment	(8.50)	14.78
2	Provision towards NPA (Advances + Investments)	24.99	(67.97)
3	Provision made towards Income tax	2450.00	1,990.00

6. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

PCR [ratio of provisioning (including counter cyclical provisioning buffer as per Note no 2.2 of Schedule- 18) to gross non-performing assets] as at close of business for the current year stood at 187.41% (187.56%).

7. Investment Portfolio: Constitution and operations

7.5 Repo Transactions

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31 March 2025
Securities sold under repo				
i. Government securities	103.64 (1277.38)	4896.21 (5141.30)	154.95 (215.29)	4896.21 (0.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Securities purchased under reverse repo				
i. Government securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
ii. Corporate debt securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

7.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt Securities*

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	PSUs	230.50 (155.55)	230.50 (155.55)	–	-	-

(ii)	Govt	64358.21 (53304.41)	64358.21 (53304.41)			
(ii)	FIs	4170.15 (619.97)	4170.15 (619.97)	–	–	–
(iii)	Banks	13197.93 (7280.13)	13197.93 (7280.13)	–	–	–
(iv)	Private Corporates	807.53 (855.62)	807.53 (855.62)	–	–	–
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vi)	Others	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	–	–	–
(vii)	Provision held towards depreciation	(297.26) (317.32)	(297.26) (317.32)	–	–	–
	Total	**82467.06 (61898.36)**	**82467.06 (61898.36)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**	**0.00 (0.00)**

**Debt securities consist of Govt. Securities including Treasury Bills, Non-Convertible Debentures, Commercial papers, Certificate of deposits etc shown at book value.*

7.3 Sale and Transfers to / from HTM Category

During the year, State Govt. Development Loan (SDL) Securities were transferred from AFS to HTM category of the book value of ₹561.69 crore (face value ₹510.00 crore) and Central Government Securities were transferred from AFS to HTM category of the book value ₹4017.55 crore (face value ₹3580.68 crore) during the year.

The market value of all investments held by NABARD under Held to Maturity (HTM) category was ₹17139.62 crore against the book value of ₹15454.21 crore as on 31st March 2025

7.4 In terms of RBI (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investment, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 dated 21 September 2023 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹20.98 crore (₹31.84 crore) invested in the units of VCF was shifted from HTM category to AFS category, on completion of 3 years.

8. Details of Financials Assets purchased/ sold

8.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales : NIL

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts : NIL

8.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

A. Details of non performing financial assets purchased : NIL

B. Details of non performing financial assets sold : NIL

9. Operating Results

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	Interest income as a percentage to working funds	6.60	6.14
(ii)	Non-Interest Income as a percentage to working funds	0.02	0.01
(iii)	Operating Profit as a percentage to working funds	1.18	1.06
(iv)	Net Profit per employee (₹ crore) *	2.41	1.92

*Average employees have been considered for calculation purposes.

10. Credit Concentration Risk

10.1 Capital Market Exposure

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt $$	1936.47	1730.88
2	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
4	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	0.00	0.00
6	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
7	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	0.00	0.00
8	Underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
9	Financing stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
10	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	536.04	414.51
Total Exposure to Capital Markets		**2472.51**	**2145.39**

$$ Equity shares, subsidiaries and other strategic investments

10.2 Exposure to Country Risk: NIL

11. Prudential Exposure Limits- Single Borrower Limit (SBL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the AIFI

11.1 The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year: NIL

11.2 Credit exposure as percentage to Capital Funds and as percentage to Total Assets.

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Category	2024-25		2023-24	
		Credit Exposure as % to		Credit Exposure as % to	
		Capital Funds	Total Assets	Capital Funds	Total Assets
I	Largest Single Borrower	62.16	4.96	65.08	5.36
II	Largest Borrower Group	NIL		NIL	
III	Twenty Largest Single Borrowers for the year	516.20	41.17	560.16	46.13
IV	Twenty Largest Borrower Groups	NIL		NIL	

11.3 Credit exposure to the five largest industrial sectors as percentage to total loan assets: Not Applicable

11.4 There are no advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken and hence the details w.r.t estimated value of such intangible collateral is not applicable.

11.5 Factoring exposures: Not Applicable

11.6 Exposure where the FI had exceeded that Prudential Exposure Limits during the year: NIL

12. Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs

12.1 Concentration of borrowings and lines of credit

(Amount in ₹ crore)

S. No	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	Total borrowings from twenty largest lenders	575394.80	554469.25
(ii)	Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings	67.01	70.00

12.2 Concentration of credit exposures

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	Total exposures to twenty largest borrowers	405418.47	420172.85
(ii)	Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI	48.20	52.70

12.3 Sector-wise concentration of exposures and NPAs

The sector wise advances is given below:

(Amount in ₹ crore)

		2024-25			2023-24		
S. No.	**Particulars**	**Outstanding Total Advances**	**Gross NPAs**	**% of Gross NPAs to Total Advances in that sector**	**Outstanding Total Advances**	**Gross NPAs**	**% of Gross NPAs to Total Advances in that sector**
I.	**Agricultural sector including allied agricultural activities***	**841125.53**	**2005.32**	**0.24**	**797221.61**	**1983.25**	**0.25**
1	Central Government	83100.97	0.00	0.00	84124.79	0.00	0.00
2	Central PSUs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	State Governments	232460.92	0.00	0.00	216838.69	0.00	0.00
4	State PSUs	48845.66	0.00	0.00	33188.01	0.00	0.00
5	Scheduled Commercial Banks	150213.33	0.00	0.00	168872.09	0.00	0.00
6	Regional Rural Banks	77440.90	0.00	0.00	76964.14	0.00	0.00
7	Co-operative banks	184097.41	0.00	0.00	170637.78	0.00	0.00
8	Private sector (excluding banks)	15685.00	124.29	0.79	13628.07	102.22	0.75
9	Others SCARDB/LDB/NBFC-MFI/ ADFC	49281.34	1881.03	3.82	32968.04	1881.03	5.71
II.	**Others**	**284.61**	**0.02**	**0.01**	**237.59**	**0.04**	**0.02**
1	Construction Sector	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Staff Loans#	284.61	0.02	0.01	237.59	0.04	0.02
	Total (I+II)	**841410.15**	**2005.34**	**0.24**	**797459.20**	**1983.29**	**0.25**

******Includes major loans such as RIDF, WIF, NIDA etc.*

#grouped under "Other Advance" in Schedule-13.

12.4 Unhedged Foreign Currency Exposure: NIL (NIL)

13. Derivatives

13.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap – NIL

13.2 Exchange Traded Interest Rate derivatives – NIL

13.3 Disclosure on Risk exposure in derivatives:

Qualitative Disclosure

(i) The Bank uses Derivatives for hedging of exchange risk arising out of foreign currency borrowings. All derivatives undertaken by Bank are for hedging purposes with underlying as Foreign Currency Borrowings, which are not MTM, but only translated. The Bank does not undertake trading in Derivatives.

(ii) Internal Control guidelines for hedging are framed and approved by the Board. The derivative structure is undertaken only after approval of the competent authority. The particulars of derivative details undertaken are also reported to ALCO.

(iii) The Bank has put systems in place for mitigating the risk arising out of derivative deals. The Bank follows the accrual method for accounting the transactions arising out of derivative deals.

Quantitative Disclosures

(i) The Bank does not trade in derivatives. However, it has hedged its International Borrowings to the extent 61.68 million USD (69.48 million USD). Consequent upon hedging of foreign currency borrowings, the same is shown at contracted value as per the Swap agreement / forward contract.

(ii) The value of outstanding principal and interest amount of hedge contract at the year–end exchange rate stood at ₹ 529.50 crore (₹ 579.49 crore). The value of outstanding principal liability in the books of account stood at ₹ 517.99 crore (₹ 551.52 crore). The quantitative disclosure in this regard is as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particular	2024-25		2023-24	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	517.99		551.52	
	b) For trading	--		--	
(ii)	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)			17.00	
	b) Liability (-)	(4.55)		--	
(iii)	Credit Exposure [2]	46.59		17.00	
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	16.66		(1.07)	
	b) on trading derivatives	--		--	
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging	--		--	
	b) on trading	--		--	

14. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by AIFIs : NIL

15. Asset Liability Management

The maturity pattern of assets and liabilities are prepared in terms of the ALCO policy of the bank as under:

(Amount in ₹ rore)

Particulars	1 -14 d	15-28d	29d-3m	>3m-6m	>6m-1y	>1y-3y	>3y-5y	>5y	Total
Deposits	0.00	0.00	650.00	10275.76	37948.11	47643.08	91876.66	87597.84	275991.45
Advances	36440.64	18538.21	108326.62	81047.63	187588.28	164289.17	137066.22	105758.26	839055.03
Investments	9570.56	1344.03	12889.44	8788.96	8178.41	6822.66	5133.09	39090.15	91817.30
Borrowings	58604.34	24708.39	99715.81	39756.90	69157.64	105500.91	76831.11	103793.66	578068.76
Foreign Currency Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Foreign Currency liabilities	0.00	0.00	0.00	14.31	0.00	95.69	95.69	312.30	517.99

16. Draw Down from Reserves: NIL

17. Business Ratio

Particulars	2024-25	2023-24
Return on Equity (%)	10.17	8.85
Return on Assets (%)	0.86	0.77
Net Profit Per Employee (₹ crore)	2.41	1.92
Leverage Ratio (%)	7.66	NA

18. Disclosure of Penalties imposed by RBI – NIL

19. Disclosure of Complaints

(a) Customer Complaints

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	22	9
(b)	No. of complaints received during the year	71	85
(c)	No. of complaints redressed during the year	90	72
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	3	22

20. Off-Balance Sheet SPVs Sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms) - There are no SPVs sponsored by NABARD.

21. Disclosure as per specific accounting Standards

21.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
Total		**0.00**	**0.00**

21.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

Disclosure required under AS 15 (Revised) on "Employee Benefits"

21.2.1 Defined Benefit Plans

Employees Retirement Benefit plans of the bank include Pension in respect of employees who joined the bank on or before 31st December 2011, Gratuity, Leave Encashment and Post-Retirement Medical Benefits, which are defined benefit plans. The present value of obligation is determined based on actuarial valuation, by an independent Actuary, using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of services as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation.

Principal Actuarial Assumptions and the basis of these assumptions

Actuarial Assumptions	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Discount Rate	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
Expected Return on Plan Assets	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%	6.61%	7.35%
Rate of Escalation In salary	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

Changes in Present value of the obligation

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present value of Obligation at the beginning of period	9871.46	8481.01	416.71	422.29	378.50	365.22
Add: Current Service Cost	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
Add: Past Service Cost	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
Add: Interest Cost	699.59	621.80	30.63	32.09	27.82	27.76
Actuarial (gain)/loss	704.19	1261.65	19.01	18.81	21.73	49.55
Less : Benefits paid	(557.32)	(575.57)	(112.61)	(82.96)	(56.12)	(75.66)
Present value of defined benefits obligations at the year end	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50

Changes in the Fair Value of the Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Fair value of Plan Assets, at the beginning of period	9746.28	8482.47	407.45	397.74	86.58	121.52
Add: Expected return on Plan assets	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Add: Contributions byBank	321.60	1074.75	68.78	53.70	0.00	0.00
Actuarial gain/(loss)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
Less : Benefits paid	(514.34)	(533.20)	(112.61)	(82.96)	(61.24)	(46.98)
Less: Reimbursement Payable by Employer	(42.97)	(42.37)	0.00	0.00	0.00	0.00
Fair value of PlanAssets as at the end of the period	10381.90	9746.28	407.94	407.45	30.34*	86.58*

*These investments are shown at Book Value in financial statements. The book value of these investments as on 31 March 2025 is *₹10.95 crore (₹ 39.26 crore).*

Actual Return on Plan Assets

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Expected return on Plan Assets	693.65	625.20	29.95	30.23	6.36	9.24
Actuarial gain/(loss)	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
Actual Return on Plan Assets	871.33	764.63	44.32	38.97	5.00	12.04

Net Actuarial Gain / (loss) Recognized

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Actuarial gain / (loss) for the period - Obligations	(704.19)	(1261.65)	(19.01)	(18.81)	(21.73)	(49.55)
Actuarial gain / (loss) for the period - Plan Assets	177.68	139.43	14.37	8.74	(1.36)	2.80
Total Gain / (Loss) for the period	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
Actuarial gain or (loss) recognised in the period	(526.51)	(1122.22)	(4.64)	(10.07)	(23.09)	(46.75)
Unrecognised Actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount recognized in Balance Sheet

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		GRATUITY		LEAVE BENEFITS	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
Present value of defined benefits	10816.75	9871.46	427.46	416.71	392.00	378.50

obligations as at the year end						
Less : Fair value of plan assets as at the year end*	10381.90	9746.28	407.94	407.45	0.00	0.00
Unrecognised PastService cost – vested benefits – Carried Forward	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liability to be Recognised in the Balance Sheet	434.85	125.18	19.52	9.26	392.00	378.50
Liability Recognised in the Balance Sheet	434.85	126.64	19.52	10.47	392.00	378.50

**Since there is no separate trust for leave benefits, the fair value of plan assets for investments ₹30.34 crore (PY ₹86.58 crore) and is classified as investment at its book value.*

Expense to be recognized in Profit and loss Account

(Amount in ₹ crore)

	PENSION		**GRATUITY**		**LEAVE BENEFITS**	
	2024-25	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
Current Service Cost	98.83	82.57	24.25	26.48	20.07	11.63
Add: Past Service Cost	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
Add : Interest cost	699.59	621.81	30.63	32.09	27.82	27.76
Less : Expected return on Plan assets	(693.65)	(625.20)	(29.95)	(30.23)	0.00	0.00
Add : Net Actuarial (gain)/ loss recognized in Year	526.51	1122.22	4.64	10.07	21.73	49.55
Expenses to be recognized in the statement of profit and loss	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93
- Of which, out of earlier year provisions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Contributions received from employees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Charged to Profit and loss account	631.28	1201.40	79.04	38.41	69.62	88.93

**Since there is no separate trust for leave benefits and the investment made by the bank are held as investment in its books no effect in respect of expected return and actuarial gain/loss in respect of the same is considered in the above table.*

21.2.2 Defined Contribution Plan:

(a) The bank contributes its share to Provident Fund with NABARD Pension Fund Trust. As per the terms, the contribution is a defined contribution plan. During the year the bank has contributed ₹ 30.00 crore (₹ 38.34 crore) with NABARD Pension Fund Trust.

(b) The employees' recruited on or after 01 January 2012 are covered under New Pension Scheme, which is a defined contribution plan. During the year the bank has contributed ₹ 25.41 crore (₹ 23.38 crore) to the said scheme.

21.2.3 Post-Retirement Medical Benefits

The present value of defined benefit obligation in respect of post-retirement medical benefits accounted in Profit and Loss Account is ₹ 21.96 crore (₹ 21.88 crore).

21.2.3.1 The aforesaid liabilities include liabilities of employees deputed to subsidiaries.

21.2.3.2 Amortisation of Post-retirement benefits

The entire liability towards post-retirement benefits is charged to Profit and Loss account and are not amortized.

21.2.4 Investment under Plan Assets of Pension, Gratuity & Leave Benefits Fund as on 31 March 2025

Particulars	**Pension**	**Gratuity**	**Encashment of OL**
	% of Plan Assets	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	20.84	0.00	0.00
State Govt. Securities	37.08	0.00	0.00
Insurer Managed Funds	0.00	100.00	100.00
Others	42.08	0.00	0.00
Total	**100.00**	**100.00**	**100.00**

21.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Information on Business Segment

(a) **Brief Background**

The Bank has recognised Primary segments as under:

i) Direct Finance: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/non–governmental organizations for developmental activities and other direct loans to DCCBs.

ii) Refinance: Includes Loans and Advances given to State Governments, Public Sector Banks, Private Banks, Small Finance Banks, Foreign Banks, SCARDBs, StCBs, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.

iii) Treasury: Includes investment of funds in treasury bills, short-term deposits, government securities, etc.

iv) The segments other than the above three primary segments is other business segments. After finding out the results of the three primary segments based on the direct income and direct expenses, the balance amounts including un-allocable expenses/ liabilities/ assets are grouped under "Other Business"

Information on Primary Business Segment

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**Treasury**		**Refinance**		**Direct Lending**		**Other Business**		**Total**	
Business Segments	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
Revenue	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	21765.14	18909.70	98.71	67.08	58424.41	48846.60

Particulars	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Business Segments	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
Result	1425.27	618.77	3571.30	4439.17	7910.98	6172.90	(2752.95)	(3162.94)	10154.60	8067.90
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									10154.60	8067.90
Income Taxes									2526.28	1964.78
Extraordinary profit / loss									0.00	0.00
Net Profit									**7628.32**	**6103.12**
Other Information										
Segment Assets	139058.27	101692.90	453289.86	430623.59	391092.15	368992.13	1076.71	9363.71	984516.99	910672.33
Segment Liabilities	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	389591.47	373276.76	89924.46	82682.51	981694.55	907856.58
Unallocated Assets									113.95	190.23
Total Assets									**984630.94**	**910862.56**
Unallocated Liabilities									2936.39	3005.98
Total Liabilities									**984630.94**	**910862.56**
Note : Unallocated Assets represent Deferred Tax Asset and Unallocated Liabilities represent Provision for Income Tax										

(c) Since the operations of the Bank are confined to India only, there is no reportable secondary segment.

21.4 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 "Related Party Transactions", the details of the transactions with other state controlled enterprises (including its subsidiaries) are not disclosed.

List of Related Parties:

a) Companies where entity has control:

S. No.	Companies	Relationship
1.	NABFINS Limited	Subsidiary
2.	NABSAMRUDDHI Finance Limited	Subsidiary
3.	NABKISAN Finance Limited	Subsidiary
4.	Nabard Consultancy Services Pvt. Ltd.	Wholly owned Subsidiary
5.	NABVENTURES Limited	Wholly owned Subsidiary

6.	NABFOUNDATION	Wholly owned Subsidiary
7.	NABSanrakshan Trustee Private Limited	Wholly owned Subsidiary

b) Key Management Personnel:

S. No.	Name of the party	Designation
1.	Shri Shaji K V	Chairman
2.	Goverdhan Singh Rawat	Deputy Managing Director
3.	Ajay K Sood	Deputy Managing Director

Significant transactions with related parties

(Amount in ₹ crore)

Items / Related	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings#	-	-	-	-	-
Deposit#	-	-	-	-	-
Placement of deposits#	-	-	-	-	-
Advances#	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
Investments#	-	-	-	-	-
Outstanding at the year end	-	-	-	-	-
Maximum during the year	-	-	-	-	-
Non funded commitments#	-	-	-	-	-
Leasing arrangements availed#	-	-	-	-	-
Leasing arrangements provided#	-	-	-	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-	-
Interest paid	-	-	-	-	-

Items / Related	Subsidiaries	Associates/ Joint ventures	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
Interest Received	-	-	-	-	-
Rendering of services*	-	-	-	-	-
Receiving of services*	-	-	-	-	-
Management Contracts**	-	-	1.44(0.52)	-	

@ Whole time directors of the Board

 # The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

** Contract services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.*

*** Remuneration to Key Management Personnel.*

21.5 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank recognizes deferred tax asset / liability on timing differences in accordance with AS 22 "Accounting for taxes on Income". During the year, the Bank has recognized deferred tax expense of ₹76.28 crore (-25.21 crore) in the Profit and Loss Account. The details of total deferred tax assets as on 31.03.2025 are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Deferred Tax Assets	2024-25	2023-24
1.	Provision allowable on payment basis	100.24	175.14
2.	Depreciation on Fixed Assets	13.71	15.08
	Total	**113.95**	**190.22**

Recognition of Deferred Tax Liability on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

As the loan book is growing year on year, Provision on Standard Assets is required to be created every year in line with the RBI Prudential Norms. Therefore, in accordance with the principles laid down in AS-22, the Bank does not recognise Deferred Tax Asset on account of Provision on Standard Assets, as there is no reasonable certainty of their realisation.

21.6 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets

In the opinion of the Bank's management, there has been no indication requiring the testing of impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring the provision.

22. Leave travel concession benefits to employees are accounted for as and when the same is availed by the employees.

23. Un-amortised Pension and Gratuity Liabilities: Nil

24. Details of loans transferred/ acquired during the year ended March 31, 2025 under the RBI Master Direction on Transfer of Loan Exposures dated September 24, 2021 are given below:

(a) Bank has not transferred any Non-Performing Assets (NPAs)/ Technical written off accounts (TWO).

(b) Bank has not acquired any stressed loans.

(c) Bank has not transferred or acquired any loan not in defaults.

(d) The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as at March 31, 2025: NIL

25. NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/Other entities and is holding the following funds, pending utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements / as approved by the management/Board of Directors. The details of rate of interest for respective funds are as under:

S. No.	Name of the Fund	Rate of Interest for 2024-25	Rate of Interest for 2023-24
1.	Watershed Development Fund	3%	3%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan)	0%	3%
3.	KfW Accompanying Measures	0%	3%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	0%	3%
5.	Tribal Development Fund	3%	3%
6.	Financial Inclusion Fund	3%	3%
7.	KfW NB- V Adivasi Development Programme- Gujarat	0%	3%
8.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	3%	3%
9.	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	3%	3%
10.	Producer Organisation Development Fund-Interest Differential	3%	3%
11.	Climate Change Fund -Interest Differential	3%	3%
12.	Green Climate Fund Project Grants	3%	3%
13.	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	7.83%	7.29%
14.	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	7.83%	7.29%
15.	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	7.83%	7.29%

26. Recoverable from Government of India / International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹ 2.00 crore (₹ 1.08 crore) being debit balance of various funds.

The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Name of the Fund	2024-25	2023-24
1.	KfW- Soil Project	0.92	0.00
2.	NAFCC	1.08	1.08
	Total	**2.00**	**1.08**

27. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund (FPF), placed by various banks is credited to Financial Inclusion Fund and Climate Change Fund-ID in the ratio of 80:20.

28. Interest Subvention received / receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Scheme	2024-25	2023-24
1.	Long Term Irrigation Fund	567.95	558.87
2.	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	140.96	(70.68)
3.	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	34.72	35.07
4.	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	126.07	67.08
5.	Micro Irrigation Fund (MIF)	87.68	73.62
6.	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)	25.85	17.94

29. Interest Margin on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural Operations and under NRLM scheme has been accounted as interest income. The amount received / receivable from GOI under the scheme stood at ₹ 115.09 crore (₹ 122.26 crore).

30. The details of pending Income Tax Appeals with various authorities are given below:

S. No.	Assessment Year	Authority where Appeal is pending	Appeal preferred by	Amount of tax in dispute as on 31-03-2025 (₹ Crore)	Amount of tax in dispute as on 31-03-2024 (₹ Crore)
1	2002-03	High Court – Mumbai	IT Dept.	415.00	415.00
2	2006-07	High Court – Mumbai	IT Dept.	217.85	217.85
3	2007-08	High Court – Mumbai	IT Dept.	88.56	88.56
4	2008-09	High Court – Mumbai	IT Dept.	118.77	118.77
5	2009-10	High Court – Mumbai	IT Dept.	194.82	194.82
6	2010-11	High Court – Mumbai	NABARD	28.20	28.20
7	2010-11	High Court – Mumbai	IT Dept.	215.32	215.32
8	2011-12	High Court – Mumbai	NABARD	51.03	--
9	2012-13	High Court – Mumbai	NABARD	45.63	--
10	2013-14	High Court – Mumbai	NABARD	1.70	--
11	2011-12	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	51.07
12	2011-12	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	287.62

13	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	45.63
14	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	327.03
15	2013-14	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	1.70
16	2013-14	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	380.05
17	2014-15	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	450.61
18	2015-16	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	448.87
19	2019-20	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	254.38
20	2019-20	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	0.59
21	2016-17	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	407.23	407.23
22	2017-18	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	360.69	360.69
23	2018-19	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	278.52	278.52
24	2022-23	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	182.64	--

31. Free hold land and Lease Land and Premises include ₹ 11.85 crore (₹ 11.85 crore) paid towards various Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

32. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:

32.1 Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head 'Debenture and Bonds'.

32.2 Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.

32.3 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.

33. During the year, the Bank has accounted for ₹ 349.00 crore on estimated basis towards wage settlement effective from November 2022. The closing provision for wage settlement as on 31 March 2025 is outstanding at ₹ 667.17 crore.

34. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 633.71 crore (₹407.85 crore) pertains to projects yet to be grounded under ongoing Tranches (XXVII to XXIX) towards mobilisation advance. Pending receipt of the proposal from the State Government for adjustment of the amount with the respective/ other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund

35. In respect of three Non-Performing Investments accounts, full provision had been made in the earlier years and the resolution process under NCLAT initiated. Pursuant to NCLAT orders, the bank has accounted for the receipts to the extent of ₹17.93 Crore

36. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹ 5,000 crore. Accordingly, ₹ 1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹ 3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure was mobilized through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 365.07 crore (₹ 365.64 crore).

The details of the debenture Trustee is as under:

Axis Trustee Services Limited,

The Ruby, 2nd Floor, SW,

29, Senapati Bapat Marg,

Dadar West, Mumbai - 400028

Telephone: +91 22 6230 0451

37. Figures in brackets pertain to previous year.

38. Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform to the current period's classification/ presentation.

As per our attached report of even date.

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.:102306
Mumbai
Date - 27 May 2025

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood	Goverdhan Singh Rawat	Shaji K. V.
Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
27 May 2025

National Bank for Agriculture and Rural Development

Standalone Cash flow Statement for the year ended 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	10,154.61	**8,067.91**
Adjustment for:		
Depreciation and Amortisation	56.79	47.78
Provision for Non-Performing Assets	33.49	(67.97)
Provision for Standard Assets	221.46	370.00
Depreciation in value of Investment Account - Equity	(8.50)	14.78
Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	(1.05)	(0.75)
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	188.99	194.46
Interest Expenses on Borrowings & Deposits	44,861.17	36,912.84
Income from Investment (including Discount Income)	(7,649.52)	(5,344.46)
Operating profit before changes in operating assets	**47,857.44**	**40,194.58**
Adjustment for changes in working capital:		
(Increase) / Decrease in Current Assets	(8,254.68)	(16,198.84)
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	(332.19)	2,499.61
(Increase) / Decrease in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff)	(44,183.85)	(64,420.38)
Cash generated from operating activities	**(4,913.28)**	**(37,925.03)**
Income Tax paid - Net of refund	(2,519.59)	(2,095.58)
Net cash flow from operating activities (A)	**(7,432.87)**	**(40,020.61)**
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	7,649.52	5,344.46
Purchase of Fixed Asset	(79.43)	(74.61)
Sale of Fixed Assets	12.60	6.78
(Increase) / Decrease in Investment	(22,049.88)	(21,388.68)

Particulars	2024-25	2023-24
Net cash used / generated from investing activities (B)	**(14,467.19)**	**(16,112.05)**
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	(1,045.19)	186.83
Proceeds of Bonds	41,216.15	39,472.85
Increase / (Decrease) in Borrowings	56,593.94	29,826.19
Increase / (Decrease) in Deposits	(25,966.62)	23,857.20
Interest Paid on Borrowings & Deposits	(42,850.58)	(36,912.84)
Net cash raised from financing activities (C)	**27,947.70**	**56,430.23**
Net increase in cash and cash equivalent (A)+(B)+(C)	6,047.64	297.56
cash and cash equivalent at the beginning of the year	8,608.82	8,311.26
Cash and cash equivalent at the end of the year	**14,656.46**	**8,608.82**
1. Cash and cash equivalent at the end of the year includes:	**2024-25**	**2023-24**
Cash in hand	-	-
Balance with Reserve Bank of India	6,568.72	3,561.58
Balances with other Banks in India	4,437.74	3,747.24
Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less)	3,650.00	1,300.00
Total	**14,656.46**	**8,608.82**

Note -Cash flow Statement is prepared as per Indirect method.

As per our attached report of even date

For Suresh Surana & Associates LLP

Chartered Accountants

Firm Registration No: 121750W / W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Mumbai

Date : 27 May 2025

Dr. Ajay Kumar Sood | Goverdhan Singh Rawat | Shaji K. V.

Particulars	2024-25	2023-24
Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman

Dr. Milind R Bhirud

Chief General Manager & Secretary

Mumbai

27 May 2025

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

REPORT ON THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

OPINION

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of the National Bank for Agriculture and Rural Development ('the Holding Bank' or 'NABARD' or ' the Bank') and its subsidiaries (the Holding Bank and its subsidiaries collectively referred to as 'Group'), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2025, Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of report of other auditor on separate audited financial statements/ management certified financial statements of subsidiaries, the aforesaid Consolidated Financial Statements are full and fair financial statements containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31, 2025, consolidated profits and its consolidated cash flows for the year ended on that date and read with the notes on the consolidated financial statements, give the information in conformity with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI') and accounting principles generally accepted in India.

BASIS OF OPINION

We conducted our audit of the consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing ('SAs') issued by the ICAI. Our responsibilities under those SAs are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements' section of our report. Those Standards require that we comply with ethical requirements. We are independent of the Group in accordance with the "Code of Ethics" issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for our audit opinion on the consolidated financial statements.

KEY AUDIT MATTERS

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 March, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on the key audit matters. In our professional judgement, we have decided the following to be the key audit matter to be communicated in our report:

Key Audit Matter	How our Audit addressed the key audit matter
Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision of Advances. Advances include Refinance loans to banks, Financial Institutions, Micro Finance Institutions and NBFCs; and Direct loans to State Governments and Central Government. The Reserve Bank of India ('RBI') has prescribed the 'Prudential Norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning' in respect of advances for Group ('IRACP Norms'). The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Group is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each advance applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations. Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on: - Completeness and timing of recognition of non performing assets in accordance with criteria as per IRACP norms; - Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security; - Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs. Since the classification of advances, identification of NPAs and creation of provision on advances (including additional provisions under applicable IRACP Norms) and income recognition on advances: - Requires proper control mechanism and significant level of estimation by the Group; - Has significant impact on the overall financial statements of the Group; we have ascertained this area as a Key Audit Matter. **(Refer Schedule 11 read with note 8 of schedule 18 to the consolidated financial statement.)**	**Principal audit procedure performed** Identification of Non-performing Advances, Income Recognition and Provision on Advances included the following: - Understanding and considering the Group accounting policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the prudential norms prescribed by the RBI (IRACP Norms), including the additional provisions and asset classification benefit extended on restructured advances. - Understanding the key controls (including system based automated controls) for identification and provisioning of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP laid down by the RBI. - Performing other procedures including substantive audit procedures covering the identification of NPAs by the Group. These procedures included: • Considering testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded. • Considering the accounts reported by the Group and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress. • Reviewing account statements, drawing power calculation, security and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. • Reading of minutes of credit and risk committee meetings and performing inquiries with the Group to ascertain if there were indicators of stress or an occurrence of an event of default in a loan account or any product. • Considering key observations arising out of Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Group. • Considering the RBI Financial Inspection report on the Group, the Group response to the observations and other communication with RBI during the year. • Examination of advances on a sample basis with respect to compliance with the RBI Master Circulars / Guidelines.

	• Seeking independent confirmation of account balances from borrowers. • Visits to regional offices and examination of documentation and other records relating to advances. - For Non- performing advances identified, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRACP norms. We recomputed the provision for NPA on such samples after considering the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management.
Valuation of Investments, Identification of and provisioning for Non-Performing Investments. Investments include investments made by the Group in Central and State Governments Securities, Bonds, Debentures, Shares, Mutual Funds, VCFs and other approved securities. RBI Circulars and directives, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-performing investments, non-recognition of income and provisioning against non-performing investments. The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI which involves collection of data/information from various sources such as FBIL/FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE, financial statements of unlisted companies etc. We identified valuation of investments and identification of NPI as a Key Audit Matter because of the management judgement involved in determining the value of certain investments (Bonds and Debentures, VCFs) based on applicable Regulatory guidelines and the Group policies, impairment assessment for HTM book based on management judgement, the degree of regulatory focus and the overall significance to the financial results of the Group. **(Refer Schedule 10 read with note 7 of schedule 18 to the consolidated financials statement.)**	**Principal audit procedure performed** Our audit approach/procedures towards Investments with reference to the RBI Circulars/directives included the understanding of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of non-performing investments (NPIs) and provisioning/ depreciation related to Investments. In particular: • Evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI guidelines regarding valuation, classification, identification of NPIs, reversal of income on NPIs and provisioning/depreciation related to investments; • Assessed and evaluated the process adopted for collection of information from various sources for determining market value of these investments; • Tested on sample basis , the accuracy and compliance with the RBI Master Circulars and directions by re-performing valuation for each category of the security; • Carried out substantive audit procedures to recompute independently the provision to be maintained in accordance with the circulars and directives of the RBI. Accordingly, we selected samples from the investments of each category and tested for NPIs as per the RBI guidelines and recomputed the provision to be maintained and if accrual of income is in accordance with the RBI Circular for those selected sample of NPIs.
3. **Multiple IT Systems:** The Bank is dependent on technology considering significant number of transactions that are processed daily across multiple and discrete Information Technology	**Principal audit procedure performed** • Reviewed the report of IS Audit carried out for half

('IT') systems. The audit approach relies extensively on several reports generated by interface of these IT systems and inbuilt automated controls therein. The major IT systems concerning the financial reporting process include: • CLMAS – transactions processing, workflows and financial reporting system • TALMS – Treasury Operations • Empower HRMS – HR and payroll • FAMS – Property, Plant and Equipment and processing of expenses • Interface/interplay of one or more of above systems in building up or generating reports. IT general and application controls are critical to ensure that changes to applications and underlying data are made in an appropriate manner. Adequate controls contribute to mitigating the risk of potential fraud or errors as a result of changes to the applications and data. Management of the Holding Bank's continuously endeavours several remediation activities and is in the process of bettering the implementation thereof aiming at minimization of the risks over IT applications in the financial reporting process. These includes implementation of preventive and detective controls across critical applications and infrastructure. Due to the pervasive nature, in our preliminary risk assessment, we planned our audit by assessing the risk of a material misstatement arising from the technology as significant for the audit, hence the Key Audit Matter.	year ending September 30, 2024 by an independent firm of Chartered Accountants pertaining to IT systems, general controls including access rights over applications, operating systems and databases relied upon for financial reporting. • Understanding the Holding Bank's IT control environment and key changes in the course of our audit that were considered relevant to the audit; • selectively recomputing interest calculations and maturity dates; • Selectively re-evaluating masters updation, interface with resultant reports; • Selective testing of the interface of CLMAS with other IT systems like TALMS, Empower and several workflows; • Having regard to the incidences of incorrect system entries getting posted in the accounting system, detailed inquiries were made into 'root cause analysis' and about lack of adequate checks and balances around such entries, to obtain suitable explanations and representations. • Testing of the system generated reports and accounting entries manually for core financial reporting matters (i.e. verification around the computer system), so as to rectify the incorrect entries noticed during the audit. • To avoid the scope of incorrect system entries, to have more useful system generated reports and to include more features/ fields into the system, management is under process of developing new modules that can be integrated into CLMAS CBS.

INFORMATION OTHER THAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR'S REPORT THEREON

The Holding Bank's Management and Board of Directors are responsible for the preparation of the other information, comprising of the information such as Report of Board of Directors and such other disclosures included in the Holding Bank's annual report, excluding the consolidated Financial Statements and auditors' report thereon ('Other Information').

The other information is expected to be made available to us after the date of this auditors' report. Our opinion on the Consolidated Financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance/conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information and if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance as required under SA 720 'The Auditor's Responsibilities Relating to other Information'.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITIES AND THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Holding Bank's Management and the Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements in accordance with the National Bank for Agriculture and Rural Development (Additional) General Regulations, 1984 and accounting principles generally accepted in India including applicable Accounting Standards issued by ICAI and the circulars and guidelines issued by RBI from time to time that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance, and consolidated cash flows of the Group. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent, design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Management and Board of Directors of the Holding Bank and of companies included in the Group are also responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the Holding Bank and of companies included in the Group are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

AUDITOR'S RESPONSIBILITY FOR THE AUDIT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Banks Internal Control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of the Holding Bank included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' in this audit report.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the consolidated financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

OTHER MATTERS

1. The Bank has 32 (Thirty-two) Regional Offices (ROs) including Head Office (HO), 3 (Three) Training Establishments (TEs). The financial accounting systems of the Bank are centralized for the ROs and TEs. Out of the total ROs, we have visited 4 (four) ROs including Head Office which covers 35% of Advances, 100% of PSL Deposits,100% of Borrowings as on 31 March 2025 and 20% of interest income on advances, 100% of interest expenses PSL Deposits and 100% of interest expenses on Borrowings for the year ended 31 March 2025. These ROs have been selected in consultation with the management of the Bank. In conduct of the audit we have relied on the various information and returns received from remaining ROs of the Bank not visited by us, generated through centralized database at HO.

2. We did not audit the financial statements/ financial information of four subsidiaries, whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.456.74 crores and net assets of Rs.401.20 crores as at March 31, 2025, total revenue of Rs.289.74 crores and net cash inflows amounting to Rs.4.85 crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements before giving effect to elimination of intra-group transactions. These financial statements/ financial information have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, is based solely on the reports of the other auditors.

3. We did not audit the financial statements / financial information of three subsidiaries whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.9273.55 crores and net assets of Rs.1560.58 crores as at March 31, 2025, total revenue Rs.1168.31 crores and total net cash inflows amounting to Rs.42.00 crores for the year ended on that, as considered in the consolidated financial statements before giving effect to elimination of intra-group transactions. These financial statements/ financial information were prepared by the management under Indian Accounting Standards (IND AS) and for the purpose of consolidation, Holding Bank Management has prepared the separate financial statements under Indian GAAP and the same are unaudited. Our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and

disclosures included in respect of these subsidiaries is based solely on such unaudited financial statements/ financial information certified by the management. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the management, these financial statements / financial information are not material to the Group.

4. The opening balances of April 1, 2024, has been taken based on the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2024 audited by the predecessor independent auditor, who vide their report dated May 24, 2024, have expressed an unmodified opinion.

Our opinion above on the consolidated financial statements and our Report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements/ financial information certified by the management.

REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Holding Bank in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21- 'Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We further report that:

a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors.

c) The consolidated Balance Sheet, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated cash flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

d) In our opinion, the aforesaid consolidated financial statements comply with the applicable Accounting Standards.

For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm's Registration No.: 121750W / W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
UDIN:25102306BMHKOD4595

Place: Mumbai
Date: 27 May 2025

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	FUNDS AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	(i) Capital (Under Section 4 of the NABARD Act, 1981)		17,080.00	17,080.00

2	Reserve Fund and Other Reserves	1	64,390.38	56,589.90
3	Minority Interest	1A	339.92	307.70
4	National Rural Credit Funds	2	16,110.00	16,106.00
5	Gifts, Grants, Donations and Benefactions	3	6,615.72	6,691.17
6	Government Schemes	4	723.61	1,506.36
7	Deposits	5	2,75,991.45	3,01,958.08
8	Bonds and Debentures	6	3,27,366.25	2,86,150.10
9	Borrowings	7	2,51,434.55	2,01,238.41
10	Current Liabilities and Provisions	8	26,467.31	24,779.51
	TOTAL		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	Foreign Currency Exposure Hedged with Cross Currency Swaps		529.50	579.49

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

National Bank for Agriculture and Rural Development

Consolidated Balance Sheet as on 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	PROPERTY AND ASSETS	Schedule	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Cash and Bank Balances	9	46,026.32	37,839.75
2	Investments	10	91,452.51	69,487.97
3	Advances	11	8,40,446.45	7,96,339.15
4	Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)	12	577.72	564.51
5	Other Assets	13	8,016.19	8,175.85
	TOTAL		**9,86,519.19**	**9,12,407.23**
	Foreign Currency Exposure Hedged with Cross Currency Swaps		529.50	579.49
	Commitment and Contingent Liabilities	17		
	Significant Accounting Policies and Notes forming part of Consolidated Financials Statements	18		

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

As per our attached report of even date
For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 121750W/ W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
Mumbai
Date : 27 May 2025

For and on behalf of the Board

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

	Goverdhan Singh Rawat	Shaji K. V
Dr. Ajay Kumar Sood Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
27 May 2025

National Bank for Agriculture and Rural Development

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	INCOME	Schedule	2024-25	2023-24
1	Interest on Loans and Advances		51,232.52	43,927.10
2	Income from Investment Operations / Deposits			
(a)	Interest on Investments		4,834.48	3,697.66
(b)	Dividend on Investments		28.16	45.22
(c)	Discount on Investments		1,332.67	749.16
(d)	Gain/ Loss on Sale and Revaluation of Investments		1,489.57	871.53
3	Other Receipts		374.34	324.74
	TOTAL (A)		**59,291.74**	**49,615.41**

Sr. No.	EXPENDITURE	Schedule	2024-25	2023-24
1	Interest and Financial Charges (Refer Note B – 4 of Schedule – 18)	14	44,890.91	36,940.39
2	Establishment and Other Expenses	15 A	3,374.84	3,720.08
3	Expenditure on Promotional Activities	15 B	139.69	136.02
4	Provisions	16	387.09	333.30
5	Depreciation and Amortization		62.70	52.69
	TOTAL (B)		**48,855.23**	**41,182.48**
6	**Profit before Tax (A-B)**		**10,436.51**	**8,432.93**
7	Provision for a) Income Tax		2,535.19	2,082.24
	b) Deferred Tax (Refer Note B-6 of Schedule 18)		59.74	(20.55)
8	**Profit after Tax**		**7,841.58**	**6,371.24**

9	Minority Interest		38.83	67.72
	Profit available for Appropriation		**7,802.75**	**6,303.52**
	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	18		

Note - Other Receipts include interest received on staff loans, rental income and other miscellaneous income.

Schedules referred to above form an integral part of the Consolidated Financial Statements

National Bank for Agriculture and Rural Development

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Appropriations/ Withdrawals	2024-25	2023-24
1	**Profit for the year brought down**	7,802.75	6,303.52
2	**Add:** Withdrawals from various funds against expenditure debited to Profit & Loss Account	243.50	178.32
	(Refer Schedule 1)		
3	**Total Profit Available for Appropriation**	**8,046.25**	**6,481.84**
	Less: Transferred to		
	(Refer Schedules 1 & 2)		
(a)	Special Reserve u/s 36(I)(viii) of the Income Tax Act, 1961	850.00	700.00
(b)	Reserve Fund u/s 45-IC of RBI Act, 1934	38.43	-
(c)	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	1.00	1.00
(d)	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1.00	1.00
(e)	Co-operative Development Fund	154.55	33.29
(f)	Research & Development Fund	98.61	42.30
(g)	Producers' Organizarion Development Fund - NABARD	0.29	3.95
(h)	Rural Infrastructure Promotion Fund	3.18	3.09
(i)	Farm Sector Promotion Fund	34.29	28.27
(j)	Gramya Vikas Nidhi	57.69	63.50
(k)	Climate Change Fund	-	0.39
(l)	Catalytic Fund	2.52	2.94
(m)	Technology Facilitation Fund	3.94	0.59
(n)	NABARD Green Impact Fund	1,000.00	-
(o)	NABARD Carbon Fund	300.00	-
(p)	RRB Development Fund	100.00	-
(q)	Reserve Fund	5,400.75	5,601.52
	Total	**8,046.25**	**6,481.84**

As per our attached report of even date
For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants

Firm Registration No.: 121750W/ W100010

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
Mumbai
Date : 27 May 2025

For and on behalf of the Board

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood	Goverdhan Singh Rawat	Shaji K. V
Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
27 May 2025

SCHEDULES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Consolidated Schedule 1 - Reserve Fund and Other Reserves

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions/ Adjustments during the year	Transferred from P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Closing Balance as on 31.03.2025
1	Reserve Fund*	40,414.07	(54.33)	5,455.15	39.04	45,775.85
2	Research and Development Fund	54.87	(0.34)	98.61	48.00	105.14
3	Capital Reserve	74.81	-	-	-	74.81
4	Reserve Fund u/s 45-IC of RBI Act, 1934	177.70	-	38.43	-	216.13
5	Investment Fluctuation Reserve	1,885.70	-	-	-	1,885.70
6	Co-operative Development Fund	200.00	-	154.55	54.55	300.00
7	Special Reserves Created & Maintained u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	13,150.00	-	850.00	-	14,000.00
8	Producers' Organizations Development Fund -	300.00	-	0.29	0.29	300.00

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions/ Adjustments during the year	Transferred from P&L Appropriation	Transferred to P&L Appropriation	Closing Balance as on 31.03.2025
	NABARD					
9	Rural Infrastructure Promotion Fund	50.00	-	3.18	3.18	50.00
10	Farm Sector Promotion Fund	60.00	-	34.29	34.29	60.00
11	Gramya Vikas Nidhi	110.00	-	57.69	57.69	110.00
12	Climate Change Fund	20.00	-	-	-	20.00
13	Catalytic Fund	20.00	-	2.52	2.52	20.00
14	Development Corpus Fund	5.00	-	-	-	5.00
15	Foreign Exchange Fluctuation reserve Fund	17.75	-	-	-	17.75
16	Technology Facilitation Fund	50.00	-	3.94	3.94	50.00
17	NABARD Green Impact Fund	-	-	1,000.00	-	1,000.00
18	NABARD Carbon Fund	-	-	300.00	-	300.00
19	RRB Development Fund	-	-	100.00	-	100.00
	Total	**56,589.90**	**(54.67)**	**8,098.65**	**243.50**	**64,390.38**
	Previous year	**50,288.37**	**(58.51)**	**6,538.37**	**178.33**	**56,589.90**

*Note - The format prescribed in NABARD Additional (General) Regulations, 1984 for 'Reserve fund and Other Reserves' has Profit and Loss a/c as one of the sub-item. Since the bank has the practice of transferring the balance in profit and loss account after all the apportions to Reserve fund, there remains no balance in profit and loss account due to which the same has not been separately disclosed above.

Consolidated Schedule 1A - Minority Interest

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Addition during the year	Adjustments during the year	Closing balance as on 31.03.2025
1	Share capital	91.66	-	-	91.66
2	Reserves and Surplus	216.04	32.22	-	248.26
	Total	**307.70**	**32.22**	**-**	**339.92**
	Previous year	**247.21**	**60.49**	**-**	**307.70**

Consolidated Schedule 2 - National Rural Credit Funds

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Contribution by RBI	Transferred from P&L Appropriation	Closing Balance as on 31.03.2025
1	National Rural Credit (Long Term Operations) Fund	14,503.00	1.00	1.00	14,505.00
2	National Rural Credit (Stabilisation) Fund	1,603.00	1.00	1.00	1,605.00
	Total	**16,106.00**	**2.00**	**2.00**	**16,110.00**
	Previous year	**16,102.00**	**2.00**	**2.00**	**16,106.00**

Consolidated Schedule 3 - Gifts, Grants, Donations and Benefactions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01-04-2024	Grants received / adjusted during the year	Interest credited*	Exp./Disb./ Adjust. during the year	Closing Balance as on 31-03-2025
A.	**Grants from International Agencies**					
1	KfW NB UPNRM - Financial Contribution	0.15	-	-	0.15	-
2	GIZ UPNRM Technical Collaboration	0.03	-	-	-	0.03
3	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	21.85	-	0.66	-	22.51
4	GIZ Soil Project	1.41	-	-	1.41	-
5	KfW Soil Project	1.46	9.76	-	11.22	-
6	GCF Project Grants	20.32	1.42	0.60	1.99	20.35
B.	**Other Funds**					
1	Watershed Development Fund	1,412.94	1.87	41.65	101.64	1,354.82
2	Interest Differential Fund - (Forex Risk)	223.43	-	-	-	223.43
3	Interest Differential Fund - TAWA	0.10	-	-	-	0.10
4	Adivasi Development Fund	5.77	-	-	-	5.77
5	Tribal Development Fund	1,173.23	2.90	34.14	123.68	1,086.59
6	Financial Inclusion Fund *(i)	3,152.34	249.16	92.75	302.47	3,191.78
7	PODF-ID	259.98	-	7.40	43.73	223.65
8	National Bank - Swiss Development Cooperation Project	67.78	0.82	-	-	68.60
9	RPF & RIF - Off-Farm Sector Promotion Fund	22.89	0.40	-	2.46	20.83
10	Centre for Professional Excellence in Co-operatives - (C-PEC)	3.50	-	0.27	-	3.77

11	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	188.73	17.39	5.66	-	211.78
12	National Adaptation Fund for Climate Change A/c	3.25	-	0.17	-	3.42
13	Capacity Building Fund for Social Stock Exchange	9.40	0.50	-	0.53	9.37
14	Climate Change Fund - ID *(ii)	122.61	61.78	3.66	19.13	168.92
	Total	**6,691.17**	**346.00**	**186.96**	**608.41**	**6,615.72**
	Previous year	**6,711.28**	**569.42**	**188.68**	**778.21**	**6,691.17**

*Refer Note B-1 of Schedule 18
*(i) includes provision for income-tax on interest differential credited to the fund - ₹ 62.19 crore
*(ii) includes provision for income-tax on interest differential credited to the fund - ₹ 15.55 crore

Consolidated Schedule 4 - Government Schemes

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions/ Adjustments during the year	Interest Credited[#]	Expenditure/ Disbursements from the fund	Closing Balance as on 31.03.2025
A	**Government Subsidy Schemes**					
1	Capital Investment Subsidy for Cold Storage Projects - NHB	0.89	-	-	-	0.89
2	Capital Subsidy for Cold Storage TM North East	0.08	-	-	-	0.08
3	Credit Linked Capital Subsidy for Technology Upgradation of SSIs	0.90	0.11	-	-	1.01
4	On-farm Water Management for Crop Production	0.07	-	-	-	0.07
5	Bihar Ground Water Irrigation Scheme (BIGWIS)	78.98	-	-	-	78.98
6	Cattle Development Programme - Uttar Pradesh	0.04	-	0.00*	-	0.04
7	Cattle Development Programme - Bihar	0.10	-	0.01	-	0.11
8	National Project on Organic Farming	1.80	-	-	-	1.80
9	Integrated Watershed Development Programme - Rashtriya Sam Vikas Yojana	4.29	-	-	-	4.29
10	Dairy and Poultry Venture Capital Fund	2.83	-	-	-	2.83
11	Poultry Venture Capital Fund	0.15	0.01	-	0.08	0.08
12	ISAM - Agricultural Marketing Infrastructure	451.47	171.81	-	611.69	11.59
13	NATIONAL LIVESTOCK MISSION - PVCF EDEG	81.57	0.25	-	81.52	0.30
14	Centrally Sponsored Scheme for establishing Poultry Estate	0.08	-	-	-	0.08
15	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - Sultanpur Uttar Pradesh	0.09		0.01	-	0.10

Sr. No.	Particulars	Opening Balance as on 01.04.2024	Additions/ Adjustments during the year	Interest Credited#	Expenditure/ Disbursements from the fund	Closing Balance as on 31.03.2025
16	Multi Activity Approach for Poverty Alleviation - BAIF - Rae Bareli, Uttar Pradesh	0.02	-	0.00*	-	0.02
17	Dairy Entrepreneurship Development Scheme	11.64	1.70	-	12.09	1.25
18	CSS for Solar Mission	0.03	0.00*	-	0.03	0.00*
19	CSS - JNNSM - Solar Lighting a/c	2.76	-	-	2.76	-
20	CSS - Solar Photovoltaic Water Pumping	0.03	-	-	0.03	-
21	Capital Subsidy Scheme - Agri Clinic Agri Business Centres	4.62	7.80	-	12.32	0.10
22	CSS MNRE Lighting Scheme 2016 a/c	0.11	1.04	-	-	1.15
23	Artificial Recharge of Groundwater in Hard Rock Area	4.62	-	-	-	4.62
24	CSS On Formation And Promotion Of FPO	0.67	0.25	-	0.92	-
B	**Other Government Schemes**					
1	Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme (ADWDR) 2008	283.71	0.23	-	-	283.94
2	Women's Self Help Groups [SHGs] Development Fund	6.23	-	-	5.02	1.21
3	Interest Subvention (Sugar Term Loan)	5.19	600.64	0.88	606.53	0.18
4	AMI - Workshop Assistance Fund	0.01	-	-	0.01	0.00*
5	Kutch Drought Proofing Project	0.22	-	-	-	0.22
6	Revival Package for Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)	20.00	-	-	-	20.00
7	Revival Reform and Restructure of Handloom Sector	4.11	-	-	0.02	4.09
8	Interest Subvention (SAO, NRLM, NWR)	493.62	12,164.01	-	12,433.53	224.10
9	Arunachal Agri Start Up Scheme	0.50	-	-	-	0.50
10	Centrally sponsored Project-PACS Computerisation	44.93	44.06	1.12	72.63	17.48
11	AgriSURE- GOI		62.50	-	-	62.50
	Total	**1,506.36**	**13,054.41**	**2.02**	**13,839.18**	**723.61**
	Previous year	**1,106.99**	**11,269.63**	**5.78**	**10,876.04**	**1,506.36**

Refer Note B-1 of Schedule 18
* Represents an amount less than ₹50,000

Consolidated Schedule 5 - Deposits

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Central Government	-	-
2	State Governments	-	-
3	Others	-	
	a) Tea / Rubber / Coffee Deposits	40.23	52.81
	b) Deposits Under RIDF	1,94,482.88	1,86,684.79
	c) Short Term Cooperative Rural Credit Fund	32,079.11	50,517.76
	d) ST RRB Credit Refinance Fund	7,023.74	15,157.91
	e) Warehouse Infrastructure Fund	2,870.00	3,890.00
	f) Long Term Rural Credit Fund	38,945.49	45,174.81
	g) Food Processing Fund	550.00	480.00
	Total	**2,75,991.45**	**3,01,958.08**

Consolidated Schedule 6 - Bonds and Debentures

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Tax Free Bonds	5,000.00	5,000.00
2	Non-Priority Sector Bonds	1,86,736.30	1,49,580.15
3	PMAY-G - GOI Fully Serviced Bonds	48,809.60	48,809.60
4	Bonds - LTIF	38,160.25	38,160.25
5	LTIF- GOI Fully Serviced Bonds	19,506.80	19,506.80
6	SBM(G) - GOI Fully Serviced Bonds	12,298.20	12,298.20
7	Micro Irrigation Fund (MIF) Bonds	1,754.60	1,754.60
8	Social Bonds	1,040.50	1,040.50
9	Infra Bonds	14,060.00	10,000.00
	Total	**3,27,366.25**	**2,86,150.10**

Consolidated Schedule 7 - Borrowings

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Central Government	-	-
2	Reserve Bank of India	-	-
3	**Others:**		

	(A) In India		
	(i) Certificate of Deposits	37,939.26	23,629.90
	(ii) Commercial Paper	57,386.19	52,112.64
	(iii) CBLO / Tri Party Repo	51,707.99	28,270.07
	(iv) Term Money Borrowings	10.36	2,508.21
	(v) Term Loan from Banks	1,03,869.94	94,163.26
	(vi) JNN Solar Mission	2.81	2.81
	(B) Outside India		
	(i) International Agencies	518.00	551.52
	Total	**2,51,434.55**	**2,01,238.41**

Consolidated Schedule 8 - Current Liabilities and Provisions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Interest / Discount Accrued	12,201.02	10,186.88
2	Sundry Creditors	3,329.30	3,417.76
3	Subsidy Reserve (Co-finance, Cold Storage, CSAMI)	7.38	28.50
4	Subsidy Reserve	22.32	-
5	Provision for Gratuity	23.78	12.17
6	Provision for Pension	434.85	126.64
7	Provision for Encashment of Ordinary Leave	396.92	381.90
8	Provision for Post-Retirement Medical Benefit	192.17	170.21
9	Provision for Salary revision	667.17	318.17
	(Refer Note B-21 of Schedule 18)		
10	Unclaimed Interest on Bonds	4.36	2.99
11	Bonds matured but not claimed	9.83	13.15
12	Bond Premium	80.97	50.12
13	Commitment Charges - International Borrowings	0.24	-
14	Provisions and Contingencies		
	a) Depreciation in Value of Investment		
	(i) Government securities		
	(ia) Securities of Central & State Government	-	1,033.42
	(ib) Treasury Bills	-	-
	(ii) Other Approved securities	-	-
	(iii) Equity shares	-	-
	(iv) Debenture and Bonds	12.04	19.46
	(v) Subsidiaries and joint venture	-	-
	(vi) Others	9.63	-
	b) Amortisation of Premium on Securities Held to Maturity	6.28	147.16
	c) For Standard Assets	3,572.61	3,330.41
	d) Non-performing Investments	300.59	358.54
	e) Counter Cyclical Provisioning Buffer /	2,014.45	2,014.45

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
	Floating Provision		
	f) Provision for Other Assets & Receivables	125.40	57.01
	g) Provision for Income Tax [Net of Advance Tax]	2,922.99	3,001.56
15	Other Liabilities	133.01	109.01
	Total	**26,467.31**	**24,779.51**

Note- Provision for Non-Performing Advances have been adjusted against the Advances shown in Schedule-11

Consolidated Schedule 9 - Cash and Bank Balances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Cash in hand	0.00*	0.00*
2	Balances with:		
	(A) Banks in India		
	(i) Reserve Bank of India	6,568.72	3,561.58
	(ii) Other Banks		
	a) In Current Account	4,547.80	3,834.52
	b) Deposit with Banks	33,910.50#	22,988.33
	(B) Banks outside India	-	-
3	Tri Party Repo - Lending	999.30	7,455.32
	Total	**46,026.32**	**37,839.75**

Note: # includes Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less) of ₹ 3,650.00 crore as on 31.03.2025 (₹ 1,300.00 crore as on 31.03.2024)

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 10 – Investments

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**Government Securities**		
	a) Securities of Central Government & State Government	53,061.47	34,498.94
	[Face Value ₹ 5,21,78,15,80,000 (₹ 3,29,78,86,70,000)]		
	b) Treasury Bills	11,297.96	18,806.69

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
	[Face Value ₹ 1,14,99,23,50,000 (₹ 1,96,58,33,80,000)]		
2	**Other Approved Securities**	5.40	5.40
3	**Equity Shares in :**		
(a)	Agricultural Finance Corporation Ltd.	1.00	1.00
	[1,000 (1,000) - Equity shares of ₹ 10,000 each]		
(b)	Small Industries Development Bank of India	966.28	966.27
	[5,31,92,203 (5,31,92,203) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(c)	Agriculture Insurance Company of India Ltd.	60.00	60.00
	[6,00,00,000 (6,00,00,000) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(d)	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	0.30	0.30
	[3,77,758 (3,77,758) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(e)	National Commodity and Derivatives Exchange Ltd.	16.88	16.87
	[56,25,000 (56,25,000) - Equity shares of ₹ 10 each]		
(f)	CSC e-Governance Services India Ltd Equity	9.75	9.75
	[55,000 (55,000) Shares of ₹ 1000 each]		
(g)	Agriculture Skill Council of India	0.00*	0.00*
	[4,000 (4000) Shares of ₹ 10 each]		
(h)	National E-Goverance Services India Ltd [Equity]	1.50	1.50
	[15,00,000 (15,00,000) Shares of ₹ 10 each]		
(i)	National e-Respository Ltd.	10.53	10.53
	[1,05,30,000 (1,05,30,000) Shares of ₹ 10 each]		
(j)	Open Network for Digital Commerce	40.00	40.00
	[40,00,000 (40,00,000) Shares of ₹ 100 each]		
(k)	Online PSB Loans Limited	56.76	-
	[2,87,329 (NIL) Shares of ₹10 each]		
(l)	24x7 Moneyworks Consulting Private Limited	3.84	-
	[23,333 (NIL) Shares of ₹10 each]		

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
(m)	Other Equity Investments	20.02	20.02
4	**Debentures and Bonds**		
(a)	Special Development Debentures of SCARDBs (Refer Note B-10 of Schedule 18)	65.19	134.06
(b)	Non-Convertible Debentures	852.99	858.37
5	**Others**		
(a)	Mutual Fund	6,604.32	5,293.40
(b)	Commercial Paper [Face Value ₹ 15,00,00,00,000 (₹ 200,00,00,000)]	1,453.08	185.04
(c)	Certificate of Deposit [Face Value ₹ 1,64,50,00,00,000.00 (₹ 79,70,00,00,000)]	16,100.04	7,900.10
(d)	Venture Capital Funds / AIFs	575.61	439.07
(e)	Investment Earmarked towards EOL	10.94	39.26
(f)	InvITs	2.00	-
(g)	Investment in Securitisation-PTC	236.65	201.40
	Total	**91,452.51**	**69,487.97**

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 11 - Advances

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**Refinance Loans**		
(a)	Production & Marketing Credit	1,69,224.53	1,58,705.71
		-	-
(b)	**Other Investment Credit:**		
(i)	Medium Term and Long-Term Project Loans	2,52,632.27	2,68,113.97
(ii)	Direct refinance to DCCBs	27,767.64	20,504.10

2	**Direct Loans**		
(a)	Loans under Rural Infrastructure Development Fund	1,84,724.16	1,70,006.64
(b)	Loans under Warehouse Infrastructure Fund	2,581.85	3,385.86
(c)	Long Term Non-Project Loans	1,687.32	1,566.71
(d)	Loans under NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)	40,879.33	32,403.74
(e)	Loans under Producers' Organisation	0.14	0.52
(f)	Credit Facility to Federations [CFF]	41,676.56	20,583.03
(g)	Loans under Food Processing Fund	386.48	431.38
(h)	Loans under Long Term Irrigation Fund	51,803.83	53,617.32
(i)	Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin	48,819.03	48,819.03
(j)	Swacch Bharat Mission-Gramin	12,298.20	12,298.20
(k)	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	1,366.80	1,508.16
(l)	Loan under GCF	517.99	551.52
(m)	Micro Irrigation Fund	2,871.83	3,036.89
(n)	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund	1,141.38	801.49
(o)	Rural Infrastructure Assistance Scheme (RIAS)	65.16	
(p)	**Other Loans:**		
(i)	Watershed Development Fund Programme Loans	1.66	3.69
(ii)	KfW UPNRM Loans	-	0.73
(iii)	Off Farm Sector Promotion Activities Programme Loans	0.29	0.46
	Total	**8,40,446.45**	**7,96,339.15**

Note -The Advances are net off the provisions for Non-performing Assets amounting to ₹ 2,241.61 crore
(₹ 2,101.94 crore as on 31.03.2024)

Consolidated Schedule 12 – Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	**LAND: Freehold & Leasehold**		
	(Refer Note B-8 of Schedule 18)		
	Opening Balance	201.23	201.23
	Additions/adjustments during the year	-	-
	Sub-Total	201.23	201.23
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	201.23	201.23
	Less: Amortisation of Lease Premia	67.15	65.69
	Book Value	134.08	135.54
2	**PREMISES**		
	(Refer Note B-8 of Schedule 18)		
	Opening Balance	663.08	656.11
	Additions/adjustments during the year	9.26	6.97
	Sub-Total	672.34	663.08
	Less: Cost of assets sold/written off	-	-
	Closing Balance (at cost)	672.34	663.08
	Less: Depreciation to date	375.27	351.38
	Book Value	297.07	311.70

3	**FURNITURE & FIXTURES**		
	Opening Balance	73.37	71.66
	Additions/adjustments during the year	2.55	1.90
	Sub-Total	75.92	73.56
	Less: Cost of assets sold/written off	0.19	0.19
	Closing Balance (at cost)	75.73	73.37
	Less: Depreciation to date	68.30	65.15
	Book Value	7.43	8.22
4	**COMPUTER INSTALLATIONS & OFFICE EQUIPMENTS**		
	Opening Balance	272.63	236.69
	Additions/adjustments during the year	40.63	38.44
	Sub-Total	313.26	275.13
	Less: Cost of assets sold/written off	7.62	2.50
	Closing Balance (at cost)	305.64	272.63
	Less: Depreciation to date	251.63	229.44
	Book Value	54.01	43.19
5	**VEHICLES**		
	Opening Balance	14.92	13.35
	Additions/adjustments during the year	6.98	6.09
	Sub-Total	21.90	19.44
	Less: Cost of assets sold/written off	5.86	4.52
	Closing Balance (at cost)	16.04	14.92
	Less: Depreciation to date	6.03	5.99
	Book Value	10.01	8.93
6	Capital Work in Progress [Including Premises, Furniture & Fixtures and Software Implementation]	75.12	56.93
	Total	**577.72**	**564.51**

Note - Depreciation to date includes opening depreciation, depreciation on addition & sale and depreciation for current FY

Consolidated Schedule 13 - Other Assets

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Accrued Interest	5,976.67	5,529.01
2	Deposits with Landlords	3.75	3.15
3	Deposits with Government Departments and Other Institutions	54.24	54.16
4	Housing loan to staff	188.47	142.55
5	Other Advances to staff	98.10	96.62
6	Sundry Advances	250.56	235.74
7	Deferred Tax Assets (Refer Note B-6 of Schedule 18)	148.66	208.40
8	Receivable from Government of India / International Agencies (Refer Note B-2 and B-4 of Schedule 18)	1,193.46	1,486.25
9	Discount Receivable	-	294.78
10	Discount on Issue of Bonds	94.98	121.42
11	Other Assets - Input Tax Credit (GST)	7.30	3.77
	Total	**8,016.19**	**8,175.85**

Consolidated Schedule 14 - Interest and Financial Charges

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	**Interest Paid on**		
(a)	Deposits under RIDF	6,752.89	6,042.03
(b)	Short Term Cooperative Rural Credit Fund	1,975.77	2,169.93
(c)	ST RRB Credit Refinance Fund	574.67	653.48
(d)	Warehouse Infrastructure Fund	105.27	121.11
(e)	Long Term Rural Credit Fund	1,599.15	1,440.00
(f)	Fund for Food Processing Units	19.69	15.55
(g)	Tea / Coffee / Rubber Deposits	2.35	2.82
(h)	Term Money Borrowings	39.73	112.97
(i)	Bonds (Refer Notes B-4 & B-12 of Schedule 18)	21,322.39	16,367.23
(j)	Term Loans from Banks	6,168.07	5,290.32
(k)	Borrowings from International Agencies	6.20	16.28
(l)	Borrowing against ST Deposit	(0.00)*	3.18
(m)	Discount on Commercial Paper	2,506.68	2,182.71
(n)	Discount on Certificate of Deposits	2,020.56	1,620.20
(o)	Repo Interest Expenditure	10.58	14.50
(p)	Interest on funds	186.82	187.09
(q)	Borrowing from RBI under SLF	-	-
(r)	Commitment Fee - International Borrowings	0.24	-
2	Discount on CBLO / Tri-Party Repo	1,505.68	606.16
3	Discount, Brokerage, Commission & issue exp. on Bonds and Securities	76.21	70.71
4	Swap Charges	17.96	24.12
	Total	**44,890.91**	**36,940.39**

*Represents an amount less than ₹ 50,000

Consolidated Schedule 15 A - Establishment and Other Expenses

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Salaries and Allowances (Refer Note B-21 of Schedule 18)	1,431.89	1,505.87
2	Contribution to / Provision for Staff Superannuation Funds	836.10	1,309.09
3	Other Perquisites & Allowances	310.37	227.03
4	Travelling & Other allowances in connection with Directors' & Committee Members' Meetings	0.42	0.35
5	Directors' & Committee Members' Fees	1.04	1.03
6	Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc.	54.58	49.15
7	Travelling Expenses	82.46	71.39
8	Printing & Stationery	9.22	8.53
9	Postage, Telegrams & Telephones	32.93	25.01
10	Repairs	21.47	19.32
11	Auditors' Fees	0.56	0.44

12	Legal Charges	5.41	4.19
13	Miscellaneous Expenses	460.46	384.16
14	Expenditure on Miscellaneous Assets	12.93	9.20
15	Expenditure on Study & Training	115.00	105.32
	Total	**3,374.84**	**3,720.08**

Consolidated Schedule 15 B - Expenditure on Promotional Activities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1	Cooperative Development Fund	54.55	33.29
2	Producers Organization Development Fund - NABARD	0.29	3.95
3	Rural Infrastructure Promotion Fund	3.17	3.09
4	Expenditure under Farm Sector Promotion Fund	21.37	28.27
5	Expenditure under Climate Change Programme	-	0.39
6	Gramya Vikas Nidhi	57.69	63.50
7	Catalytic Capital Fund	2.52	2.94
8	Technology Facilitation Fund	0.10	0.59
	Total	**139.69**	**136.02**

Consolidated Schedule 16 - Provisions

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	2024-25	2023-24
	Provisions for:		
1	Standard Assets	241.98	378.38
2	Non-Performing Assets	153.61	(59.86)
3	Depreciation in value of Investment Account - Equity	(8.50)	14.78
	Total	**387.09**	**333.30**

Consolidated Schedule 17 - Commitments and Contingent Liabilities

(Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
1	Commitments on account of capital contracts remaining to be	68.12	11.85

	executed (Net of Advances)		
	Sub Total "A"	68.12	11.85
2	Contingent Liabilities		
(i)	Bank Guarantee	21.94	32.35
(ii)	Claims against the Bank not acknowledged as debt	6.00	-
(iii)	Pending legal cases (including Income Tax Appeals)	415.19	371.38
	Sub Total "B"	443.13	403.73
	Total (A + B)	**511.25**	**415.58**

SCHEDULE 18

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2025

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Preparation:

The accounts are prepared on the historical cost convention and comply with all material aspects contained in the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 and Regulations thereof, applicable Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI). Except otherwise mentioned, accounting policies have been consistently applied by the National Bank for Agriculture and Rural Development (the Holding Bank / NABARD) and are consistent with those used in the previous year.

2. Basis of Consolidation:

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

The excess/ deficit of the cost to the Bank of its investment, over the Bank's portion of net assets at the time of acquisition of shares is recognized in Reserves & Surplus.

These consolidated financial statements comprise standalone financial statements of NABARD ("the Holding Bank" or "NABARD") and its subsidiaries which together constitute the group ("The Group"). The Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and events in similar circumstances and necessary adjustments required for deviations, if any to the extent possible, are made in the consolidated financial statements and are presented in the same manner as the Bank's standalone financial statements. The figures pertaining to the Subsidiary Companies have been recast/ reclassified wherever necessary to bring them in line with the parent Bank's financial statements.

The financial statements of the subsidiaries used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank.

The explanation to Para 6 of AS-21 'Consolidated Financial Statements' is as follows:

"All the notes appearing in the separate financial statements of the parent enterprise and its subsidiaries need not be included in the notes to the consolidated financial statements. For preparing consolidated financial statements, the following principles may be observed in respect of notes and other explanatory material that form an integral part thereof:

a) Notes which are necessary for presenting a true and fair view of the consolidated financial statements are included in the consolidated financial statements as an integral part thereof.

b) Only the notes involving items which are material need to be disclosed. Materiality for this purpose is assessed in relation to the information contained in consolidated financial statements. In view of this, it is possible that certain notes which are disclosed in separate financial statements of a parent or a subsidiary would not be required to be disclosed in the consolidated financial statements when the test of materiality is applied in the context of consolidated financial statements.

c) Additional statutory information disclosed in separate financial statements of the subsidiary and/ or a parent having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements need not be disclosed in the consolidated financial statements."

The consolidation of financial statements has been done on the basis keeping in view the above guidelines in AS-21 'Consolidated Financial Statements'

The financial statements of the Bank and its subsidiaries have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions. The unrealized profits or losses resulting from the intra-group transactions have been eliminated and unrealized losses resulting from the intra-group transactions have also been eliminated unless cost cannot be recovered.

Share of minority interest in the net profit of the consolidated subsidiaries is identified and adjusted against the profit after tax to arrive at the net income attributable to shareholders. Share of minority interest in losses of the consolidated subsidiaries, if exceeds the minority interest in the equity, the excess and further losses applicable to the minority, are adjusted against the Group's interest.

Share of minority interest in net assets of consolidated subsidiaries is presented in the consolidated balance sheet separately from liabilities and the equity of the company's shareholders.

3. The consolidated financial statements present the accounts of the Bank with its following subsidiaries:

Name of the Subsidiary	**Framework**	**Audited FS considered for consolidation**	**Country of Incorporation**	**Proportion of Ownership (%)**	
				2023-24	**2022-23**
NABKISAN Finance Limited (NABKISAN)	Ind AS	No*	India	87.77	87.77
NABSAMRUDDHI Finance Limited (NABSAMRUDDHI)	Ind AS	No*	India	91.09	91.09
NABFINS Limited (NABFINS)	Ind AS	No*	India	63.10	63.10
NABARD Consultancy Services Private Limited (NABCONS)	IGAAP	Yes	India	100	100
NABVENTURES Limited (NABVENTURES)	IGAAP	Yes	India	100	100
NABFOUNDATION	IGAAP	Yes	India	100	100
NABSANRAKSHAN Trustee Private Limited (NABSANRAKSHAN)	IGAAP	Yes	India	100	100

* The financial statements prepared under Ind AS have been audited by the statutory auditors of the respective subsidiaries. However, for the purpose of consolidation of financial statements, Ind AS not being applicable to

NABARD, we have considered the IGAAP financial statements which have been prepared by the management of the respective subsidiaries and are unaudited.

NABARD holds 30% share of Agriculture Insurance Company India Ltd. As per AS 23 – 'Accounting for Investments in associates in consolidated financial Statements' significant influence is presumed when the investor holds 20% or more of the voting power of the investee. However, NABARD is represented in the Board of Directors as a Non-Executive Director. Thus, NABARD does not exercise Significant influence on AICIL as a result of which the financial statements of AICIL are not consolidated.

4. Use of Estimates:

Preparation of financial statements in conformity with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) requires the management to make estimates and assumptions that affect reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of the operations for the reporting period. Although these estimates are based on the management's best knowledge, the actual results could differ for these estimates. Such differences are recognized in the year of outcome of such results.

5. Revenue recognition:

5.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except the following, which are accounted on cash basis:

i) Interest on non-performing assets identified as per RBI guidelines.

ii) Income by way of penal interest charged due to delayed receipt of loan dues or non-compliance with terms of loan.

iii) Service Charges on loans given out of various Funds.

iv) Expenses not exceeding ₹ 10,000 at each accounting unit, under a single head of expenditure.

5.2 Discount on Bonds and Commercial Papers issued are amortized over the tenure of Bonds and Commercial Papers. Issue expenses relating to the floatation of bonds, including applicable stamp duty, are recognized as expenditure in the year of issue of Bonds.

5.3 Dividend on investments is accounted for, when the right to receive the dividend is established.

5.4 i) Income from Venture Capital Funds are accounted on realization basis.

ii) Release of subsidy in which NABARD is acting as a pass through agency is accounted for, including service charges thereon, on payment basis subject to availability of funds under the respective schemes.

5.5 Recovery in non-performing assets (NPA) is appropriated in the following order:

(i) Penal Interest

(ii) Cost & charges

(iii) Overdue interest and interest

(iv) Principal

5.6 In case of Compromise and Resolution/ Settlement, recovery shall be appropriated as per the terms of respective compromise/ resolution settlement.

5.7 In case of suit filed/ decreed accounts, recovery shall be appropriated as under:

i) As per the directives of the concerned Court.

ii) In the absence of specific directives from the Court, as mentioned at point 5.5 above.

5.8 **NABCONS - Income from services**

5.8.1 Income from Assignments: Income from assignments constitute the main source of income for the Company. Recognition of revenue and corresponding expenses incurred on particular assignments are taken into account at the time when the assignment are completed. An assignment is treated as completed:

- in case of preparation of DPR as soon as the draft report has been issued to the party.
- in case of other assignments where execution is spread over a period, the income has been recognized based on the milestones completed and deliveries effected, status of execution and period completed.
- in case assignment is a time bound contract for more than a year income is recognized in proportion to period completed.

5.8.2 As per the company's policy, the assignments which are not likely to be continued were closed on "as is where is" basis and the amount received thereon has been treated as income.

5.8.3 Any advance received on progressive basis for ongoing assignments, where criteria/ mile stone for income booking as per Company policy as disclosed above has not been fulfilled, is shown as a separate item as advance received from clients and treated as current liability. The expenses incurred on such assignments are shown as current Assets and will be shown as expenses in the year in which corresponding income will be accounted for, as per policy of Company.

5.8.4 NABCONS has been appointed by Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India as a Central Technical Support Agency (CTSA) in connection with implementation of the DDU-GKY scheme. As per the prevailing guidelines, NABCONS is entitled to receive Monitoring Cost @ 1.5% (inclusive of GST) of the total project cost, in respect of the allocated States, which is accounted for, as income at the time of release/sanction of each instalment released to SRLMs/SSDMs

Besides above, NABCONS has also been appointed as the Technical Support Agency (TSA) by several States, income in respect of which, is recognised as per the agreed terms stated in MoU executed with SRLM/ SSDM.

Thus, NABCONS has recognised income in respect of dues from MoRD/ SRLMs, which have either been sanctioned/payable, but not paid owing to administrative reasons, paucity of funds etc.

In addition, NABCONS has also performed the assignment of Project Appraisal Agency. The income related to project appraisal has been recognised at the time of completion of deliverables/ receipt of fees from PIAs. The Ministry of Rural Development (MoRD), Govt of India is in the process to roll-out DDU-GKY 2.0 for FY 2025-26, programme to be executed upto 31.03.2026.

6. Property, Plant and Equipment (Fixed Assets)

6.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. The cost of assets includes taxes, duties, freight and other incidental expenses related to the acquisition and installation of the respective assets. Subsequent expenditure incurred on existing asset is capitalized, only when it increases the future benefit from the existing assets beyond its previously assessed level of performance.

6.2 Land includes freehold and leasehold land.

6.3 Premises include value of land, where segregated values are not readily available.

6.4 Depreciation policy on premises situated on freehold land and leasehold land has been revised during the FY 2017-18 and calculated on straight line basis over the period of 30 years.

6.5 The upfront lease premium paid on leasehold land are amortized over the tenure of lease period @ 5% on opening written down value or the proportionate amount of remaining lease premium on the remaining period of lease, whichever is higher.

6.6 Fixed Assets individually costing ₹ 1 lakh or less (except easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc.) are charged to the Profit and Loss Account in the year of acquisition. Easily portable electronic assets such as laptops, mobile phones, etc., are capitalized, if individual cost of the items is more than ₹ 10,000. All software costing ₹ 1 lakh each and less, purchased independently are charged to the Profit and Loss Account.

6.7 In case of The Holding Bank, Depreciation on other fixed assets is charged over the estimated useful life of the assets ascertained by the management at the following rates on Straight Line Method basis:

Type of Assets	Depreciation Rate
Furniture and Fixtures	20%
Computer & Software	33.33%
Office Equipment	20%
Vehicles	20%

6.8 Depreciation is charged from the month in which the asset is capitalized in the year of purchase up to the month in which the asset is sold in the year of sale.

6.9 Capital work in progress includes capital advances and is disclosed under Fixed Assets.

6.10 In case of subsidiaries the depreciation on fixed assets is provided on following basis:

Name of the Subsidiary	Method of Depreciation
NABKISAN	WDV as per Schedule II
NABSAMRUDDHI	SLM as per Schedule II
NABFINS	WDV as per Schedule II
NABCONS	SLM as per Schedule II
NABVENTURES	SLM and WDV as per Schedule II
NABFOUNDATION	SLM as per Schedule II
NABSANRAKSHAN	WDV as per Schedule II

7. Investments

7.1 The transactions in Securities are recorded on "Settlement Date".

7.2 In accordance with the RBI guidelines, Investments are classified into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories (hereinafter called "categories").

7.3 Securities that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as "HFT". Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as "HTM". Securities which are not to be classified in the above categories are classified as "AFS".

7.4 Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost, wherever cost is equivalent to face value or less. If cost is more than the face value, the premium is amortized over the period remaining to maturity. Provision for diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries and joint ventures under the category "HTM" is made, wherever necessary. Provision for diminution/ amortization, in value of such investments, is included under Current Liabilities and Provisions.

7.5 Profit on redemption of investment categorized under "HTM" is recognized in Profit & Loss A/c.

7.6 Investments under "AFS" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. Net depreciation, if any, is provided for investments in the category classified as "AFS" and appreciation is ignored. The book value of the individual scrip are not changed after such revaluation.

7.7 Investments under "HFT" are marked to market, scrip-wise, at the rate, declared by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA) and by Financial Benchmarks India Private Limited., AMFI etc. Net Depreciation, if any, provided for investments in the category classified as "HFT" and appreciation is ignored. The book values of the individual scrip are not changed after such revaluation.

7.8 Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.

7.9 Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposits are valued at carrying cost.

7.10 Unquoted Shares are valued at breakup value, if the latest Audited Financial Statements of the investee companies are available, or at ₹ 1/- per Company as per RBI guidelines.

7.11 Brokerage, commission, etc. paid in respect of investments including unlisted equities, at the time of acquisition, are charged to revenue.

7.12 Brokerage, paid on acquisition / disposal of equities traded on stock exchange is capitalized.

7.13 Broken period interest paid/ received on debt investments is treated as interest expenses/ income and is excluded for cost / sale consideration.

7.14

Sr. No.	Existing category	Proposed category	Accounting policy
1.	AFS / HFT	HTM	Lower of book value or market value. In cases where the market value is lower than the book value, the provision for depreciation held against the security (including the additional provision, if any, required based on valuation done on the date of transfer) shall be adjusted to reduce the book value to the market value and the security shall be transferred at the market value.
2.	HTM	AFS / HFT	Transfer at book value / amortised cost. Such Securities shall be immediately re-valued consequent to transfer and resultant depreciation, if any, shall be provided.
3.	AFS/HFT	HFT/AFS	Transfer at book value. Securities need not be re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held shall be transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

7.15 Amortization / Gain / Loss on Revaluation of Government Securities is charged to Profit and Loss Account.

7.16 Weighted average cost method has been followed for accounting for investments.

7.17 Investments in Venture Capital Funds are accounted as per the accounting policy adopted by the respective Fund.

7.18 Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of Reserve Bank of India for NPI classification. The depreciation/ provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities.

If any credit facility availed by an entity is NPA in the books of the Bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.

In case of securities i.e. bonds, debentures, etc. where the credit facilities are availed by the borrowers, the provision has been made on the basis of YTM or IRAC norms whichever is higher.

7.19 The securities sold and purchased under Repo/ Reverse Repo are accounted as Collateralized lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be.

7.20 The derivatives transactions are undertaken for hedging purposes.

7.21 In case of subsidiaries, investments held for more than twelve months are valued at cost less provision for diminution, other than temporary, in the value of such investments except Corporate Bonds and Government Securities. Corporate Bonds and Government Securities are held at amortised cost. Investments that are readily realized and are intended to be held for less than twelve months, are held at lower of cost and fair value and the resultant decline, if any, is charged to the statement of Profit and Loss.

In case of NABSANRAKSHAN, cost included on FIFO basis is considered for calculation of profit or loss on redemption of mutual funds.

Hedge Swaps

Interest rate swaps with hedge interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that are carried at market value or lower of cost in the financial

statement. Gain or losses on the termination of swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/ liabilities.

8. Advances and Provisions thereon

8.1 Advances are classified as per RBI guidelines. Provision for standard assets and non–performing assets is made in respect of identified advances, based on a periodic review and in conformity with the provisioning norms prescribed by RBI.

8.2 In case of restructuring/ rescheduling of advances, the difference between the present value of future principal and interest as per the original agreement and the present value of future principal and interest as per the revised agreement is provided for.

8.3 Advances are stated net of provisions towards Non-performing Advances.

8.4 Provision for Non-Performing Loans in respect of loans granted out of funds are charged to the Profit and Loss account.

8.5 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per extant RBI Guidelines. These provisions are reflected in Schedule 8 of the Balance Sheet under the head "Current Liabilities & Provisions" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

9. Foreign Currency Transactions

As per Accounting Standard (AS-11) on Accounting for the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates issued by the ICAI; following accounting treatment is given to foreign exchange transactions:

9.1 Assets and liabilities in foreign currency are revalued at the exchange rate notified by FEDAI/ FBIL as at the close of the year/reporting date. The hedged portion of the foreign currency borrowings are stated at the contracted value and the liability of hedged borrowing as per year-end exchange rate is disclosed as a contra item in the Balance Sheet (as off Balance Sheet item).

9.2 For hedged transactions, Income and Expenditure items are translated at the contracted rates as per the hedge agreements executed.

10. Accounting for Foreign Exchange Contracts

10.1 Foreign Exchange Contracts are to hedge the repayment of foreign currency borrowings.

10.2 The foreign currency borrowings which are hedged are stated at the contract rate.

10.3 The foreign exchange unhedged contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI/ FBIL at the year-end/ reporting date. The resultant gain/ loss on revaluation is recognised in the Profit & Loss Account under the head Gains/ Loss on revaluation of Forward Exchange Contract Account.

11. Employee Benefits

All personnel transferred from RBI are considered as employees of the Bank and provision for Employee Benefits are made accordingly. Actuarial valuation, wherever required, for long term employee benefits are carried out at each balance sheet date.

11.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

11.2 Post Retirement Benefits:

i) Defined Contribution Plan

The Bank has introduced a New Pension Scheme (NPS) for all the officers/employees who have joined the services of the Bank on or after 01 January 2012. The Bank has adopted the "NPS- Corporate Sector Model", a defined contribution plan, as formulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Contribution to the Fund is made on accrual basis.

ii) Defined Benefit Plan

(a) Provision for gratuity is made based on actuarial valuation, made at the end of each financial year based on the projected unit credit method in respect of all eligible employees. The scheme is funded

by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

(b) Provision for pension is made based on actuarial valuation, in respect of all eligible employees who joined the Bank on or before 31 December 2011. The scheme is funded by the Bank and is managed by a separate trust. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

iii) Other Long Term benefits

All eligible employees of the bank are entitled for compensated absences. All the eligible employees are also entitled for post-retirement medical benefits. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method based on actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gain or loss are recognised in the Profit and Loss Account on accrual basis.

12. Taxes on Income

12.1 Tax on income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed, in accordance with the provisions of Income Tax Act, 1961 and based on expected outcome of assessments / appeals.

12.2 Deferred tax is recognized, on timing difference, being the difference between taxable income and accounting income for the year and quantified, using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted, as on Balance Sheet date.

12.3 Deferred tax assets relating to unabsorbed depreciation/business losses are recognised and carried forward to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which, such deferred tax assets can be realized.

12.4 Tax paid / provided on taxable income earned by the funds are accounted as expenditure of respective funds.

13. Segment Reporting

13.1 The Bank recognizes the Business segment as the Primary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

13.2 Segment revenue includes interest and other income directly identifiable with/ allocable to the segment.

Income, which relates to Bank as a whole and not allocable to segments is included under "Other Unallocable Bank Income".

13.3 Expenses that are directly identifiable with/allocable to segments are considered for determining the segment result. The expenses, which relate to the Bank as a whole and not allocable to segments, are included under "Other Unallocable Expenditure".

13.4 Segment Assets and Liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Unallocable Assets and Liabilities include those that relate to the Bank as a whole and not allocable to any segment.

14. Impairment of Assets

14.1 As at each Balance Sheet date, the carrying amount of assets is tested for impairment so as to determine:

a) the provision for impairment loss, if any, required; or

b) the reversal, if any, required for impairment loss recognized in the previous periods.

14.2 Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

15. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

15.1 Provisions are recognised for liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation if:

a) the Bank has a present obligation as a result of a past event;

b) a probable outflow of resources is expected to settle the obligation; and

c) the amount of the obligation can be reliably estimated.

15.2 Contingent liability is disclosed in the case of:

a) a possible obligation arising from past events, when it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation,

b) a present obligation when no reliable estimate is possible, and

c) a possible obligation arising from past events where the probability of outflow of resources is remote.

15.3 Contingent assets are neither recognized, nor disclosed.

15.4 Provisions, contingent liabilities and contingent assets are reviewed at each Balance Sheet date.

16. Cash and cash equivalents

a) Cash and cash equivalents for the purposes of cash flow statement comprise cash at bank, cash in hand and other short-term investments.

b) Cash Flow statement is reported using Indirect method. The cash flow from operating, financing and investing activity is segregated based on the available information.

17. Prior Period Income/ Expenses

Items of Income/ Expenditure which are prior period in nature is disclosed separately only when the individual prior period income/ expense exceeds 0.5% of Gross Income.

18. Implementation of Indian Accounting Standards (Ind AS)

In terms of the Press Release No. 11/10/2009 CL-V dated 18 January 2016 issued by the MCA, the bank would be required to prepare Ind AS based financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards, with comparatives for the periods ending March 31, 2018 and thereafter. The implementation of Ind AS by AIFIs has been deferred by Reserve Bank of India until further notice

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. NABARD is acting as a banker/ custodian/ trustee on behalf of GOI/ RBI/ Other entities and is holding the following funds, pending utilization in terms of respective schemes, on their behalf, to the extent of contribution made by them and accrued interest on unutilized balances, wherever applicable. Interest on unutilized balances has been credited to the following funds as per the respective agreements/ as approved by the management/ Board of Directors. The details of rate of interest for respective funds are as under:

S. No	Name of the Fund	Rate of Interest for 2024-25	Rate of Interest for 2023-24
1.	Watershed Development Fund	3%	3%
2.	KfW- NB IGWDP (Andhra Pradesh, Gujarat, Rajasthan)	0%	3%
3.	KfW Accompanying Measures	0%	3%
4.	National Adaptation Fund for Climate change	0%	3%
5.	Tribal Development Fund	3%	3%
6.	Financial Inclusion Fund	3%	3%
7	Kfw NB- V Adivasi Development Programme- Gujarat	0%	3%
8.	Climate Change - (AFB) - Project Formulation Grant	3%	3%
9	LTIF Interest Fluctuation Reserve Fund	3%	3%
10	Producer Organisation Development Fund-Interest Differential	3%	3%

11	Climate Change Fund -Interest Differential	3%	3%
12	GCF Project Grants	3%	3%
13	Cattle Development Fund (UP & Bihar)	7.83%	7.29%
14	Multi Activity Approach For Poverty Alleviation (Sultanpur and Rae Bareilly)	7.83%	7.29%
15	Center for Professional Excellence in Co-operatives.	7.83%	7.29%

2. Recoverable from Government of India/ International Agencies (Refer Schedule-13 of Balance Sheet) includes ₹ 2.00 crore (₹ 1.08 crore) being debit balance of various funds. The details of such funds are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Name of the Fund	2024-25	2023-24
1	KfW- Soil Project	0.92	0.00
2	NAFCC	1.08	1.08
	Total	**2.00**	**1.08**

3. Pursuant to the directions of RBI, the relative margin available to the Bank in respect of Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits, Warehousing Infrastructure Fund (WIF) deposits and Food Processing Fund (FPF), placed by various banks is credited to Financial Inclusion Fund and Climate Change Fund - ID in the ratio of 80:20.

4. Interest Subvention received/ receivable from Government of India (GOI) under various schemes has been adjusted from Interest and financial charges under Schedule 14. The amount of Interest subvention adjusted under different schemes is given below:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Scheme	2024-25	2023-24
1	Long Term Irrigation Fund	567.95	558.87
2	Seasonal Agricultural Operations (SAO)	140.96	(70.68)
3	Dairy Infrastructure Development Fund (DIDF)	34.72	35.07
S. No.	**Scheme**	**2024-25**	**2023-24**
4	National Rural Livelihood Mission (NRLM)	126.07	67.08
5	Micro Irrigation Fund (MIF)	87.68	73.62
6	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF)	25.85	17.94

5. Interest Margin on providing refinance under interest subvention scheme to StCBs, RRBs and to CCBs, Public Sector Banks for financing Primary Agriculture Co-operative Societies (PACS) for Seasonal Agricultural

Operations and under NRLM scheme has been accounted as interest income. The amount received/ receivable from GOI under the scheme stood at ₹ 115.09 crore (₹ 122.26 crore).

6. The Bank recognizes deferred tax asset / liability on timing differences in accordance with AS 22 "Accounting for taxes on Income". During the year, the Bank has recognized deferred tax expense of ₹ 59.73 crore (₹ 20.55 crore). in the Profit and Loss Account. The details of total deferred tax assets as on 31.03.2025 are as under:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Deferred Tax Assets	2024-25	2023-24
1	Provision allowable on payment basis	102.46	175.14
2	Depreciation on Fixed Assets	13.70	15.08
3	Others	32.50	18.17
	Total	**148.66**	**208.39**

Provision for Deferred Tax on account of Special Reserve created u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961, is not considered necessary, as the Bank has decided not to withdraw the said reserve.

As the loan book is growing year on year, Provision on Standard Assets is required to be created every year in line with the RBI Prudential Norms. Therefore, in accordance with the principles laid down in AS-22, the Bank does not recognise Deferred Tax Asset on account of Provision on Standard Assets, as there is no reasonable certainty of their realisation.

7. The details of pending Income Tax Appeals with various authorities as at the end of FY 2024-25 are given below:

S. No.	Assessment Year	Authority where Appeal is pending	Appeal preferred by	Amount of tax in dispute as on 31-03-2025 (₹ Crore)	Amount of tax in dispute as on 31-03-2024 (₹ Crore)
1	2002-03	High Court – Mumbai	IT Dept.	415.00	415.00
2	2006-07	High Court – Mumbai	IT Dept.	217.85	217.85
3	2007-08	High Court – Mumbai	IT Dept.	88.56	88.56
4	2008-09	High Court – Mumbai	IT Dept.	118.77	118.77
5	2009-10	High Court – Mumbai	IT Dept.	194.82	194.82
6	2010-11	High Court – Mumbai	NABARD	28.20	28.20
7	2010-11	High Court – Mumbai	IT Dept.	215.32	215.32
8	2011-12	High Court – Mumbai	NABARD	51.03	--
9	2012-13	High Court – Mumbai	NABARD	45.63	--
10	2013-14	High Court – Mumbai	NABARD	1.70	--
11	2011-12	Income Tax Appellate Tribunal	NABARD	--	51.07

		(ITAT)			
12	2011-12	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	287.62
13	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	45.63
14	2012-13	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	327.03
15	2013-14	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	1.70
16	2013-14	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	380.05
17	2014-15	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	450.61
18	2015-16	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	448.87
19	2019-20	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	IT Dept.	--	254.38
20	2019-20	Income Tax Appellate Tribunal (ITAT)	NABARD	--	0.59
21	2016-17	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	407.23	407.23
22	2017-18	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	360.69	360.69
23	2018-19	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	278.52	278.52
24	2022-23	Commissioner of Income Tax (Appeals)	NABARD	182.64	--

8. Free hold land and Lease hold Land and Premises include ₹ 11.85 crore (₹ 11.85 crore) paid towards Office Premises and Staff Quarters for which conveyance is yet to be completed.

9. In the opinion of the Bank's management, there is no impairment to assets to which AS 28 – "Impairment of Assets" applies requiring any provision.

10. Pursuant to the directives of RBI, the project loans provided to State Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (SCARDBs) by way of subscription to the Special Development Debentures (SDDs) floated by these agencies, are treated as under:

a) Classified as Investments and shown in Schedule – 10 under the head 'Debenture and Bonds'.

b) Interest earned on the same is shown as a part of 'Interest received on Loans and Advances' in the Profit and Loss Account, treating them as 'Deemed Advances'.

c) 'Deemed Advances' for the purpose of IRAC norms, capital adequacy and computation of ratios etc.

11. As on the date of the financial statements, out of the disbursement extended to various State Governments under RIDF, ₹ 633.71 crore (₹407.85 crore) pertains to projects yet to be grounded under ongoing Tranches (XXVII to XXIX) towards mobilisation advance. Pending receipt of the proposal from the State Government for adjustment of the amount with the respective/ other projects, the amount has been classified as disbursement from the fund.

12. In terms of Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance notification dated 18 February 2016, NABARD was allowed to raise tax free bonds having benefits under section10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act 1961 amounting to ₹ 5,000 crore. Accordingly, ₹ 1,500 crore repayable in 10 year tenure was mobilized through Private Placement and ₹ 3,500 crore repayable in 10 & 15 year tenure was mobilized through public issue. The tax free bonds are in the nature of secured, redeemable and non-convertible bonds. These bonds are secured against pari passu charge on property situated in Mumbai and also first charge on specified book debts of NABARD. The interest charge to revenue pertaining to these bonds for the current year is ₹ 365.07 crore (₹ 365.64 crore).

The details of the debenture Trustee is as under:

Axis Trustee Services Limited,
The Ruby, 2nd Floor, SW,
29, Senapati Bapat Marg,
Dadar West, Mumbai - 400028
Telephone: +91 22 6230 0451

13. In terms of RBI (Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, Exposure Norms, Significant Investment, Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio Norms and Resource Raising Norms for All India Financial Institutions) Directions, 2023 dated 21 September 2023 relating to Prudential Guidelines on Investment in Venture Capital Fund, an amount of ₹ 20.98 crore (₹ 31.84 crore) invested in the units of VCF was shifted from HTM category to AFS category, on completion of 3 years.

14. (a) Investments in Government securities include the following securities pledged with Clearing Corporation of India Limited as collateral security for borrowings:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**Face Value**	**Book Value**
Pledged for Business Segment (Securities)	237.00 (237.00)	237.69 (237.69)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo)	56100.51 (39131.28)	68247.12 (39250.46)
Pledged for Business Segment (Securities) Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)
Pledged for Business Segment (CBLO / Tri Party Repo) – Default Fund	50.00 (50.00)	51.75 (51.75)

(b) Investments in Government securities include the following securities pledged with Reserve of India as collateral security for Intra Day Limit:

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**Face Value**	**Book Value**
Pledged for Intra Day Limit (Securities)	5168.17 (527.00)	5396.34 (545.54)

15. Provisions on Standard Assets

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2024-25	2023-24
Provisions towards Standard Assets made during the year	241.97	378.37

16. Counter Cyclical Provisioning Buffer*:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(a)	Opening balance in the floating provision account	2014.45	2014.45
(b)	The quantum of provisions made during the accounting year #	0.00	0.00
(c)	Amount of drawdown made during the accounting year	0.00	0.00
(d)	Closing balance in the floating provision account	2014.45	2014.45

 # The Board of Directors of the Bank decided to create floating provisions, in accordance with RBI guidelines, to be utilized for any unexpected or exceptional circumstances.

17. The disclosures required to be given by financial institutions pursuant to RBI Master Direction-Reserve Bank of India (Financial Statements of All India Financial Institutions – Presentation, Disclosure and Reporting Directions 2016) dated 23 June 2016 not being considered relevant for consolidated financial statements of the group and hence the same are not contained in the notes.

18. In case of four subsidiaries, depreciation has been provided using Written Down Value method and is not adjusted in Consolidated Financial Statements as per Straight Line method. The impact of this on the consolidated financial statements is not material.

19. In case of NABFINS Limited, The RBI's Adjudication Committee has levied a penalty of ₹10 lakhs for non-adherence to guidelines related to restrictive practices, specifically forcing customers to opt for specific insurance products during the FY 2021-2022, the order of which was dated April 15, 2024 and the same was paid on April 29, 2024.

20. Leave Travel Concession benefits to employees are accounted for as and when the same is availed by the employees.

21. During the year, the group has accounted for ₹ 349.99 crore on estimated basis towards wage settlement effective from November, 2022. The closing provision for wage settlement as on 31 March 2025 is outstanding at ₹ 669.32 crore.

22. Prior period items included in the Profit and Loss account are as follows:

(Amount in ₹ crore)

S. No.	Particulars	2024-25	2023-24
1.	Income	0.00	0.00
2.	Revenue Expenditure	0.00	0.00
Total		**(0.00)**	**(0.00)**

23. Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures

As the Bank is state controlled enterprise within the meaning of AS-18 "Related Party Transactions", the details of the transactions with other state-controlled enterprises (including its subsidiaries) are not given.

23.1 **Key Management Personnel (NABARD):**

Name of the party	Designation
Shri Shaji K V	Chairman

Goverdhan Singh Rawat	Deputy Managing Director
Ajay K Sood	Deputy Managing Director

Key Management Personnel (Subsidiaries)

Name of Subsidiary	**Name of the party**	**Designation**
NABCONS	Shri Niraj Kumar Verma	Managing Director
	Dr Haragopal Yandra	Managing Director
	Smt Neha Chaudhary	Company Secretary
NABFINS	Shri A Jayasheelan	Chief Financial Officer
	Shri Mohan Prasad	Chief Operating Officer
	Smt Pooja Ahuja	Company Secretary
NABFOUNDATION	Shri Bibhu Prasad Kar	Chief Executive Officer
	Smt Sudha Vergese	Chief Financial Officer
	Aditi Shukla	Company Secretary
NABKISAN	Shri Prasad Rao	Managing Director & CEO
	Shri G Immanuvel	Chief Financial Officer
	Smt M Bhuvaneswari	Company Secretary
NABSAMRUDDHI	Smt Bonani Roychoudhury	Managing Director
	Shri LS Naveenkumar	Chief Financial Officer
	Smt Suzette Pereira	Company Secretary
NABSANRAKSHAN	Shri Rahul Uppal	Chief Executive Officer
	Shri Sunanda Kumar Sahoo	Company Secretary
NABVENTURE	Shri Vikas Bhatt	Managing Director
	Smt Deepti Helgaonkar	Chief Financial Officer
	Shri Tunu Sahu	Company Secretary

23.2 **Significant transactions with related parties**

(Amount in ₹ crore)

Items / Related	**Key Management Personnel @**	**Relatives of Key Management Personnel**	**Total**
Borrowings#	**-**	**-**	**-**
Deposit#	**-**	**-**	**-**
Placement of deposits#	**-**	**-**	**-**
Advances#			
Investments#			
Non funded commitments#	**-**	**-**	**-**
Leasing arrangements availed#	**-**	**-**	**-**
Leasing arrangements provided#	**-**	**-**	**-**
Purchase of fixed assets	**-**	**-**	**-**
Sale of fixed assets	**-**	**-**	**-**
Interest paid	**-**	**-**	**-**
Interest Received	**-**	**-**	**-**

Items / Related	Key Management Personnel @	Relatives of Key Management Personnel	Total
Rendering of services*	-	-	-
Receiving of services*	-	-	-
Management Contracts**	11.12(10.46)	-	**11.12(10.46)**

@ Whole time directors of the Board

 # The outstanding at the year end and the maximum during the year are to be disclosed

**Contract Services etc. and not services like remittance facilities, locker facilities etc.*

*** Remuneration to Key Management Personnel*

24. Information on Business Segment

(a) **Brief Background**

The Bank has recognized Primary segments as under:

i) **Direct Finance**: Includes Loans given to state governments and other agencies for rural infrastructure development, co-finance loans and loans given to voluntary agencies/ non-governmental organizations for developmental activities and other direct loans to to DCCBs.

ii) **Refinance**: Includes Loans and Advances given to State Governments, Public Sector Banks, Private Banks, Small Finance Banks, Foreign Banks, SCARDBs, StCBs, Regional Rural Banks etc. as refinance against the loans disbursed by them to the ultimate borrowers.

iii) **Treasury**: Includes investment of funds in T-Bills, short-term deposits, government securities, etc.

iv) The segments other than the above three primary segments is other business segments. After finding out the results of the three primary segments based on the direct income and direct expenses, the balance amounts including un-allocable expenses/ liabilities/ assets are grouped under "Other Business".

(b) **Information on Primary Business Segment**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Treasury		Refinance		Direct Lending		Other Business		Total	
Business Segments	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**	**2024-25**	**2023-24**
Revenue	7649.52	5341.75	28911.04	24528.07	22404.11	19450.56	326.92	295.04	59291.59	49615.42
Result	1450.30	618.77	3571.30	4439.17	8129.71	6504.07	(2714.80)	(3129.09)	10436.51	8432.92
Unallocated Expenses									0.00	0.00
Operating Profit									10436.51	8432.92
Income Taxes									2594.93	2061.68
Extraordinary profit / loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit									**7841.58**	**6371.24**

Other Information										
Segment Assets	139343.11	101692.90	453289.86	430623.59	392465.48	370389.62	1272.07	9581.25	986370.53	912287.35
Segment Liabilities	150328.53	110712.29	351850.09	341185.02	391249.65	374674.25	90167.93	82922.63	983596.20	909494.19
									148.66	208.40
Total Assets									**986519.19**	**912495.75**
Unallocated Liabilities									2922.99	3001.56
Total Liabilities									**986519.19**	**912495.75**
Note : Unallocated Assets represent Deferred Tax Asset and Unallocated Liabilities represent Provision for Income Tax										

(b) Since the operations of the Bank are confined to India only there is no reportable secondary segment.

25. Figures in brackets pertain to previous year.

26. Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary

As per our attached report of even date.

For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No.: 121750W/W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta
Partner
Membership No: 102306
Mumbai

Date - 27 May 2025

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Shaji K. V.
Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai\
27 May 2025

National Bank for Agriculture and Rural Development
Consolidated Cash flow Statement for the year ended 31 March 2025

(Amount in ₹ crore)

Particulars	**2024-25**	**2023-24**
(a) Cash flow from Operating activities		
Net Profit as per Profit and Loss a/c before tax	**10,436.51**	**8,432.92**
Adjustment for:		
Depreciation and Amortisation	62.70	52.69
Provision for Non performing Assets	153.61	(59.86)
Provision for Standard Assets	241.98	378.38
Depreciation in value of Investment Account - Equity	(8.50)	14.78
Profit / (Loss) on sale of Fixed Assets	(1.11)	(1.74)
Interest credited to various Funds (including addition/ adjustment made to Interest Differential Fund)	188.99	188.68
Interest Expenses on Borrowings & Deposits	44,890.91	36,940.39
Income from Investment (including Discount Income)	(7,642.18)	(5,290.17)
Amortisation of Discount / Premium on Issue of Bonds	41.93	25.03
Operating profit before changes in operating assets	**48,364.84**	**40,681.10**
Adjustment for changes in working capital:		
(Increase) / Decrease in Current Assets	(8,451.28)	(16,199.75)
Increase / (Decrease) in Current Liabilities	(520.82)	(23.20)
(Increase) / Decrease in Loans and Advances (Including Housing Loan & Other Advances to Staff	(44,239.49)	(64,302.78)
Cash generated from operating activities	**(4,846.75)**	**(39,844.63)**
Income Tax paid - Net of refund	(2,613.76)	(2,187.64)
Net cash flow from operating activities (A)	**(7,460.51)**	**(42,032.27)**
(b) Cash flow from Investing activities		
Income from Investment (including Discount Income)	7,642.18	5,290.17
Purchase of Fixed Asset	(77.64)	(76.49)
Sale of Fixed Assets	2.81	4.36
Increase / Decrease in Investment	(22,024.88)	(21,521.68)
Net cash used / generated from investing activities (B)	**(14,457.53)**	**(16,303.64)**
(c) Cash flow from financing activities		
Grants / contributions received	(1,045.19)	192.60
Proceeds of Bonds	41,231.50	39,506.45
Increase / (Decrease) in Borrowings	56,652.15	29,932.02

Particulars	2024-25	2023-24
Increase / (Decrease) in Deposits	(25,966.62)	23,857.20

1. Cash and cash equivalent at the end of the year includes:	2024-25	2023-24
Cash in hand	-	-
Balance with Reserve Bank of India	6,568.72	3,561.58
Balances with other Banks in India	4,547.80	3,834.52
Short Term Deposits with Banks (with maturity of 3 months and less)	3,650.00	1,300.00
Total	**14,766.52**	**8,696.10**

1. Cash Flow statement is prepared using indirect method
2. The consolidated cashflow statement has been prepared based on the I-GAAP financial statements of the subsidiaries

As per our attached report of even date
For Suresh Surana & Associates LLP
Chartered Accountants
Firm Registration No: 121750W / W100010

For and on behalf of the Board

Ramesh Gupta
Partner
Membership No.: 102306
Mumbai
Date: 27 May 2025

Vinod Chandrasekharan
Chief General Manager
Accounts Department

Dr. Ajay Kumar Sood
Deputy Managing Director

Goverdhan Singh Rawat
Deputy Managing Director

Shaji K. V.
Chairman

Dr. Milind R Bhirud
Chief General Manager & Secretary
Mumbai
27 May 2025

Dr. B.V. RAMANA REDDY , Director
[ADVT.-III/4/Exty./308/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.09.03 12:23:06 +05'30'